LADAKH
Jammu
and
Kashmir

Azadi Ka Amrit Mahotsav

JKDFC

Your partners in Industrial Development
in UT of J&K and UT of Ladakh

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

19TH ANNUAL REPORT 2023-24

SCHOOL
HOTEL
MEDICOVER HOSPITALS
CANCER INSTITUTE | OUT-PATIENT CENTRE

JKDFC

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय : भूतल, जवाहर लाल नेहरू उद्योग भवन,
रेल हेड कॉम्पलेक्स, जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) – 180012
कॉर्पोरेट कार्यालय : भूतल, संगत घर, बेमिना, श्रीनगर (जे एंड के)–190014
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, डीआरडीए भवन, चीता चौक, लेह–194101
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, आरएंडबी भवन, नया बस स्टैंड, इकबाल पुल के पास,
कारगिल यूटी लद्दाख–194103

Registered Officer : Ground Floor, Jawahar Lal Nehru Udyog Bhawan,
Rail Head Complex, Jammu (J&K)-180012
Corporate Officer : Ground Floor, Sanat Ghar,
Bemina, Srinagar (J&K)-190014
Branch Office : 1st Floor, DRDA Building, Cheetah Chowk, Leh-194101
Branch Office : 1st Floor, R&B Building, New Bus Stand, Near Iqbal Bridge,
Kargil U.T of Ladakh-194103

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2023-24

FROM THE MANAGING DIRECTOR'S DESK

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड 2005 में अपनी स्थापना के बाद से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रहा है। जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के औद्योगिक विकास में बहुआयामी भूमिका निभाते हुए, हम क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन और वित्तीय सहायता में लगे हुए हैं। हमारी प्राथमिक गतिविधि क्षेत्रों में और उनके लिए विकासात्मक गतिविधियों का पोषण करना है। इस दिशा में, हम परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करने, विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित प्रोत्साहनों का वितरण, औद्योगिक परामर्श सेवाएँ, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने में सक्रिय हैं।

हमने हमारी गतिविधियों को केवल वित्तपोषण तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हम संभावित उद्यमियों से बातचीत करते हैं और उनकी यात्रा के दौरान एक प्रतिबद्ध हितधारक के रूप में उनके साथ काम करते हैं। हमने लोगों की उद्यमशीलता की भावना को जीवंत करने और इसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में मोड़ने के लिए शुरुआत से लेकर अब तक 11685 लाख रुपये से ज़्यादा के ऋण स्वीकृत किए हैं। श्रीनगर में कॉर्पोरेट ऑफिस और जम्मू में पंजीकृत कार्यालय के साथ, हमने लेह, लद्दाख में एक शाखा कार्यालय और कारगिल, लद्दाख में एक कैंप कार्यालय स्थापित किया है। ये कार्यालय लोगों की उद्यमशीलता की पहल को बढ़ावा देने और उनको सहायता प्रदान करते हैं।

वित्तपोषण के दौरान निगम के मुख्य उद्देश्यों के दायरे में अधिक से अधिक गतिविधियों को शामिल किया गया, जिनमें पर्यटन उद्योग, यात्री और माल परिवहन के लिए छोटे सड़क परिवहन परिचालकों, औद्योगिक उद्यमों, निर्माण कंपनियों, ठेकेदारों और डायग्नोस्टिक केंद्रों को उपकरण वित्तपोषण और मिनी और लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, विभिन्न योजनाओं के तहत समग्र कार्यशील पूंजी अवधि ऋण वित्तपोषण, स्कूलों और कॉलेजों के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना – "शैक्षणिक संस्थागत प्लस" और निजी अस्पतालों / क्लीनिकों के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना – "अस्पताल प्लस" शामिल हैं।

समय की जरूरतों के अनुसार खुद को नया रूप देते हुए हमने अपने उत्पाद और सेवा के आधार को बढ़ाया है और इसमें होम–स्टे के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना को शामिल किया है। इस बढ़े हुए पोर्टफोलियो से और अधिक व्यवसाय उत्पन्न होगा।

सीएसआर योगदान के रूप में, जेकेडीएफसी ने स्नातकोत्तर पैथोलॉजी विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर को दान करने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल वस्तुओं की खरीद के लिए 14 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

मैं क्षेत्र के विकास की दिशा में प्रयास करने में अपने सभी सम्मानित हितधारकों को उनके सहयोग और साझा भागीदारी के लिए धन्यवाद देती हूं। हम इस दिशा में अपेन अनवरत प्रयास एवं कार्य जारी रखेंगे और इस संबंध में रचनात्मक गतिविधियों को अपना सहयोग करने का वादा करते हैं। हम क्षेत्र के लोगों के हित मे समावेशी विकास और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रगति लाने की आशा करते हैं।

डॉ काजल

Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited since its Inception in 2005 is working for the development of the regions of Jammu, Kashmir & Ladakh. While playing a multi-dimensional role in the industrial development of the UTS of Jammu-Kashmir & Ladakh, we are engaged in capacity building, awareness creation and financial support. Our primary activity is nurturing developmental activities in and for the regions. Towards this end, we are active in providing hassle free loans, distribution of centrally sponsored incentives across various sectors, industrial consultancy services, preparation and appraisal of project reports.

In these endeavors, we have not limited ourselves to just financing industrial activities, but we interact with prospective entrepreneurs and work with them as an engaged stakeholder throughout their journey. We have sanctioned loans worth over Rs. 11685 lakhs since inception bringing to life the entrepreneurial spirit of people and channeling it towards regional development. With the Corporate Office at Srinagar (J&K) and Registered Office at Jammu (J&K), we have established a branch office in Leh, Ladakh and a camp office at Kargil, Ladakh. These offices work to kindle and support the entrepreneurial initiatives of people.

During the course of financing more & more activities were covered under the ambit of main objects of the Corporation which include Tourism Industry, Small Road Transport Operators for passenger & cargo transportation, Equipment Financing to Industrial Enterprises, Construction Companies, Contractors & Diagnostic centres & providing financial assistance for setting up of Mini & Small Hydro-power projects, Composite Working Capital Term Loan Financing under Various Schemes, JKDFC Loan Scheme For Schools & Colleges -"Educational Institutional Plus" and JKDFC Loan Scheme For Private Hospitals/ Clinics - "Hospital Plus".

Reinventing in accordance with the needs of the times, we have widened our product and service base to include JKDFC loan scheme for home-stays. This enhanced portfolio shall generate more business.

As a CSR contribution, JKDFC has spent an amount of Rs. 14 Lakhs for procurement of various health care items for donation to PG Department of Pathology, Govt. Medical College, Srinagar, J&K.

I thank all our esteemed stakeholders for their support and shared engagement in striving towards the development of the region. We shall continue to work towards this end and promise our support to constructive activities in this regard. We hope to bring inclusive development and environmentally conscious progress with the support of the people of the region

Dr. Kajal

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

अध्यक्ष (पदेन) Chairman (Ex-officio)	श्री अमरदीप सिंह भाटिया Shri Amardeep Singh Bhatia	सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (13.9.2024 से प्रभावी) Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 13.9.2024)
अध्यक्ष (पदेन) Chairman (Ex-officio)	श्री राजेश कुमार सिंह Shri Rajesh Kumar Singh	सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (20.04.2023 से 20.08.2024 तक) Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 20.04.2023 till 20.08.2024)
अध्यक्ष (पदेन) Chairman (Ex-officio)	श्री अनुराग जैन Shri Anurag Jain	सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (27.09.2021 से 20.04.2023 तक) Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f 27.09.2021 till 20.04.2023)

निदेशक / DIRECTORS

निदेशक Director	श्री बालामुरुगन डी. Shri Balamurugan D.	संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (10–05–2023 से प्रभावी) Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 10-05-2023)
निदेशक Director	श्री प्रशांत सीताराम लोखंडे Shri Prashant Sitaram Lokhande	संयुक्त सचिव (जेकेएल), गृह मंत्रालय, भारत सरकार। (19.01.2023 से प्रभावी) Joint Secretary (JKL), Ministry of Home Affairs, Govt. of India. (w.e.f. 19.01.2023)
निदेशक Director	श्री संतोष डी वैद्य Sh. Santosh D. Vaidya	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार। (16.06.2023 से प्रभावी) Principal Secretary, Department of Finance, Govt. of J&K. (w.e.f. 16.06.2023)
निदेशक Director	श्री विक्रमजीत सिंह Shri Vikramjit Singh	आयुक्त/सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार। (26.05.2023 से प्रभावी) Commissioner/Secretary, Department of Industry & Commerce, Govt. of J&K. (w.e.f. 26.05.2023)
निदेशक Director	श्री प्रशांत गोयल Sh. Prashant Goyal	प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार। (02.10.2022 से 26.05.2023 तक) Principal Secretary, Department of Industry & Commerce, Govt. of J&K. (w.e.f. 02.10.2022 till 26.05.2023)

निदेशक Director	श्री संजीव खिरवार Shri Sanjeev Khirwar	प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख। (07.11.2023 से प्रभावी) Principal Secretary, I&C, UT of Ladakh. (w.e.f. 07.11.2023)
निदेशक Director	श्री सौगत बिस्वास Shri Saugat Biswas	संभागीय आयुक्त एवं प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख। (25.04.2022 से 05.07.2023 तक) Divisional Commissioner & Administrative Secretary, I&C, UT of Ladakh. (w.e.f 25.04.2022 till 05.07.2023)
प्रबंध निदेशक Managing Director	डॉ. काजल Dr. Kajal	निदेशक, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (01.04.2024 से प्रभावी) Director, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 01.04.2024)
प्रबंध निदेशक Managing Director	डॉ जिविषा जोशी गंगोपाध्याय Dr Jivisha Joshi Gangopadhyay	उप सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (22–03–2022 से 01.04.2024 तक) Deputy Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 22-03-2022 till 01.04.2024)
भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक Director representing LIC of India	श्री कुलदीप टिक्कू Shri Kuldeep Tickoo	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल, भारतीय जीवन बीमा निगम। (06.06.2023 से प्रभावी) Director, Zonal Training Centre, Bhopal, Life Insurance Corporation of India. (w.e.f. 06.06.2023)
भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक Director representing LIC of India	श्री मनोज कुमार खेमू Shri Manoj Kumar Kemmu	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, गुरुग्राम, भारतीय जीवन बीमा निगम। (14.03.2022 से 30.05.2023 तक) Director, Zonal Training Centre, Gurugram, Life Insurance Corporation of India. (w.e.f. 14.03.2022 till 30.05.2023)
गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक Non–Official Independent Director	श्री सुनील कुमार बघेल Shri Sunil Kumar Baghel	गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक, जेकेडीएफसी (23–09–2020 से 27.07.2023 तक) Non–Official Independent Director, JKDFC (w.e.f 23-09-2020 till 27.07.2023)
गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक Non–Official Independent Director	श्रीमती रशिम सूद Smt. Rashim Sood	गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक, जेकेडीएफसी (23–09–2020 से 27.07.2023 तक) Non–Official Independent Director, JKDFC (w.e.f 23-09-2020 till 27.07.2023)

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड की 19वीं (उन्नीसवीं) वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ उन पर लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट और उक्त लेखापरीक्षित खातों पर सीएजी की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें क्रियान्वित करना।

2. श्री संजीव खिरवार, आईएएस, प्रमुख सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सरकार की निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्तिः

   शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करें तथा इसे संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करें:

   "**यह संकल्प** लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के सभी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 149, 161 के प्रावधानों और निगम के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 119 के अनुसार, श्री संजीव खिरवार, आईएएस, प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सरकार को 27.09.2024 से कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

NOTICE

Notice is hereby given that the 19th (nineteenth) Annual General Meeting of Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Ltd. will be held on Friday, 27th day of September, 2024 at 01:00 p.m. through Video Conferencing to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended on 31st March, 2024 along with the Auditors' and Directors' Reports thereon and the comments of CAG on the said Audited Accounts in terms of the provisions of the Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013.

2. Appointment of Shri Sanjeev Khirwar, IAS, Principal Secretary, Industries & Commerce Department, Govt. of UT of Ladakh, as Director on the Board of Directors of the Corporation:

   The shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

   *"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Sections 149, 161 read with all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment there of for the time being in force) and Article 119 of the Articles of Association of the Corporation, Shri Sanjeev Khirwar, IAS, Principal Secretary, Industries& Commerce Department, Govt. of UT of Ladakh is appointed as Director of the Company w.e.f.27.09.2024.*

आगे यह भी प्रस्ताव किया गया कि निगम के कंपनी सचिव/प्रबंध निदेशक को उपरोक्त नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष आवश्यक प्रपत्र/रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

विशेष कार्य :

3. कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 115(ख) के अनुसार डॉ. काजल को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रुप में नियुक्ति को नोट करने और अनुमोदित करना:

   शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करें तथा उसे संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करें:

   ‘संकल्प लिया गया कि कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में डॉ. काजल की नियुक्ति कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के अनुसार अनुमोदित की जाती है।’

4. एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(बी) के अनुसार कंपनी के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में श्री अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस की नियुक्ति को नोट करना और अनुमोदित करना :

   शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करें तथा उसे संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करें:

   ‘संकल्प लिया गया कि श्री अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस, को कंपनी के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए और कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुच्छेद 115 (बी) के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।’

टिप्पणियाँ:

1. कॉर्पोरेट सदस्यों/संस्थागत सदस्यों (भारतीय जीवन बीमा निगम और जे एंड के बैंक लिमिटेड) से अनुरोध है कि वे कंपनी (जेकेडीएफसी) के

***RESOLVED FURTHER THAT** the Company Secretary/Managing Director of the Corporation is authorised to file necessary forms/returns with the Registrar of Companies under the relevant provisions of the Companies Act, 2013 regarding the aforesaid appointment.”*

Special Business:

3. To note and approve the appointment of Dr. Kajal as Managing Director of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company:

   The shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

   “RESOLVED THAT the appointment of Dr Kajal, as Managing Director of the Company, be and is here by approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company.”

4. To note and approve the appointment of Shri Amardeep Singh Bhatia, IAS as Director and Chairman of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company:

   The shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

   ***“RESOLVED THAT** the appointment of Shri Amardeep Singh Bhatia, IAS, as Director and Chairman of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company.”*

Notes:

1. Corporate members/institutional members (LIC of India & The J&K Bank Ltd.) are requested to peruse Article 103(a)(b)(c) and Article 104 of

एसोसिएशन के अनुच्छेद 103(ए)(बी)(सी) और अनुच्छेद 104 का अवलोकन करें, जिसका उद्धरण संलग्न है।

2. उपरोक्त नोटिस में उल्लिखित मदों के समर्थन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार एजेंडा नोट्स/व्याख्यात्मक विवरण संलग्न हैं।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के अनुसार कंपनी (जेकेडीएफसी) के सभी शेयरधारकों द्वारा दी गई सहमति के अनुसार, यह 19 वीं अनुसूची है। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को कम समय के नोटिस पर बुलाया जा रहा है।
4. निगम की 19 वीं वार्षिक आम बैठक में वर्चुअली/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने के लिए वेब लिंक इस मेल में दिया गया है।

बोर्ड की आज्ञानुसार

ह./–
(कामाक्षी सिंह)
कंपनी सचिव

प्रतिलिपिः कंपनी के सभी सदस्यों, जेकेडीएफसी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों को।

Articles of Association of the Company (JKDFC), extract of which is enclosed.

2. The Agenda Notes/Explanatory statements pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 in support of the items mentioned in the notice here in above are enclosed.
3. As per consent given by all the shareholders of the Company (JKDFC) pursuant to Section 101 (1) of the Companies Act, 2013, this 19th AGM is being convened at a shorter notice.
4. The web link for joining the 19th Annual General Meeting of the Corporation virtually/video conferencing is provided herewith in the mail.

By Order of the Board

S/d-
(Kamakshi Singh)
Company Secretary

Copy to : All members of the Company, Directors and Auditors of JKDFC.

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए निगम के प्रमुख अधिकारीः

निगमः

1. श्री गौहर आरिफ
   महाप्रबंधक
2. श्री मुदासिर अहमद डार
   मुख्य वित्तीय अधिकारी
3. सीएस कामाक्षी सिंह
   कंपनी सचिव

ऑडिटर

1. मैसर्स विपेन सेठ एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वैधानिक ऑडिटर
2. गुप्ता मोनेश एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव सचिवीय ऑडिटर
3. मैसर्स केआरए एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कंसल्टेंट

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION FOR FY 2023-24:

CORPORATION:

1. Shri Gowhar Arif
   General Manager
2. Shri Mudasir Ahmad Dar
   Chief Financial Officer
3. CS Kamakshi Singh
   Company Secretary

AUDITORS:

1. M/s Vipen Seht & Associates,
   Chartered Accountants Statutory Auditor
2. Gupta Moneesh & Associates,
   Company Secretary Secretarial Auditor
3. M/s KRA & Co., Chartered Accountants
   Tax Consultant

जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लि.

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ 19 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

परिचय

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)) के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसकी निगमन तिथि 30.05.2005 और कार्य शुरू करने की तिथि 28.07.2005 है। निगम की स्थापना पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य और अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी, ताकि भावी उद्यमियों को अपने औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के रूप में परेशानी मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और जून, 2002 के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए औद्योगिक पैकेज के अनुसरण में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में संचालित विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों औद्योगिक इकाइयों को भारत सरकार के प्रोत्साहनों के वितरण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जा सके।

वित्तपोषण के दौरान निगम के मुख्य उद्देश्यों के दायरे में अधिक से अधिक गतिविधियों को शामिल किया गया, जिसमें पर्यटन उद्योग, यात्री और माल परिवहन के लिए छोटे सड़क परिवहन संचालक, औद्योगिक उद्यमों, निर्माण कंपनियों, ठेकेदारों और डायग्नोस्टिक केंद्रों को उपकरण वित्तपोषण और छोटी और लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, विभिन्न योजनाओं के तहत समग्र कार्यशील पूंजी अवधि ऋण वित्तपोषण, स्कूलों और कॉलेजों के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना – "शैक्षणिक संस्थागत प्लस" और निजी अस्पतालों/क्लिनिकों के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना – "अस्पताल प्लस" के रूप में अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करके

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

DIRECTORS' REPORT

To the members,

Your Directors have pleasure in presenting the 19th Annual Report together with the Audited Financial Statements and the Auditors Report thereon for the period ended 31st March, 2024.

Introduction

Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd is a Central Public Sector Enterprise under administrative control of DPIIT with its date of incorporation as 30.05.2005 and date of commencement of business as 28.07.2005. The Corporation was established with the prime objective of giving boost to the industrial sector of the erstwhile State of Jammu and Kashmir and now to the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh by way of providing hassle free financial assistance to the prospective entrepreneurs in the shape of term loan and working capital term loan for setting up their industrial ventures and acting as a Nodal Agency for disbursement of the GOI incentives to the industrial units, both manufacturing & Service sector operating in the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh in pursuance of June, 2002 the Industrial Package for J&K and Ladakh. The lending activity was started in the year 2009-10 after notifying the Lending policy & seeking other requisite approvals.

During the course of financing more & more activities were covered under the ambit of main objects of the Corporation which include Tourism Industry, Small Road Transport Operators for passenger & cargo transportation, Equipment Financing to Industrial Enterprises, Construction Companies, Contractors & Diagnostic centres & providing financial assistance for setting up of Mini & Small Hydro-power projects. Further, the lending portfolio of the Corporation was widened by providing additional credit facilities in the form of Composite Working Capital Term Loan Financing under Various Schemes, JKDFC Loan Scheme For Schools & Colleges –"Educational Institutional Plus" and JKDFC Loan Scheme For

निगम के ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाया गया। इस बढ़े हुए पोर्टफोलियो से भविष्य में भी अधिक व्यवसाय उत्पन्न होने की आशा है।

बोर्ड ने पिछली कई बोर्ड बैठकों में उन संभावित परिचालन/गतिविधियों के विस्तार के तरीकों पर चर्चा की जिन्हें जेकेडीएफसी के दायरे में शामिल किया जा सकता है। इसके मद्देनजर बोर्ड के समक्ष विभिन्न प्रस्ताव रखे गए और तदनुसार बोर्ड ने 22.09.2023 को आयोजित अपनी 48वीं बोर्ड बैठक में **होम स्टे के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना** को मंजूरी दे दी । यह मंजूरी जम्मू–कश्मीर सरकार और लद्दाख सरकार की होम स्टे पर पहलों के मद्देनजर दी गई है।

उत्पाद एवं सेवा आधार के विस्तार के परिणामस्वरूप निगम की पहुंच एवं ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई है।

जेकेडीएफसी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी और यह निरंतर प्रगति कर रहा है तथा अपने कार्यों को निरंतर निष्पादित कर रहा है। 31.03.2024 तक जेकेडीएफसी की नेटवर्थ 170.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 174.00 करोड़ रुपये हो गई है।

यह उल्लेख करना उचित है कि जेकेडीएफसी उन चंद सरकारी गैर बैंकिंग गैर जमा वित्तीय निगमों में से एक है जो लाभप्रद आधार पर काम कर रहे हैं और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

जहां तक नोडल एजेंसी की भूमिका का सवाल है, रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान जेकेडीएफसी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)), भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी इकाइयों को 15352.12 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

आज तक निगम ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभिन्न केंद्रीय सरकारी प्रोत्साहन के तहत 76959.23 लाख रुपये की राशि वितरित की है।

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक:

कंपनी की एक वेबसाइट है जिसका नाम www.jkdfc.org है और कंपनी का वार्षिक रिटर्न इस वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इसका लिंक नीचे दिया गया है: https://www.jkdfc.org/notifications/MGT72223.pdf

Private Hospitals/ Clinics – “Hospital Plus”. This enhanced portfolio is expected to generate more business in the future as well.

The Board in several previous Board meetings discussed the ways for expansion of potential areas of operations/ activities that could be included in the ambit of JKDFC. In light of this various proposals were placed before the Board and accordingly the Board in its 48th Board Meeting held on 22.09.2023 approved **JKDFC Loan Scheme for Home Stays** in view of the initiatives of the Govt. of J&K & Govt. of Ladakh on home stays.

This widening of product & services base has resulted in increase in outreach & loan portfolio of the Corporation.

JKDFC is on the way of attaining the objective for which it was setup and is progressing and performing its functions steadily. JKDFC’s Net Worth has increased from Rs 170.00 crore to Rs 174.00 crore as on 31.03.2024.

It is worthwhile to mention that JKDFC is amongst very few Govt run Non Banking Non Deposit Financial Corporations which are operating on profitable lines and are providing financial assistance to the entrepreneurs.

As regards its Nodal Agency role, during the year under report an amount of Rs 15352.12 lakh has been disburse by JKDFC to the beneficiary units under various schemes of DPIIT, GOI in the UT of J&K & UT of Ladakh.

Till date Corporation has disbursed an amount of Rs 76959.23 lakh under various central Govt Incentive in the UT of J&K & UT of Ladakh.

Web Link of Annual Return:

The company is having website i.e. www.jkdfc.org and annual return of the company has been published on such website. Link of the same is given below: https://www.jkdfc.org/notifications/MGT72223.pdf

प्रबंधन

31 मार्च, 2024 तक निगम के मामलों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया गया, जिसका संविधान नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

- श्री अनुराग जैन, सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष (पदेन); निदेशक 27.09.2021 से 20.04.2023 तक;
- श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष (पदेन); निदेशक 20.04.2023 से;
- श्री बालामुरुगन डी., संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – निदेशक 10–05–2023 से;
- श्री प्रशांत सीताराम लोखंडे, संयुक्त सचिव (जेकेएल), गृह मंत्रालय, भारत सरकार – निदेशक 19.01. 2023 से;
- श्रीसंतोष डी वैद्य, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार – निदेशक; 16.06.2023 से निदेशक नियुक्त;
- श्री प्रशांत गोयल, प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार – निदेशक; 02.10.2022 से 26.05.2023 तक निदेशक के रूप में नियुक्त;
- श्री विक्रमजीत सिंह, आयुक्त/सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार – निदेशक; 26.05.2023 से निदेशक के रूप में नियुक्त;
- श्री मनोज कुमार खेमू, निदेशक, आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम, भारतीय जीवन बीमा निगम – भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक; 14.03.2022 से 30.05.2023 तक निदेशक;
- श्री कुलदीप टिक्कू, निदेशक, आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल, भारतीय जीवन बीमा निगम – भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक; 06.06.2023 से निदेशक;

Management

The affairs of the Corporation as on 31st March, 2024 were managed by Board of Directors, constitution whereof is detailed hereunder:

- Shri Anurag Jain, Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Chairman (Ex-officio); Director w.e.f. 27.09.2021 till 20.04.2023;
- Shri Rajesh Kumar Singh, Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI – Chairman (Ex-officio); Director w.e.f 20.04.2023;
- Shri Balamurugan D., Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI – Director w.e.f. 10-05-2023;
- Shri Prashant Sitaram Lokhande, Joint Secretary (JKL), Ministry of Home Affairs, GOI - Director w.e.f. 19.01.2023;
- Shri Santosh D Vaidya, Principal Secretary, Finance Department, Govt. of J&K - Director; w.e.f. 16.06.2023;
- Shri Prashant Goyal, Principal Secretary, Deptt. of Industry & Commerce, Govt. of J&K - Director; w.e.f. 02.10.2022 till 26.05.2023;
- Shri Vikramjit Singh, Commissioner/ Secretary, Deptt. of Industry & Commerce, Govt. of J&K - Director; w.e.f. 26.05.2023;
- Shri Manoj Kumar Kemmu, Director, Zonal Training Centre, Gurugram, Life Insurance Corporation of India - Director representing LIC of India; Director w.e.f. 14.03.2022 till 30.05.2023;
- Shri Kuldeep Tickoo, Director, Zonal Training Centre, Bhopal, Life Insurance Corporation of India - Director representing LIC of India; Director w.e.f. 06.06.2023;

- डॉ जिविषा जोशी गंगोपाध्याय, उप सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – प्रबंध निदेशक 22–03–2022 से 01.04.2024 तक;
- डॉ. काजल, निदेशक एसपीएस, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – प्रबंध निदेशक 01–04–2024 से;
- श्री सौगत बिस्वास, संभागीय आयुक्त और प्रशासनिक सचिव, आई एंड सी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख – निदेशक 25.04.2022 से 05.07.2023 तक;
- श्री संजीव खिरवार, आईएएस, प्रमुख सचिव, आई एंड सी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख–निदेशक 07.11.2023 से प्रभावी;
- श्री सुनील कुमार बघेल – गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक 23–09–2020 से 27.07.2023 तक;
- श्रीमती रशिम सूद, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक, जेकेडीएफसी 23–09–2020 से 27.07.2023 तक।

बोर्ड, निगम के कामकाज में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निवर्तमान निदेशकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और योगदान के लिए अपनी सराहना दर्ज करता है।

मानव संसाधन

निगम सीमित कर्मचारियों के साथ कार्य करता रहा, जिसमें 03 सहायक महाप्रबंधक शामिल थे, जिनमें एक सहायक महाप्रबंधक (पीएफ–कश्मीर) को महाप्रबंधक का प्रभार दिया गया था, 01 कंपनी सचिव और 11 अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी तथा 7 संविदा कर्मचारी शामिल थे।

31 मार्च, 2024 तक निगम के कुल कर्मचारियों की संख्या 22 थी।

निगम का प्रदर्शन

(i) ऋण देने की गतिविधि

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, रिपोर्टाधीन वर्ष (2023–24) के दौरान 1621.31 लाख रुपये की राशि के सावधि ऋण मामले स्वीकृत किए गए, जबकि पिछले वर्ष 2022–23 में 1151.85 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

- Dr Jivisha Joshi Gangopadhyay, Deputy Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Managing Director w.e.f. 22-03-2022 till 01.04.2024;
- Dr Kajal, Director SPS, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Managing Director w.e.f. 01-04-2024;
- Shri Saugat Biswas, Divisional Commissioner & Administrative Secretary, I&C, UT of Ladakh - Director w.e.f 25.04.2022 till 05.07.2023;
- Shri Sanjeev Khirwar, IAS, Principal Secretary, I&C, UT of Ladakh – Director w.e.f. 07.11.2023;
- Shri Sunil Kumar Baghel - Non –Official Independent Director w.e.f 23-09-2020 till 27.07.2023;
- Smt. Rashim Sood, Non - Official Independent Director, JKDFC w.e.f 23-09-2020 till 27.07.2023.

The Board places on record its appreciation for the valuable guidance & contribution made by outgoing Directors during the year under report in the functioning of the Corporation.

Human Resource

The Corporation continued to function with limited staff strength which consisted of 03 Assistant General Managers including one Assistant General Manager (PF- Kashmir) given the charge of General Manager, 01 Company Secretary and 11 other officers and officials along with 7 contractual employees.

The total staff strength of the Corporation as on 31st March, 2024 stood at 22.

Performance of the Corporation:

(i) Lending Activity

During the year ending 31st March, 2024, term Lending cases for an amount of Rs. 1621.31 lakh were sanctioned during the year under report (2023-24) as compared to Rs. 1151.85 lakh in the previous year 2022-23.

वर्ष 2023–24 के दौरान 726.37 लाख रुपए का संवितरण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2022–23 में 648.39 लाख रुपए का संवितरण किया गया था। 31 मार्च, 2024 तक कुल स्वीकृतियां क्रमशः 11685.49 लाख रुपए और संवितरण 8427.34 लाख रुपए रहा, जिसका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

Disbursement to the tune of Rs. 726.37 lakh has been made during the year 2023-24 as compared to Rs. 648.39 lakh in the previous year 2022-23. The aggregate sanctions as on 31st March, 2024 stood at Rs. 11685.49 lakh & the disbursement of Rs. 8427.34 lakh respectively, detailed break up whereof is given hereunder:-

(लाख रूपये में) **(Rs. in lakh)**

31.03.2023 तक स्वीकृतियाँ/संवितरण /Sanctions / Disbursements as on 31.03.2024							
		31.03.2023 तक Up to 31.03.2023		**2023–2024 के दौरान During 2023-2024**		**31.03.24 को संचयी Cumulative as on 31.03.24**	
क्र.स. S.n.	**विवरण Particulars**	**स्वीकृत Sanction**	**संवितरण Disbursement**	**स्वीकृत Sanction**	**संवितरण Disbursement**	**स्वीकृत Sanction**	**संवितरण Disbursement**
1	औद्योगिक क्षेत्र Industrial Sector	2500.89	1649.85	245.00	8.08	2745.89	1657.93
2	पर्यटन Tourism	2502.44	1504.02	620.00	49.71	3122.44	1553.73
3	उपकरण वित्तपोषण Equipment Financing	846.37	808.62	0.00	0.00	846.37	808.62
4	परिवहन (एकआरटाओ) Transport (SRTO)	4214.48	3738.48	756.31	668.58	4970.79	4407.06
	कुल TOTAL	**10064.18**	**7700.97**	**1621.31**	**726.37**	**11685.49**	**8427.34**

निगम नवोदित एवं उत्साही उद्यमियों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है, इस संबंध में हमारी योजनाओं का नियमित रूप से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, साथ ही हमारे अधिकारियों द्वारा संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों एवं औद्योगिक सम्पदाओं आदि का व्यक्तिगत दौरा भी किया जा रहा है। इसके कारण निगम को ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

निगम ने हाल ही में होम स्टे के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना के रूप में अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करके निगम के ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। निगम के इस संवर्धित ऋण पोर्टफोलियो से भविष्य में भी अधिक कारोबार उत्पन्न होने की उम्मीद है।

The Corporation is making its best efforts in order to grasp more and more lending to the budding and enthusiastic entrepreneurs, in this connection wide publicity is being given of our schemes regularly besides personal visits of our officers to respective District Industries Centres and Industrial Estates etc are made constantly. Due to this the Corporation is receiving good response for availing credit facilities.

The corporation has recently widened the lending portfolio of the Corporation by providing additional credit facilities in the form of JKDFC Loan Scheme for Home Stays. This enhanced lending portfolio of the Corporation is expected to generate more business in the future as well.

ii) नोडल एजेंसी

जहां तक इसकी नोडल एजेंसी की भूमिका का सवाल है, रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान जेकेडीएफसी द्वारा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लाभार्थी इकाइयों को 15352.12 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: –

वर्ष 2023–2024 के लिए:

क्र. सं.	योजना का नाम	दावों की संख्या	रकम लाखों में
1	प्रोत्साहन I और II का विशेष पैकेज	24	668.43
1	प्रोत्साहन I और II का (आईडीएस) 2017	40	2229.29
2	नई केंद्र क्षेत्र योजना 2021	420	12454.4
	कुल	**484**	**15352.12**

आज तक निगम ने केंद्र सरकार के विभिन्न प्रोत्साहनों के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 76959.23 लाख रुपये की राशि वितरित की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	योजना का नाम	दावों की संख्या	रकम लाखों में
1	प्रोत्साहन I और II का विशेष पैकेज	2954	53769.01
2	परिवहन सब्सिडी योजना/एफएसएस 2013	76	3483.96
3	औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) 2017	111	7251.86
4	नई केंद्र क्षेत्र योजना 2021	420	12454.40
	कुल	**3561**	**76959.23**

ii) कार्य परिणाम

निगम ने 2023–24 के दौरान 1385.86 लाख रुपए की आय अर्जित की, जिसमें सावधि जमा पर ब्याज के रूप में 933.73 लाख रुपए और परिचालन से आय के रूप में 452.13 लाख रुपए शामिल हैं, जैसे कि ऋण और अग्रिम पर ब्याज, अग्रिम शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और वर्ष के दौरान जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए लिया गया शुल्क भी शामिल है। वर्ष के

ii) Nodal Agency

As regards its Nodal Agency role, during the year under report an amount of Rs 15352.12 lakh has been Disbursed by JKDFC to the beneficiary units under various schemes of DPIIT, GOI in the UT of J&K & UT of Ladakh as per the detail given below:-

For the Year 2023-2024:

S. No	Name of Scheme	No of claims	Amount (Rs. in lakhs)
1	Special Package of Incentive I& II	24	668.43
2	Industrial Development Scheme (IDS) 2017	40	2229.29
3	New Center Sector Scheme 2021	420	12454.4
	Total	**484**	**15352.12**

Till date Corporation has disbursed an amount of Rs 76959.23 lakh under various central Govt Incentive in the UT of J&K & UT of Ladakh as per detail given below:

S. No	Name of Scheme	No of claims	Amount (Rs. in lakhs)
1	Special Package of Incentive I& II	2954	53769.01
2	Transport Subsidy Scheme/ FSS 2013	76	3483.96
3	Industrial Development Scheme (IDS) 2017	111	7251.86
4	New Center Sector Scheme 2021	420	12454.40
	Total	**3561**	**76959.23**

iii) Working Results

The Corporation earned an income of Rs.1385.86 lakh during 2023-24 which included Rs.933.73 lakh as interest on term deposits and Rs.452.13 lakh as income from operations viz. interest on loan & advances, upfront fee, processing fee and fee charged by preparation of Detailed Project Reports (DPR) issued during the

लिए कर के बाद लाभ 384.65 लाख रुपए था, जैसा कि नीचे उल्लिखित हैः–

सकल आय	रु. 1385.86 लाख
मूल्यह्रास असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ	रु. 677.05 लाख
मूल्यह्रास	रु. 3.91 लाख
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	रु. 673.14 लाख
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	रु. 384.65 लाख

जेकेडीएफसी में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (पीओएसएच) की शिकायतों का निवारणः

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के संबंध में निर्देश दिए हैं।

कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (जिसे यहां एसएच अधिनियम कहा गया है) के अनुपालन में, निगम ने सभी प्रशासनिक कार्यालयों में एक "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया है। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(i) श्रीमती नवनीत कौर, सहायक महाप्रबंधक, जेकेडीएफसी – पीठासीन अधिकारी के रूप में

(ii) श्री मुदासिर अहमद, एजीएम, जेकेडीएफसी – सदस्य के रूप में

(iii) श्रीमती कामाक्षी सिंह, सीएस, जेकेडीएफसी – सदस्य के रूप में

(iv) श्रीमती प्रियंका गुप्ता, प्रबंधक, जेकेडीएफसी – सदस्य के रूप में

(v) श्री नवीद महमूद अहमद, अधिवक्ता एवं वरिष्ठ रेजिडेंट फेलो, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली – सदस्य के रूप में

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण की रूपरेखा

लक्ष्यः

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, (जिसे संक्षिप्तता के प्रयोजन के लिए आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) जो

year. The profit after tax for the year was Rs. 384.65 lakh as enumerated hereunder:-

Gross Income	Rs. 1385.86 lakh
Profit before depreciation extraordinary items & tax	Rs. 677.05 lakh
Depreciation	Rs. 3.91 lakh
Profit before tax (PBT)	Rs. 673.14 lakh
Profit after Tax (PAT)	Rs. 384.65 lakh

Redressal of Complaints of Sexual Harassment of woman at work place (POSH) in JKDFC:

DPIIT, Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India has directed on redressal of complaints of sexual harassment of woman at work place.

In adherence to The Sexual Harrasment of Women at Workplaces (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (herein referred to as the SH Act), the Corporation has constituted an "Internal Complaints Committee" at all administrative offices. The committee consists of the following member:

(i) Mrs. Navneet Kour, AGM, JKDFC - as Presiding Officer

(ii) Mr. Mudasir Ahmad, AGM, JKDFC - as Member

iii) Mrs. Kamakshi Singh, CS, JKDFC - as Member

iv) Mrs. Priyanka Gupta, Mgr. JKDFC - as Member

v) Sh. Naveed Mehmood Ahmad, Advocate & Senior resident Fellow, Vidhi Centre for legal policy, New Delhi - as Member

Modalities on Redressal of complaints of Sexual Harassment of Woman at Work place In Jammu And Kashmir Development Finance Corporation Limited

Object:

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013, (hereinafter referred to as 'Act' for the

22 अप्रैल, 2013 को लागू हुआ, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013, (जिसे संक्षिप्तता के प्रयोजन के लिए आगे ’नियम’ कहा जाएगा) के साथ पढ़ा जाए तो ”कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण और उससे संबंधित या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम है।” यह नीति समानता और सम्मान पर आधारित कार्यस्थल को बढ़ावा देने, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता और रोकथाम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में निवारण के लिए तंत्र प्रदान करने आदि के उद्देश्य से तैयार की गई है।

दायराः

यह नीति कार्यस्थल पर किसी भी कार्य के लिए नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित सभी कर्मचारियों पर लागू होगी, चाहे सीधे या किसी एजेंट के माध्यम से, जिसमें ठेकेदार भी शामिल है, मुख्य नियोक्ता की जानकारी के साथ या उसके बिना, चाहे पारिश्रमिक के लिए हो या नहीं, या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा काम कर रहे हों, चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त या निहित हों और इसमें सहकर्मी, अनुबंध कर्मचारी, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, अप्रेंटिस या किसी अन्य ऐसे नाम से पुकारे जाने वाले लोग शामिल हैं।

यौन उत्पीड़न – इसका अर्थ और परिभाषा अधिनियम की धारा 2(एन) और धारा 3(2) में परिभाषित की गई है।

अधिनियम की धारा 2(एफ) के अनुसार ’कर्मचारी’ से तात्पर्य किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित व्यक्ति से है, चाहे वह सीधे तौर पर हो या किसी एजेंट के माध्यम से, जिसमें ठेकेदार भी शामिल है, इसमें सहकर्मी, ठेका कर्मचारी, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, अप्रेंटिस या किसी अन्य ऐसे नाम से पुकारा जाने वाला व्यक्ति शामिल है।

अधिनियम की धारा 2(एच) के अनुसार ’आंतरिक समिति’ का तात्पर्य आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) से होगा, जिसका गठन जेकेडीएफसी द्वारा किसी पीड़ित महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच/पूछताछ करने तथा मामले का निपटारा करने के लिए किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 2(ए) के अनुसार, ’पीड़ित महिला’ का तात्पर्य कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की महिला से है, चाहे वह कार्यरत हो या नहीं, जो यह आरोप लगाती है कि प्रतिवादी द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है।

purpose of brevity) which came into force on April 22, 2013, read with The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Rules, 2013, (hereinafter referred to as 'Rules' for the purpose of brevity) is "An act to provide protect on against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto."

Scope:

The policy shall be applicable to all the employees employed at the workplace for any work on regular, temporary, ad hoc or daily wage basis, either directly or through an agent, including a contractor, with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, or working on a voluntary basis or otherwise, whether the terms of employment are expressed or implied and includes a co-worker, a contract worker, probationer, trainee, apprentice or called by any other such name.

Sexual Harassment - will have the meaning and definition as defined in section 2 (n) and Section 3(2) of the Act.

'Employee' as per section 2(f) of the Act, shall means a person employed at a workplace for any work on regular, temporary, ad hoc or daily wage basis, either directly or through an agent, including a contractor, includes a co- worker, a contract worker, probationer, trainee, apprentice or called by any other such name.

'Internal Committee' as per section 2(h) of the Act, shall mean Internal Complaint Committee (ICC) as constituted by JKDFC to investigate/ inquire into the complaints of Sexual Harassment by any aggrieved woman and to settle the matter.

'Aggrieved Woman' as per section 2(a) of the Act, shall mean in relation to workplace, a woman of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the Respondent.

अधिनियम की धारा 2(एम) के अनुसार 'प्रतिवादी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जिसके विरुद्ध पीड़ित महिला ने अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत शिकायत की है।

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के कार्य और शक्तियां अधिनियम की धारा 9 से 14 तथा नियमों की धारा 6 से 10 में निहित हैं।

शिकायतों के निवारण के तौर–तरीके

शिकायतः (धारा 9 का कार्य)

महिला कर्मचारी या कोई भी पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर और घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में, अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जेकेडीएफसी के आईसीसी को लिखित रूप में कर सकती है। आंतरिक शिकायत समिति पीड़ित महिलाओं को लिखित रूप में शिकायत करने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेगी। यदि आईसीसी को लगता है कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं, जिनके कारण महिला निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर शिकायत दर्ज नहीं कर पाई, तो इस समय सीमा को 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

क. श्रीमती नवनीत कौर, सहायक महाप्रबंधक, जेकेडीएफसी – पीठासीन अधिकारी के रूप में

i. अपने रिश्तेदार या मित्र के माध्यम से;

ii. अपने सह कर्मी के माध्यम से;

iii. राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग के किसी भी अधिकारी के माध्यम से; या

iv. किसी भी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से पीड़ित महिला की लिखित सहमति से जिसे घटना की जानकारी हो,

ख. जहां पीड़ित महिला अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां शिकायत निम्न द्वारा दर्ज की जा सकती है–

i. उसका रिश्तेदार या मित्र; या

ii. कोई विशेष शिक्षक; या

iii. कोई योग्य मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक; या

iv. अभिभावक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखभाल प्राप्त कर रही है; या

v. कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी उसके रिश्तेदार या मित्र या विशेष शिक्षक या योग्य मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, या अभिभावक या

'Respondent' as per section 2(m) of the Act, shall mean a person against whom the aggrieved woman has made a complaint under section 9 of the Act.

Functions & Powers of Internal Complaints Committee (ICC) contained under section 9 To 14 of the Act, and 6 to 10 of the Rules.

Modalities for redressal of Complaints

COMPLAINT: (Section 9 of the Act)

The woman employee or any aggrieved woman for that matter, may make, in writing, a complaint of sexual harassment at the workplace within a period of three months from the date of incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of the last incident to ICC of JKDFC. The Internal Complaints Committee shall render all the reasonable assistance to the aggrieved women for making the complaints in writing. This time limit may further be extended for 3 months if the ICC is satisfied that there were circumstances that prevented the woman from filing a complaint within the specified timeline.

A. Where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical incapacity, a complaint may be filed by-

i. her relative or friend;

ii. her co- worker;

iii. an officer of the National Commission for Women or State Women's Commission; or

iv. any person who has knowledge of the incident, with the written consent of the aggrieved woman.

B. Where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her mental incapacity, a complaint may be filed by-

i. her relative or friend; or

ii. a special educator; or

iii. a qualified psychiatrist or psychologist; or

iv. the guardian or authority under whose care she is receiving treatment or care; or

v. any person who has knowledge of the incident jointly with her relative or friend or a special educator or qualified psychiatrist or psychologist, or guardian or authority under

प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखभाल प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से हो;

ग. जहां पीड़ित महिला किसी अन्य कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां घटना के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी लिखित सहमति से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

घ. जहां पीड़ित महिला की मृत्यु हो गई है, वहां घटना के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके कानूनी उत्तराधिकारी की लिखित सहमति से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

जाँच करनाः

सुलहः (जैसा कि अधिनियम के अनुच्छेद 10 में निहित है।)

शिकायत की प्रक्रिया और जांचः (जैसा कि अधिनियम की धारा 9 से 14 और नियम 7 और 10 में निहित है)

1. शिकायतकर्ता शिकायत की 3 प्रतियां सहायक दस्तावेजों और गवाहों के नाम और पते, यदि कोई हो, के साथ आईसीसी को प्रस्तुत करेगा।

2. आईसीसी का पीठासीन अधिकारी शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर तुरंत शिकायत की एक प्रति प्रतिवादी को भेजेगा।

3. प्रतिवादी आईसीसी से शिकायत की प्रति प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अपने दस्तावेजों की सूची और गवाहों के नाम और पते, यदि कोई हो, के साथ अपना उत्तर दाखिल करेगा।

4. समिति (आईसीसी के पीठासीन अधिकारी सहित कम से कम तीन सदस्य), जांच करते समय, अपने पास भेजी गई शिकायत की जांच करते समय, दोनों पक्षों को अलग–अलग बुलाएगी, सुनेगी, सबूत (यदि कोई हो) देखेगी, पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित करेगी, पक्षों को गवाह पेश करने और अपनी बात रखने की अनुमति देगी। जांच के दौरान दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

5 यदि शिकायतकर्ता या प्रतिवादी पीठासीन अधिकारी द्वारा आयोजित लगातार तीन सुनवाईयों में बिना पर्याप्त कारण के उपस्थित नहीं होता है, तो आईसीसी को जांच कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एकपक्षीय निर्णय देने का अधिकार

whose care she is receiving treatment or care;

C. Where the aggrieved woman for any other reason is unable to make a complaint, a complaint may be filed by any person who has knowledge of the incident, with her written consent.

D. Where the aggrieved woman is dead, a complaint may be filed by any person who has knowledge of the incident, with the written consent of her legal heir.

INQUIRY:

Conciliation: (as contained in section 10 of the Act)

Manner & Inquiry of the Complaint: (as contained in Section 9 to 14 of Act and Rule 7 & 10)

1. The Complainant shall submit 3 copies of complaints to ICC along with supporting documents and the names and addresses of the witnesses, if any.

2. The Presiding Officer of the ICC shall immediately send one copy of the complaints to the respondent within 7 days of receipt of complaint.

3. The respondent shall file his reply along with his list of documents and the name and addresses of the witnesses, if any within 10 days of receipt of complaint copy from the ICC.

4. The Committee, (a minimum of three members including the Presiding Officer of ICC), in conducting the inquiry, while inquiring the complaint referred to it, will call upon both the parties separately, listen, look at proof (if any), verify documents produced by the parties, allow the parties to produce witnesses and to put forth their say. Both the parties during the course of enquiry shall be given an opportunity of being heard.

5. ICC shall have the right to terminate the inquiry proceedings or to give an ex-parte decision on the complaint, if the complainant or respondent fails, without sufficient cause, to present herself or himself for three consecutive hearings convened by the Presiding Officer. However, a written

होगा। हालांकि, समाप्त करने या एकपक्षीय निर्णय देने से पहले आईसीसी द्वारा 15 दिन पहले लिखित नोटिस दिया जाएगा।

6. आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) प्रक्रिया के दौरान शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान, पीड़ित महिला, प्रतिवादी और गवाहों की पहचान और पता तथा शिकायतों की विषय–वस्तु और इसकी जांच कार्यवाही, रिपोर्ट, सिफारिशें आदि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की सुरक्षा करेगी और यह सारी जानकारी किसी भी तरह से जनता, प्रेस और मीडिया को नहीं बताई जाएगी या गोपनीय रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जिसे उपरोक्त जानकारी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, इसका उल्लंघन करता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी उससे 5000/– रुपये का जुर्माना वसूल करेगा।

7. किसी भी पक्ष को शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी वकील को लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. जांच के अंत में, समिति शिकायत पर निष्कर्षों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और जांच पूरी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अनुशासनात्मक प्राधिकारी, पीड़ित महिला और प्रतिवादी को ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करेगी।

9. यदि आंतरिक शिकायत समिति जांच के निष्कर्ष पर पाती है कि आरोप दुर्भावनापूर्ण था या यह जानते हुए भी कि आरोप झूठा है, शिकायत की गई है और या कोई जाली/भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, तो वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी जो प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित होने पर इस नीति के तहत दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के लिए निर्धारित की गई है। ऐसे सभी मामलों में किसी भी कार्रवाई की सिफारिश करने से पहले महिला की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे की पुष्टि होनी चाहिए। हालांकि, शिकायत को पुष्ट करने या पर्याप्त सबूत देने में असमर्थता के कारण शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। शिकायतकर्ता की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे की पुष्टि कंपनी की मानव संसाधन नीति के अनुसार जांच के बाद मामलानुसार, किसी भी कार्रवाई की सिफारिश करने से पहले, की जाएगी।

notice of 15 days shall be given in advance by ICC before terminating or giving exparte decision.

6. The Internal Complaints Committee (ICC) will protect the identity of all individuals involved during the process, identity and the address of the aggrieved woman, respondent, and witnesses and contents of complaints and its enquiry proceedings, reports, recommendations etc., action taken by the Disciplinary Authority and all this information shall not be communicated or made known to the public, press and media in any manner. In case any person entrusted to protect the aforesaid information, contravenes it, the Disciplinary Authority shall recover Rs.5000/- as penalty from him/her.

7. None of the parties shall be allowed to bring in any legal practitioner to represent them in their case at any stage of the proceedings before the Complaints Committee.

8. At the end of the inquiry, the Committee shall prepare a report of findings on the complaint and provide a copy of such report to the Disciplinary Authority, aggrieved woman and the respondent within 10 days from the date of completion of enquiry.

9. In case the Internal Complaints Committee on conclusion of the enquiry finds that the allegation was malicious or has made the complaints knowing it to be false, and or has produced any forged / misleading document, it will recommend to the Disciplinary Authority to take such actions which are prescribed to be taken in case of allegation against the respondent has been proved under this policy against the woman who has made the malicious complaint. In all such cases the malicious intent on the part of the woman must be established before any action is recommended. However, mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof need not attract action against complainant. Malicious intent on the part of complainant shall be established after an enquiry as per HR policy of the Company, as the case may be, before any action is recommended.

10. आईसीसी आम तौर पर शिकायत प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी कर लेगी।
11. जांच पूरी होने पर आईसीसी दस दिनों के भीतर प्रतिवादी के अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
12. आईसीसी की सिफारिशों पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उन्हें प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर कार्रवाई की जानी है।
13. जहां कंपनी के किसी अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत है, ऐसी शिकायतों की जांच के लिए शिकायत समिति को इन नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाएगा और शिकायत समिति, यदि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, तो जहां तक संभव हो, प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी।

राहत :

जांच लंबित रहने के दौरानः (जैसा कि अधिनियम की धारा 12 और नियम 8 में निहित है) जांच पूरी होने परः (अधिनियम की धारा 13 से 15)

क. यदि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो आईसीसी अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सिफारिश करेगा कि मामले में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

ख. यदि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया है, तो समिति प्रतिवादी के अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सिफारिश करेगीः –

- कदाचार के अनुसार कार्रवाई।
- लागू सेवा नियमों में किसी भी बात के बावजूद, प्रतिवादी के वेतन या मजदूरी से ऐसी राशि की कटौती करना, जिसे वह पीड़ित महिला या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान करने के लिए उचित समझे;
- यदि प्रतिवादी इसे भुगतान करने में विफल रहता है, तो आईसीसी संबंधित जिला अधिकारी को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश भेज सकता है।

पीड़ित महिला को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करते समय आईसीसी को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगाः –

10. ICC generally shall complete the inquiry within a period of ninety days of receiving the complaint.
11. Upon completion of inquiry, ICC will submit its findings and report including recommendations to the Disciplinary Authority of the respondent within ten days.
12. The recommendations of the ICC is to be acted upon within 60 days of receipt of the same by the Disciplinary Authority.
13. Where there is a complaint of sexual harassment against an officer of the company, the Complaints Committee for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the Inquiring Authority appointed by the Disciplinary Authority for the purpose of these rules and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassments, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure.

RELIEF:

During the pendency of inquiry: (as contained in Section 12 of the Act and Rule 8) On completion of inquiry: (section 13 to 15 of the Act)

A. If the allegation has not been proved, ICC shall recommend to the Disciplinary Authority that no action is required to be taken in the matter.

B. If the allegation against the respondent has been proved, the committee shall recommend to the Disciplinary Authority of the respondent: -

- Actions in accordance with misconduct.
- To deduct, notwithstanding anything in the service rules applicable, from the salary or wages of the respondent the such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or her legal heir;
- In case the respondent fails to pay the same, ICC may forward the order for recovery of sum as an arrear of land revenue to the concerned District Officer.

The ICC shall while determining the compensation which is to be paid to aggrieved woman, shall have regard to: -

क. पीड़ित महिला को पहुंचा मानसिक आघात, दर्द, पीड़ा और भावनात्मक संकट;

ख. यौन उत्पीड़न की घटना के कारण करियर के अवसर में नुकसान;

ग. शारीरिक या मानसिक उपचार के लिए पीड़ित द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय

घ. प्रतिवादी की आय और वित्तीय स्थिति।

इ. एकमुश्त या किश्तों में इस तरह के भुगतान की व्यवहार्यता।

च. सेवा से बर्खास्तगी या परामर्श सत्र से गुजरना या सामुदायिक सेवाएं करना।

इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता के कर्तव्य (अधिनियम की धारा 19 और नियम 13)

इस कानून में नियोक्ता को कुछ कर्तव्य भी सौंपे गए हैं, जिनमें कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज कराने में महिला को सहायता प्रदान करना आदि शामिल हैं।

क्या यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम की धारा 16 और 17 तथा नियम 12) के अधीन है?

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत निहित किसी भी बात के बावजूद, धारा 9 के तहत की गई शिकायत की सामग्री, पीड़ित महिला, प्रतिवादी और गवाहों की पहचान और पता; सुलह और जांच कार्यवाही, आईसीसी की सिफारिशों और इस अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी तरह से जनता, प्रेस और मीडिया को प्रकाशित, संप्रेषित या बताई नहीं जाएगी। इस अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाने के बारे में जानकारी नाम, पता और पहचान या किसी अन्य विवरण का खुलासा किए बिना प्रसारित की जा सकती है जिससे पीड़ित महिला या गवाहों की पहचान हो सके।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की सिफारिश के खिलाफ अपीलः (अधिनियम की धारा 18 और नियम 11)

a. The mental trauma, pain, suffering and emotional distress caused to the aggrieved woman;

b. The loss in the career opportunity due to the incident of sexual harassment;

c. Medical expenses incurred by the victim for physical or psychiatric treatment

d. The income and financial status of the respondent.

e. Feasibility of such payment in lump sum or in instalments.

f. Termination from Services or undergoing a Counselling session or to carry out community services.

DUTIES OF THE EMPLOYER UNDER THIS ACT (Section 19 of the Act and Rule 13)

The legislation also provides certain duties to Employer including providing safe working environment at the workplace, organizing workshops and awareness programme, assistance to the woman in filing a complaint in relation to the offence under Indian Penal Code etc.

WHETHER AMENABLE TO RTI ACT, 2005 (Section 16 & 17 of the Act and Rule 12)

Notwithstanding anything contained under RTI Act of 2005, the content of complaint made under section 9, the identity & address of the aggrieved women, respondent & witnesses; any information relating to conciliation & inquiry proceedings, recommendations of the ICC and the action taken by Disciplinary Authority under this Act shall not be published, communicated or made known to public, press & media in any manner. Information may be disseminated regarding the justice secure to any victim of sexual harassment under this Act without disclosing name, address & identity or any other particulars which may lead to identification of aggrieved women or witnesses.

Appeal against the recommendation of Internal Complaints Committee (ICC) constituted under the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013: (Section 18 of Act and Rule 11)

आईसीसी द्वारा की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिश के गैर–कार्यान्वयन से व्यथित कोई भी व्यक्ति, सिफारिश के 90 दिनों की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, यौन उत्पीडन रोकथाम अधिनियम के तहत निर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

अपील की गई सिफारिश के बारे में सूचना मिलने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपील की जाएगी। अपील अनुशासनात्मक प्राधिकरण को संबोधित की जाएगी और आईसीसी को प्रस्तुत की जाएगी जिसके आदेश के खिलाफ अपील की गई है। आईसीसी 15 दिनों के भीतर अपील को अपनी टिप्पणियों और मामले के रिकॉर्ड के साथ अनुशासनात्मक प्राधिकरण को भेजेगा। अनुशासनात्मक प्राधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या निष्कर्ष न्यायोचित हैं या क्या दंड अत्यधिक या अपर्याप्त है और अपील की तारीख से तीन महीने के भीतर उचित आदेश पारित करेगा। अनुशासनात्मक प्राधिकरण दंड की पुष्टि, वृद्धि, कमी या उसे रद्द करने या मामले को उस प्राधिकरण को वापस भेजने का आदेश पारित कर सकता है जिसने दंड लगाया था या किसी अन्य प्राधिकरण को ऐसे निर्देश के साथ जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान, कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, तीन निदेशकों (02 गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक) वाली बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति 23.09.2020 को 27.07.2023 तक विधिवत गठित की गई थी।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण और डीपीई, भारत सरकार के साथ कई बार उठाया गया है।

Any person aggrieved from the recommendations made by the ICC or non- implementation of such recommendation may prefer an appeal to the concerned Authority as specified under the POSH Act, as the case may be, within a period of 90 days of the recommendation.

An appeal shall be preferred within ninety days from the date of communication of the recommendation appealed against. The appeal shall be addressed to the Disciplinary Authority and submitted to ICC whose order is appealed against. The ICC shall forward the appeal together with its comments and the records of the case to the Disciplinary Authority within 15 days. The Disciplinary Authority shall consider whether the findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders within three months of the date of appeal. The Disciplinary Authority may pass order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty or remitting the case to the Authority which imposed the penalty or to any other Authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case.

During the financial year 2023-2024, there were nil complaints recorded pertaining to sexual harassment with Internal complaints committee as per Sexual Harrasment of Women at Workplaces (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Audit Committee

In terms of Section 177 of the Companies Act, 2013, an Audit Committee of the Board comprising of three directors (02 non-official Independent Directors) was duly constituted on 23-09-2020 till 27.07.2023.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Audit Committee is not constituted as per section 177 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

जेकेडीएफसी, जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का वैध रूप से गठन करेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें

(1) प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगे–

  (i) कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश;

  (ii) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;

  (iii) वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;

  (iv) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन की स्वीकृति या बाद में कोई संशोधन;

  (v) अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;

  (vi) कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;

  (vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

  (viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी।

(2) लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के दायरे, लेखापरीक्षा के अवलोकनों और वित्तीय विवरण की समीक्षा सहित बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है और आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा भी कर सकती है।

(3) लेखापरीक्षा समिति को उप–धारा (4) में निर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा संदर्भित मदों के संबंध में किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार होगा और इस उद्देश्य के लिए बाहरी स्रोतों से पेशेवर सलाह प्राप्त करने की शक्ति होगी और कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूरी पहुंच होगी।

JKDFC shall validly constitute the Audit Committee as per section 177 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

THE TERMS OF REFERENCE OF THE AUDIT COMMITTEE AS PER SECTION 177 OF THE COMPANIES ACT, 2013

(1) Every Audit Committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the Board which shall, inter alia, include—

  (i) the recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company;

  (ii) review and monitor the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;

  (iii) examination of the financial statement and the auditors' report thereon;

  (iv) approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties;

  (v) scrutiny of inter-corporate loans and investments;

  (vi) valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary;

  (vii) evaluation of internal financial controls and risk management systems;

  (viii) monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters.

(2) The Audit Committee may call for the comments of the auditors about internal control systems, the scope of audit, including the observations of the auditors and review of financial statement before their submission to the Board and may also discuss any related issues with the internal and statutory auditors and the management of the company.

(3) The Audit Committee shall have authority to investigate into any matter in relation to the items specified in sub-section (4) or referred to it by the Board and for this purpose shall have power to obtain professional advice from external sources and have full access to information contained in the records of the company.

(4) किसी कंपनी के लेखापरीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार होगा जब वह लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करती है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) धारा 134 की उपधारा (3) के अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट में लेखापरीक्षा समिति की संरचना का खुलासा किया जाएगा और जहां बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, वहां ऐसी रिपोर्ट में उसके कारणों के साथ उसका खुलासा किया जाएगा।

(6) निदेशकों और कर्मचारियों के लिए अपनी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए एक सतर्कता तंत्र और ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा और उचित या असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का प्रावधान करेगा। बशर्ते कि ऐसे तंत्र की स्थापना का विवरण कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, और बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार तथा उन्हें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निम्नलिखित कथन करते हैं।

1. कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही भौतिक विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;
2. कि उचित लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
3. कि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;

(4) The auditors of a company and the key managerial personnel shall have a right to be heard in the meetings of the Audit Committee when it considers the auditor's report but shall not have the right to vote.

(5) The Board's report under sub-section (3) of section 134 shall disclose the composition of an Audit Committee and where the Board had not accepted any recommendation of the Audit Committee, the same shall be disclosed in such report along with the reasons thereof.

(6) A vigil mechanism for the directors and employees to report their genuine concerns or grievances and shall provide for adequate safeguards against victimization of persons who use such mechanism and make provision for direct access to the chairperson of the Audit Committee in appropriate or exceptional cases. Provided that the details of establishment of such mechanism shall be disclosed by the company on its website, if any, and in the Board's report.

Directors Responsibility Statement

To the best of their knowledge and belief and according to the information and explanations furnished to them, your Directors make the following statement in terms of Section 134(5) of the Companies Act, 2013.

1. that in the preparation of Annual Accounts for the financial year ended 31st March, 2024, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
2. that appropriate accounting policies have been selected and applied consistently and judgments and estimates that are reasonable and prudent have been made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;
3. that proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing fraud and other irregularities;

4. 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक लेखे चालू वित्त वर्ष के आधार पर तैयार किए गए हैं; और
5. सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

सार्वजनिक जमा, संबंधित पक्ष अनुबंध और निवेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने जनता या अपने कर्मचारियों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। वर्ष के दौरान किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) के तहत प्रकट की जाने वाली जानकारी शून्य है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निवेश करने या ऋण देने या किसी व्यक्ति को गारंटी प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी शून्य है।

बोर्ड समितियाँ

1. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों वाली बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति भी 27.07.2023 तक विधिवत गठित की गई थी। जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण और डीपीई, भारत सरकार के साथ कई बार उठाया गया है। जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का वैध रूप से गठन करेगा जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों वाली बोर्ड की एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति भी 27.07.2023 तक विधिवत गठित की गई थी। जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया

4. that the Annual Accounts for the period ended 31st March, 2024 have been prepared on a going concern basis; and
5. that proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws have been devised and such systems are adequate and are operating effectively.

Public Deposits, Related Party Contracts and Investments

The Corporation has not accepted any deposits from the public or its employees during the year under review. No contract or arrangement was entered into with a related party during the year so information to be disclosed under Section 188(1) of the Companies Act 2013 is Nil. The information required under section 186 of the Companies Act, 2013 making of investment or giving of loan or providing guarantee to any person is Nil.

Board Committees

1. Audit Committee:

In terms of Section 177 of the Companies Act, 2013, an Audit Committee of the Board comprising of non-official Independent Directors also was duly constituted till 27.07.2023. The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to completion of tenure of independent directors, the Audit Committee is not constituted as per section 177 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI. JKDFC shall validly constitute the Audit Committee as per section 177 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

2. Nomination and Remuneration Committee:

In terms of Section 178 of the Companies Act, 2013, a Nomination and Remuneration Committee of the Board comprising of non-official Independent Directors also was duly constituted till 27.07.2023. The tenure of two Independent

और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण एवं डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है। जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी, जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार वैध रूप से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा।

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समितिः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों वाली बोर्ड की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति भी 27.07.2023 तक विधिवत गठित की गई थी। जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण और डीपीई, भारत सरकार के साथ कई बार उठाया गया है। जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का वैध रूप से गठन करेगा, जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मंडल की तीन बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठकें 24.07.2023, 22.09.2023 और 26.12.2023 को आयोजित की गईं।

कर्मचारियों के विवरण के बारे में कथन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम के किसी भी कर्मचारी को पूरे वर्ष में साठ लाख रुपये या उससे अधिक या वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित होने पर प्रति माह पाँच लाख रुपये या उससे अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to completion of tenure of independent directors, the Nomination and Remuneration Committee is not constituted as per section 178 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI. JKDFC shall validly constitute the Nomination and Remuneration Committee as per section 178 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

3. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee:

In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) committee of the Board comprising of non-official Independent Directors also was duly constituted till 27.07.2023. The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to completion of tenure of independent directors, the Corporate Social Responsibility (CSR) committee is not constituted as per section 135 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI. JKDFC shall validly constitute the Corporate Social Responsibility (CSR) committee as per section 135 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

Number of meetings of the Board

Three meetings of the Board of Directors were held during the year 2023-24. Board meetings were held on 24.07.2023, 22.09.2023 & 26.12.2023.

Statement about particulars of employees

None of the employees of the Corporation was in receipt of remunerations of Rupees sixty lakh or more employed throughout the year or Rupees five lakh or more per month if employed for a part of the year during the period under review. As such the information regarding employees

और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी शून्य है।

सीएसआर नीति और सीएसआर पर व्यय

निगम द्वारा गठित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का 27.07.2023 तक विधिवत गठन किया गया।

सीएसआर समिति ने 09.12.2021 को आयोजित अपनी पहली बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष निम्नलिखित सीएसआर नीति का प्रस्ताव रखा, जिसे निदेशक मंडल द्वारा 23.12.2021 को आयोजित अपनी बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया। तदनुसार निगम द्वारा अपनाई गई सीएसआर नीति निम्नानुसार हैः

सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड की कॉर्पोरेट के लिए

1 परिचय

1.1. जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम दर्शन

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, सार्वभौमिक मानवाधिकारों और पर्यावरण के सम्मान के माध्यम से समाज की बेहतरी, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करना और जिम्मेदारी और स्थायी रूप से संचालन करना शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है।

1.2. भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

भारत में सीएसआर गतिविधियों में कॉर्पोरेट निकायों की भागीदारी कोई नई अवधारणा नहीं है। औद्योगिक प्रमुख लंबे समय से सामाजिक विकास गतिविधियों में लगे हुए हैं। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 ने इसे कानूनी दायरे में ला दिया है। यह अर्हता प्राप्त कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करने का अधिकार देता है, ताकि वे प्रभावी रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार कर सकें और बोर्ड को इसकी सिफारिश कर सकें। यह नीति कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी, ऐसी गतिविधियों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करेगी और समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करेगी। इसके अलावा, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 (जिसे आगे

covered under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014 is Nil.

CSR Policy & Expenditure on CSR

The Corporation constituted the Corporate Social Responsibility Committee was duly constituted till 27.07.2023.

The CSR committee in its 01st meeting held on 09.12.2021 proposed the following CSR Policy to the Board of Directors which was duly approved by the Board of Directors in their meeting held on 23.12.2021. Accordingly CSR Policy adopted by the Corporation is as under:

Corporate Social Responsibility (CSR) Policy

For Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited

1. Introduction

1.1. Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Philosophy

Our commitments towards Corporate Social Responsibility include but not limited to, promotion of education and healthcare, energy and climate change, and betterment of the society through respect for universal human rights and the environment, acting with integrity and accountability and operating responsibly and sustainably.

1.2. CSR in India

Corporate bodies' involvement in CSR activities is not a new concept in India. Industrial majors are engaged in social development activities since long back. However, the Companies Act, 2013 has brought it under the legal purview. It mandates qualifying companies to constitute Corporate Social Responsibility Committee to effectively formulate and recommend to the Board a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Company, recommend the amount of expenditure to be incurred on such activities and monitor CSR Policy of the Company from time to time. Further the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 (hereinafter referred to as

”सीएसआर नियम” कहा जाएगा) सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए रूपरेखा और तौर–तरीके निर्धारित करता है, जो अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट हैं।

2. उद्देश्य और कार्य क्षेत्र

2.1. उद्देश्य

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य **जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड** (इसके बाद इसे ‘कंपनी’ कहा जाएगा) के लिए दिशानिर्देश तैयार करना है ताकि पर्यावरण और समाज के प्रति कंपनी की रुचि के अनुरूप सीएसआर को एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बनाया जा सके जो कारगर, प्रभावी और सतत विकास कार्यक्रमों के जरिए समाज में सकारात्माक योगदान पर ध्यान केंद्रित करता है।

यह नीति कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों को कवर करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे समय–समय पर संशोधित अधिनियम की अनुसूची–VII के अनुरूप हैं जैसा कि नीचे बताया गया है। इसमें वह रणनीति शामिल है जो भविष्य की सीएसआर गतिविधियों के लिए योजनाओं को परिभाषित करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII:

गतिविधियाँ जिन्हें कंपनियाँ अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीतियों में शामिल कर सकती हैं:–

(i) भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाना, ‘निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना’ और स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित स्वच्छता पहल को सहायता प्रदान करना।

(ii) विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं।

(iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना; वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय।

(iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण,

“the CSR Rules”) lay down the framework and modalities for carrying out CSR activities which are specified in Schedule VII of the Act.

2. Objective and Scope

2.1. Objective

The main objective of the CSR Policy is to lay down guidelines for Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited (hereinafter referred to as ‘the Company’) to make CSR as one of the key focus areas to adhere to Company’s interest in environment and society that focuses on making a positive contribution to society through effective impact and sustainable development programs.

This Policy covers the CSR activities to be undertaken by the Company and ensuring that they are in line with Schedule VII of the Act as amended from time to time as detailed under. It covers the strategy that defines plans for future CSR activities.

SCHEDULE VII of the Companies Act, 2013:

Activities which may be included by companies in their Corporate Social Responsibility Policies Activities relating to:—

(i) Eradicating hunger, poverty and malnutrition, ‘‘promoting health care including preventive health care’’ and sanitation including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water.

(ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects.

(iii) promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups.

(iv) ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora

कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना, जिसमें गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान देना शामिल है।

(v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा, जिसमें ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों तथा कलाकृतियों का जीर्णोद्धार शामिल है; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास;

(vi) सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के दिग्गजों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय;

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालिंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण

(viii) प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान;

(ix) (क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान; और

(ख) सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को योगदान; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और स्वायत्त निकाय; जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); फार्मास्यूटिकल्स विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय,

and fauna, animal welfare, agro forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga.

(v) protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional art and handicrafts;

(vi) measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents, Central Armed Police Forces (CAPF) and Central Para Military Forces (CPMF) veterans, and their dependents including widows;

(vii) training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and olympic sports

(viii) contribution to the prime minister's national relief fund or Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) or any other fund set up by the central govt. for socio economic development and relief and welfare of the schedule caste, tribes, other backward classes, minorities and women;

(ix) (a) Contribution to incubators or research and development projects in the field of science, technology, engineering and medicine, funded by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or any agency of the Central Government or State Government; and

(b) Contributions to public funded Universities; Indian Institute of Technology (IITs); National Laboratories and autonomous bodies established under Department of Atomic Energy (DAE); Department of Biotechnology (DBT); Department of Science and Technology (DST); Department of Pharmaceuticals; Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH); Ministry of Electronics and Information Technology and

अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।

(ग) ग्रामीण विकास परियोजनाएँ

(xi) कच्ची बस्ती/झोपंड पट्टी (स्लम) क्षेत्र का विकास।

स्पष्टीकरण– इस मद के प्रयोजनों के लिए, ' कच्ची बस्ती/झोपंड पट्टी (स्लम) क्षेत्र' शब्द का अर्थ किसी भी कानून के तहत केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित कोई क्षेत्र होगा।

(xii) आपदा प्रबंधन, जिसके अंतर्गत राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां शामिल हैं।

2.2. क्षेत्र एवं दायरा

कंपनी की सीएसआर गतिविधियों में समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII द्वारा निर्धारित किसी भी या सभी क्षेत्रों/गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित होगी। इसके अलावा, कंपनी समय–समय पर अनुसूची VII के संदर्भ में क्षेत्रों/गतिविधियों की समीक्षा करेगी और कंपनी की सीएसआर नीति के उपरोक्त क्षेत्रों/गतिविधियों में परिवर्धन/हटाव/स्पष्टीकरण करेगी।

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

3.1. गठन

अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करेगा। सीएसआर के सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी, जिसमें कम से कम तीन या अधिक निदेशक होने चाहिए, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। तदनुसार, जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा गठित सीएसआर समिति का गठन इस प्रकार है:

other bodies, namely Defense Research and Development Organisation (DRDO); Indian Council of Agricultural Research (ICAR); Indian Council of Medical Research (ICMR) and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs).

(x) rural development projects

(xi) slum area development.

Explanation.- For the purposes of this item, the term `slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force.

(xii) disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.

2.2. Scope & Coverage

The CSR activities of the Company shall include, but shall be limited to any or all of the sectors/ activities as may be prescribed by Schedule VII of the Companies Act, 2013 amended from time to time. Further, the Company shall review the sectors/activities with reference to Schedule VII from time to time and make additions/ deletions/ clarifications to the above sectors/activities of the Company's CSR Policy.

3. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

3.1. Constitution

Pursuant to the provisions of Section 135 of the Act, the Board of Directors shall constitute the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee. The Members of CSR shall be appointed by the Board of Directors of the Company which must consist of at least three or more Directors out of which at least one director shall be an independent director. Accordingly, the constitution of CSR Committee formed by Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited is as follows:

क्र.सं. S. No.	सदस्य का नाम/ Name of the member	समिति में पदनाम Designation in committee	जेकेडीएफसी में पदनाम Designation in JKDFC
1	आयुक्त/सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार Commissioner/ Secretary, Industries & Commerce Department, Govt. of Jammu & Kashmir.	सीएसआर समिति के अध्यक्ष Chairman of CSR Committee	निदेशक Director
2	जेकेडीएफसी के प्रबंध निदेशक। Managing Director, JKDFC.	सीएसआर समिति के सदस्य Member of CSR Committee	प्रबंध निदेशक Managing Director
3	श्रीमती रशिम सूद Smt. Rashim Sood.	सीएसआर समिति के सदस्य Member of CSR Committee	स्वतंत्र निदेशक Independent Director
4.	डॉ. सुनील कुमार बघेल Dr. Sunil Kumar Baghel.	सीएसआर समिति के सदस्य Member of CSR Committee	स्वतंत्र निदेशक Independent Director

3.2. समिति के कार्य

सीएसआर के संबंध में कंपनी के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करना और कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (3) के तहत निर्धारित कार्यों को पूरा करना, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(क) बोर्ड को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, जिसमें अनुसूची टप्प में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का संकेत दिया जाएगा;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना; और

(ग) समय–समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (3) के तहत सीएसआर समिति के उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सीएसआर समिति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्देशित अतिरिक्त कार्य करेगी।

3.3. समिति की बैठकें

समिति के सुचारू संचालन के लिए, सदस्य आवश्यकतानुसार/बोर्ड की नीति/निर्देशों के अनुसार मामलों पर चर्चा करने और आवश्यक निर्णय लेने के लिए बैठक आयोजित करेंगे;

3.2. Functions of Committee

To effectively implement the objectives of the Company with respect to CSR and to carry out the function as laid down under sub section (3) of section 135 of the Companies Act as enumerated below:

(a) formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company in areas or subject, specified in Schedule VII;

(b) recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause (a); and

(c) monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the company from time to time

In addition to the above functions of the CSR Committee as provided under sub section (3) of section 135 of the Companies Act, 2013, the CSR committee shall perform additional function(s) as directed by the Board of Directors of the Company in order to carry out the CSR objectives of the company smoothly.

3.3. Meetings of the Committee

For smooth functioning of the Committee, the members shall meet as and when necessary/as prescribed by the policy/directions of the Board in order to discuss matters and to take such decisions as may be necessary;

समिति के सदस्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से भाग ले सकते हैं, जैसा कि सुविधाजनक हो।

4. सीएसआर खर्च

कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निर्धारित राशि को कंपनी की निर्धारित सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करेगी। इस उद्देश्य के लिए एक वर्ष के लिए वार्षिक शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार की जाएगी।

4.1. सीएसआर राशि खर्च करने में विफल होने पर

यदि कंपनी किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो समिति का यह कर्तव्य है कि वह निदेशक मंडल को लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें राशि खर्च न करने के कारण बताए जाएं, जिसे निदेशक मंडल द्वारा उस विशेष वित्तीय वर्ष से संबंधित अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा और जब तक कि अव्ययित राशि अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी चालू परियोजना से संबंधित न हो, ऐसी अव्ययित राशि को अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

5. सीएसआर पहलें

अधिनियम की अनुसूची VII और सीएसआर नियमों के अनुसार, कंपनी प्रत्येक वर्ष सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित सीएसआर गतिविधियाँ करेगी।

6. सीएसआर नीति की रिपोर्टिंग और प्रकाशन

सीएसआर नियमों के अनुसार, सीएसआर नीति की सामग्री को निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

7. निगरानी तंत्र

निगम का प्रबंधन सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करेगा। प्रबंधन, यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में निगम के कर्मचारियों की एक टीम का गठन कर सकता है।

The Members of the Committee may participate in the meeting either in person or through video conferencing or other audio visual means as may be convenient.

4. CSR Spend

The Company shall spend the amount as prescribed u/s 135 of the Companies Act, 2013 towards the prescribed CSR activities of the Company. Annual Net Profit for this purpose for a year to be calculated as per Section 198 of the Companies Act, 2013.

4.1. Failure to spend the CSR Money

If the Company fails to spend the required amount in a particular financial year, it is the duty of the Committee to submit a report in writing to the Board of Directors specifying the reasons for not spending the amount, which in turn shall be reported by the Board of Directors in their Annual Report pertaining to that particular Financial Year and unless unspent amount relates to any ongoing project referred to its sub-section (6) of Section 135 of the Act transfer such unspent amount to a Fund specified in Schedule VII within a period of six months of the expiry of the Financial Year in accordance with the provisions of Sub-section (5) of Section 135 of the Act.

5. CSR Initiatives

Pursuant to Schedule VII of the Act and the CSR Rules, the Company shall undertake CSR activities as recommended by the CSR Committee for each year.

6. Reporting and publication of CSR policy

As per the CSR Rules, the contents of the CSR Policy shall be included in the Directors' Report and the same shall be displayed on the Company's website.

7. Monitoring Mechanism

The Management of the Corporation shall ensure effective implementation and monitoring of the projects approved by the Board of Directors of the Corporation as recommended by the CSR committee. The Management may, if needed, constitute a team of employees of the Corporation in this regard.

8. नीति की समीक्षा और भविष्य में संशोधन

निदेशक मंडल सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में किए गए संशोधनों के अनुरूप सीएसआर नीति को संशोधित/संशोधित कर सकता है।

सीएसआर व्यय

निगम के निदेशक मंडल ने 04.03.2024 को पारित प्रस्ताव द्वारा स्नातकोत्तर पैथोलॉजी विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर को दान के लिए स्वास्थ्य देखभाल की विभिन्न वस्तुओं की खरीद के लिए न्यूनतम राशि रु. 12, 80,606/– (केवल बारह लाख अस्सी हजार छह सौ छह रुपये) का संकल्प और सहमति व्यक्त की, अर्थात वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर देयता जिसका व्यय 31 मार्च, 2024 तक या उससे पहले किया जाना है। प्रबंध निदेशक को रु. 12, 80,606 (केवल बारह लाख अस्सी हजार छह सौ छह रुपये) से अधिक व्यय करने के लिए अधिकृत किया गया।

रु. 12,80,606/– से अधिक सीएसआर के लिए खर्च की गई राशि। 12,80,606/– (बारह लाख अस्सी हजार छह सौ छह रुपये मात्र) यानी वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर व्यय को आगामी वित्तीय वर्षों में कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित तरीके से अलग किया जा सकता है।

वास्तविक सीएसआर देनदारी 12,80,606/– (बारह लाख अस्सी हजार छह सौ छह रुपये मात्र) के विरुद्ध कुल 14,00,000/– (चौदह लाख रुपये मात्र) खर्च किए गए।

सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप अनुलग्नक II में संलग्न है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के खातों पर सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के संबंध में, स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

1. कंपनी ने अधिनियम की धारा 149 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार 28 जुलाई 2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है।

8. Policy review and future amendment

The Board of Directors may revise/ amend the CSR Policy based on the recommendations of the CSR committee or to bring the same in line with the amendments made in the relevant provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

CSR Expenditure

The Board of Directors of the Corporation by passing resolution by circulation passed on 04.03.2024 resolved and consented for procurement/purchase of various items of health care for donation to Postgraduate Department of Pathology, Govt. Medical College, Srinagar, J&K for a minimum amount of **Rs. 12, 80,606/-** (Rupees Twelve lakh eighty thousand six hundred six only) i.e. CSR liability during the FY 2022-23 expenditure of which is to be made by or before 31st March, 2024. Managing Director was authorised for making expenditure in excess of Rs. 12, 80,606 (Rupees Twelve lakh eighty thousand six hundred six only).

FURTHER amount spent towards CSR over and above Rs. 12,80,606/- (Rupees Twelve lakh eighty thousand six hundred six only) i.e. CSR liability during the FY 2022-23 may be set off in the succeeding financial years and in such manner as prescribed by Companies Act, 2013

A total amount of Rs. 14,00,000/- (Rupees Fourteen Lakhs only) was spent against the actual CSR liability of Rs. 12,80,606/- (Rupees Twelve lakh eighty thousand six hundred six only).

Format of Annual Report of CSR Activities is annexed at Annexure II.

Auditors Report

The Auditors' Report to the Members on the Accounts of the Corporation for the financial year ended on 31st March, 2024 is attached to this Report.

In connection with the Auditors observations in the report, the explanation is as under:

1. The Company has not appointed independent directors after 28th July 2023 as per the requirements under section 149 of the Act.

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार के साथ कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और जेकेडीएफसी के अध्यक्ष, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार को 18.07.2023 को एक अर्द्ध शासकीय पत्र जारी किया था।

इसके अलावा, जेकेडीएफसी के प्रबंध निदेशक द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 30.10.2023 और 23.04.2024 के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार को जेकेडीएफसी के बोर्ड के दो स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकता के अनुसार 28.7.2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के बाद कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के साथ कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में डीओपीटी, भारत सरकार को 18.07.2023 को एक डीओ पत्र जारी किया था।

इसके अलावा, जेकेडीएफसी के प्रबंध निदेशक द्वारा डी.ओ. पत्र दिनांक 30.10.2023 और 23.04.2024 के माध्यम से डी.पी.ई., भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के बोर्ड के दो स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी, जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार वैध रूप से लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगा।

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on 18.07.2023 to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated 30.10.2023 & 23.04.2024 to DPE, Govt. of India regarding reappointment of two Independent Directors of the Board of JKDFC.

2. The Audit committee of the company has not been constituted after the cessation of independent directors post 28.7.2023 as per the requirement of section 177 of the companies Act, 2013.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Audit Committee is not constituted as per section 177 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on 18.07.2023 to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated 30.10.2023 & 23.04.2024 to DPE, Govt. of India regarding reappointment of two Independent Directors of the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited.

JKDFC shall validly constitute the Audit Committee as per section 177 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत अपेक्षित, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति समाप्त होने के पश्चात् नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया तथा तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी एवं डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में डीओपीटी, भारत सरकार को 18.07.2023 को डीओपीटी पत्र जारी किया था।

इसके अलावा, जेकेडीएफसी के प्रबंध निदेशक द्वारा डी. ओ. पत्र दिनांक 30.10.2023 और 23.04.2024 के माध्यम से डी.पी.ई., भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के बोर्ड के दो स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी, जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का वैध रूप से गठन करेगा।

4. स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत अपेक्षित है।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया तथा तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी एवं डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

3. As required under section 178 of the companies Act, 2013, Nomination and Remuneration committee has not been constituted after the cessation of independent directors.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Nomination and Remuneration Committee is not constituted as per section 178 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on 18.07.2023 to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated 30.10.2023 & 23.04.2024 to DPE, Govt. of India regarding reappointment of two Independent Directors of the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited.

JKDFC shall validly constitute the Nomination and Remuneration Committee as per section 178 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

4. The Corporate Social Responsibility committee of the company has not been constituted after the cessation of independent directors as required under section 135 of the companies Act, 2013.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee is not constituted as per section 135 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में डीओपीटी, भारत सरकार को 18.07.2023 को एक डीओ पत्र जारी किया था।

इसके अलावा, जेकेडीएफसी के प्रबंध निदेशक द्वारा डी. ओ. पत्र दिनांक 30.10.2023 और 23.04.2024 के माध्यम से डीपीई, भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के बोर्ड के दो स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का वैध रूप से गठन करेगा, जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

5. किसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अभाव में, कंपनी द्वारा दिए गए अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज दर और दंडात्मक ब्याज की जांच के संबंध में ऑडिट प्रक्रिया सीमित है।

निगम सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन का प्रयास कर रहा है और प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन के लिए विचार किया जा रहा है।

6. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 (जी) के अनुसार, कंपनी ने ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा को सक्षम नहीं किया है, जो पूरे वर्ष सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन–देन के लिए संचालित की गई थी, जिसमें खातों की किताबें रखी जाती हैं।

जेकेडीएफसी वर्तमान में टैली ईआरपी 9 के पुराने संस्करण का उपयोग कर रहा है जिसमें ऑडिट ट्रेल का विकल्प नहीं है। जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 नियम 11 (जी) में अनिवार्य है, जेकेडीएफसी अब आवश्यकता के अनुसार ऑडिट ट्रेल/संपादन लॉग को सक्षम करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर को नए संस्करण में अपग्रेड करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2023–2024 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा मैसर्स गुप्ता मोनेश एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिस में कंपनी सचिव, जम्मू, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की गई थी और वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए दिनांक 19.06.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के संबंध में, स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on 18.07.2023 to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated 30.10.2023 & 23.04.2024 to DPE, Govt. of India regarding reappointment of two Independent Directors of the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited.

JKDFC shall validly constitute the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee as per section 135 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

5. In the absence of any Banking Software, Audit process is limited with respect to checking of the Interest rate and Penal Interest Charged on Advances given by the company.

The corporation is pursuing the implementation of software & is being considered for the implementation on priority basis.

6. As per rule 11(g) of companies (Audits & Auditors) rule 2014, the company has not enabled the audit trail (Edit log) facility which was operated throughout the year for all the transactions recorded in the software in which the books of accounts are maintained.

JKDFC is currently using the older version of Tally ERP 9 which does not have the option of Audit Trail. As it is mandated in the Companies Act, 2013 rule 11(g), JKDFC is now committed to upgrade the Tally software to the newer version to enable the audit trail/edit log as per the requirement.

Secretarial Audit Report

Secretarial Audit for the year 2023-2024 was conducted M/s. Gupta Moneesh & Associates, Company Secretary in practice, Jammu, in accordance with the provisions of Section 204 of the Companies Act 2013 and Report thereon dated 19.06.2024 for the financial year 2023-2024 was furnished .In connection with the Auditors observations in the report, the explanation is as under:

I. 24.07.2023 को आयोजित 47वीं बोर्ड मीटिंग के मिनट्स के प्रत्येक पृष्ठ पर बोर्ड मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए।

अवलोकन को नोट कर लिया गया है और आगे से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

II. कंपनी ने अधिनियम की धारा 149 के तहत आवश्यक 27.07.2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के साथ कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष, श्रज्ञक्थ्ब, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में डीओपीटी, भारत सरकार को 18.07.2023 को एक डीओ पत्र जारी किया था।

इसके अलावा, जेकेडीएफसी के प्रबंध निदेशक द्वारा डी. ओ. पत्र दिनांक 30.10.2023 और 23.04.2024 के माध्यम से डी.पी.ई., भारत सरकार को जेकेडीएफसी के बोर्ड के दो स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

III. 27.07.2023 को स्वतंत्र निदेशकों की सेवा समाप्ति के पश्चात कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया तथा तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी एवं डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में डीओपीटी, भारत सरकार को 18.07.2023 को एक डीओ पत्र जारी किया था।

इसके अलावा, जेकेडीएफसी के प्रबंध निदेशक द्वारा डी. ओ. पत्र दिनांक 30.10.2023 और 23.04.2024 के माध्यम से डी.पी.ई., भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर विकास

I. Every page of the minutes of the 47th Board Meeting held on 24.07.2023 was not initialed by the Chairman of the Board Meeting.

The observation has been noted and compliance will be ensured henceforth.

II. The company has not appointed Independent Directors post 27.07.2023 as required under Section 149 of the Act.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on 18.07.2023 to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated 30.10.2023 & 23.04.2024 to DPE, Govt. of India regarding reappointment of two Independent Directors of the Board of JKDFC.

III. The Audit Committee of the Company is not constituted as per section 177 of the Companies Act, 2013, post the cessation of Independent Directors on 27.07.2023.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Audit Committee is not constituted as per section 177 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on 18.07.2023 to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated 30.10.2023 & 23.04.2024 to DPE, Govt. of

वित्त निगम लिमिटेड के बोर्ड के दो स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी, जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार वैध रूप से लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगा।

IV. कंपनी ने 27.07.2023 को स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत आवश्यक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है और इसके बाद परिणामी अनुपालनों का पालन नहीं किया है, यानी नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सहमति/सिफारिश/अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों के संबंध में।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के साथ कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री। राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में डीओपीटी, भारत सरकार को 18.07.2023 को एक डीओ पत्र जारी किया था।

इसके अलावा, जेकेडीएफसी के प्रबंध निदेशक द्वारा 30.10.2023 और 23.04.2024 के डीओ पत्र के माध्यम से डीपीई, भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के बोर्ड के दो स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है, तो जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का वैध रूप से गठन करेगा।

V. कंपनी ने 27.07.2023 को स्वतंत्र निदेशकों की सेवा समाप्ति के पश्चात कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन के संबंध में अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

India regarding reappointment of two Independent Directors of the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited.

JKDFC shall validly constitute the Audit Committee as per section 177 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

IV. The company has not constituted the Nomination and Remuneration Committee post the cessation of Independent Directors on 27.07.2023 as required under Section 178 of Companies Act, 2013 and subsequently has not complied with consequential compliances thereto i.e. in respect of the matters requiring concurrence/ recommendation/ approval of the Nomination and Remuneration Committee.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Nomination and Remuneration Committee is not constituted as per section 178 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on 18.07.2023 to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated 30.10.2023 & 23.04.2024 to DPE, Govt. of India regarding reappointment of two Independent Directors of the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited.

JKDFC shall validly constitute the Nomination and Remuneration Committee as per section 178 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

V. The Company has not complied with the provisions of Section 135 of the Act regarding constitution of Corporate Social Responsibility (CSR) Committee post the cessation of Independent Directors on 27.07.2023.

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया तथा तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी एवं डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में डीओपीटी, भारत सरकार को 18.07.2023 को डीओपीटी पत्र जारी किया था।

इसके अलावा, जेकेडीएफसी के प्रबंध निदेशक द्वारा डी.ओ. पत्र दिनांक 30.10.2023 और 23.04.2024 के माध्यम से डीपीई, भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के बोर्ड के दो स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं। जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का वैध रूप से गठन करेगा, जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

VI. कंपनी ने निदेशक पद की समाप्ति, नियुक्ति और आरओसी में परिवर्तन के संबंध में आवश्यक अनिवार्य प्रपत्र उनकी वास्तविक अवधि और समय के अनुसार नहीं भरे हैं और इससे कंपनी को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा है।

अवलोकन को नोट कर लिया गया है और आगे से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(3) के तहत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी का खुलासा किया जाना आवश्यक है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2023–2024 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, 2010

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee is not constituted as per section 135 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on 18.07.2023 to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated 30.10.2023 & 23.04.2024 to DPE, Govt. of India regarding reappointment of two Independent Directors of the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited.

JKDFC shall validly constitute the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee as per section 135 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

VI. The Company has not filled the necessary mandatory forms regarding cessation, appointment and change in directorship to ROC as per their actual period and time and that cost Company with additional fees.

The observation has been noted and compliance will be ensured henceforth.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

The information relating to the conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo as required to be disclosed under Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rule 2014 is given as an annexure(Annexure I) forming part of this Report.

Certificate of Compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance for the Financial Year 2023-24

Certificate of Compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance, 2010 issued by Department

के अनुपालन का प्रमाण पत्र मैसर्स साहिल गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को जारी किया गया। उक्त प्रमाण पत्र संदर्भ हेतु संलग्न (अनुलग्नक III) में है।

लेखा परीक्षक

1. वैधानिक लेखा परीक्षकः

मैसर्स वीपेन सेठ एंड एसोसिएट्स (एसपीजे050), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जम्मू को सीएजी द्वारा कंपनी का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। इस संबंध में नियुक्ति पत्र भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, जेकेडीएफसी(1)/2110 दिनांक 21–03–2024 के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए जारी किया गया है।

2. सचिवीय लेखा परीक्षकः

मैसर्स. गुप्ता मोनेश एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, जम्मू को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए वर्ष 2023–2024 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया था।

स्वीकृति

आपके निदेशक, निगम को भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी, जम्मू और कश्मीर सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम और जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड से मिले सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। निदेशक, निगम में सभी स्तरों पर कार्यकारी कर्मचारियों के अच्छे काम के लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं।

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
(डॉ. काजल)
डीआईएनः 06935072
(प्रबंध निदेशक)

ह./–
(कुलदीप टिक्कू)
डीआईएनः 10226920
(निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22–09–2024

of Public Enterprises for the year 2023-2024 was issued M/s. Sahil Gupta & Associates, Company Secretaries. The said certificate is at annexed (Annexure III) for the reference.

Auditors

1. Statutory Auditor:

M/S VIPEN SETH & ASSOCIATES (SPJ050), Chartered Accountants, Jammu was appointed as the Auditor of the Company by CAG. The appointment letter in this behalf has been issued by the O/o the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi vide letter No. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, JKDFC(1)/2110 dated 21-03-2024 for the financial year 2023-24.

2. Secretarial Auditor:

M/S. GUPTA MONEESH & ASSOCIATES, COMPANY SECRETARY in practice, Jammu was appointed as Secretarial Audit for the year 2023-2024 for conducting secretarial Audit in accordance with the provisions of Section 204 of the Companies Act 2013 and rules made thereunder

Acknowledgement

Your Directors would like to place on record their appreciation for the co-operation, the Corporation received from Govt. of India, Ministry of Commerce & Industry, DPIIT, Govt. of J&K, Life Insurance Corporation of India and the Jammu and Kashmir Bank Ltd. The Directors express their appreciation for the good work of the executive staff at all levels in the Corporation.

For & on behalf of the Board

Sd/-
(Dr. Kajal)
DIN: 06935072
(Managing Director)

Sd/-
(Kuldeep Tickoo)
DIN: 10226920
(Director)

Place: New Delhi
Dated: 23-09-2024

Annexure - I to Directors' Report

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(3) के तहत रिपोर्ट

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

Report under Rule 8(3) of Companies (Accounts) Rule 2014

(A)	**ऊर्जा संरक्षण / Conservation of energy**			
(i)	ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव The steps taken or impact on conservation of energy		:	गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी होने के कारण लागू नहीं होता Not applicable being a Non-Banking Finance Company
(ii)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम The steps taken by the company for utilizing alternate source of energy		:	लागू नहीं Not Applicable
(iii)	ऊर्जा संरक्षण संबंधी पूंजी निवेश The capital investment on energy conservation		:	शून्य Nil
(B)	**प्रौद्योगिकी अवशोषण /Technology absorption**			
(i)	प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास The efforts made toward technology absorption		:	गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी होने के कारण लागू नहीं Not applicable being a Non-Banking Finance Company
(ii)	उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution		:	लागू नहीं Not Applicable
(iii)	आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)। In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year			
	(a)	आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण The details of technology imported	:	लागू नहीं Not Applicable
	(b)	आयात का वर्ष The year of import	:	लागू नहीं Not Applicable
	(c)	क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई है Whether the technology been fully absorbed	:	लागू नहीं Not Applicable
	(d)	यदि पूर्णतः समाहित नहीं हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र जहां समाहित नहीं हुआ है, तथा उसके कारण; और If not fully absorbed, areas where absorption has not been taken place, and the reasons thereof; and	:	लागू नहीं Not Applicable

(iv)	अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय The expenditure incurred on Research and Development	:	लागू नहीं Not Applicable
(C)	**विदेशी मुद्रा आय और व्यय/** **Foreign exchange earnings and Outgo**		
	वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा तथा वर्ष के दौरान वास्तविक बहिर्वाह के रूप में विदेशी मुद्रा व्यय The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year and the Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual outflows	:	वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन या व्यय नहीं हुआ There was no foreign exchange earning or outgo during the year

ह./–
(डॉ. काजल)
डीआईएनः 06935072
(प्रबंध निदेशक)

Sd/-
(Dr. Kajal)
DIN: 06935072
(Managing Director)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23–09–2024

ह./–
(कुलदीप टिक्कू)
डीआईएन; 10226920
(निदेशक)

Sd/-
(Kuldeep Tickoo)
DIN; 10226920
(Director)

Place: New Delhi
Dated: 23-09-2024

ANNEXURE –II

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप, जिसे अप्रैल, 2020 के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

Format for the Annual Report on CSR Activities to be Included in the Board's Report for Financial Year Commencing on or after 1st Day of April, 2020

(क) कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य **जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड** (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित करना है, ताकि सीएसआर को कंपनी के पर्यावरण और समाज के हित में एक प्रमुख क्षेत्र बनाया जा सके, जो प्रभावी और सतत विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देने पर केंद्रित हो।

The main objective of the CSR Policy is to lay down guidelines for **Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited** (hereinafter referred to as 'the Company') to make CSR as one of the key focus areas to adhere to Company's interest in environment and society that focuses on making a positive contribution to society through effective impact and sustainable development programs.

यह नीति कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों को शामिल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे अधिनियम की अनुसूची VII के अनुरूप हों, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया जाता है, **जैसा कि सीएसआर नीति में विस्तृत रूप से बताया गया है।** इसमें ऐसी रणनीति शामिल है जो भविष्य की सीएसआर गतिविधियों के लिए योजनाओं को परिभाषित करती है।

This Policy covers the CSR activities to be undertaken by the Company and ensuring that they are in line with Schedule VII of the Act as amended from time to time as **detailed in CSR Policy.** It covers the strategy that defines plans for future CSR activities.

(ख) सीएसआर समिति की संरचना।

2. Composition of CSR Committee:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति दो गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों सहित 04 निदेशकों वाले बोर्ड का 27.07.2023 तक विधिवत गठन किया गया था। जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के साथ कई बार उठाया गया है। जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है, जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का वैध रूप से गठन करेगा।

In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) committee of the Board comprising of 04 directors including two non-official Independent Directors was duly constituted till 27.07.2023. The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to completion of tenure of independent directors, the Corporate Social Responsibility (CSR) committee is not constituted as per section 135 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI. JKDFC shall validly constitute the Corporate Social Responsibility (CSR) committee as per section 135 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

3. वेब–लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हों: www.jkdfc.org

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company: www.jkdfc.org

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का ब्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): लागू नहीं।

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report): Not Applicable.

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में अलग करने के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के लिए अलग करने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो:

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any:

क्र.सं. **S. No.**	वित्तीय वर्ष **Financial Year**	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में) **Amount available for set-off from preceeding financial years (in Rs)**	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में) **Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs)**
1.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	कुल/TOTAL	शून्य/Nil	शून्य/Nil

6. **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:** रु. 64030319/–.

6. **Average net profit of the company as per section 135(5):** Rs. 64030319/-.

7. (क) **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:** रु. 1280606/–.

7. **(a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5):** Rs. 1280606/-.

(ख) **पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:** शून्य।

(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years: Nil.

(ग) **वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि:** शून्य

(c) Amount required to be set off for the financial year: Nil

(घ) **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग)** : रु. 1280606/–.

(d) Total CSR obligation for the FY (7a + 7b+7c): Rs. 1280606/-.

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

(a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में) **Total Amount spent for the financial year (in Rs.)**	खर्च न की गई राशि (रुपये में)/**Amount unspent (in Rs.)** धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि **Total amount transferred to unspent CSR Account as per section 135(6)**		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि **Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5)**		
	मात्रा **Amount**	स्थानांतरण की तिथि **Date of Transfer**	निधि का नाम **Name of fund**	मात्रा **Amount**	स्थानांतरण की तिथि **Date of Transfer**
रु. 14,00,000/– (केवल चौदह लाख रूपये) Rs. 14,00,000/- (Rs. fourteen lacs only)	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	–	–

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

क्र. सं **S. No**	परियोजना का नाम **Name of the Project**	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद। **Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.**	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)। **Local area (Yes/No)**	परियोजना का स्थान. **Location of the project.**		परियोजना अवधि **Project duration**	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रुपये में) **Amount allocated for the project (in Rs.).**	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में) **Amount spent in the current financial Year (in Rs.).**	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)। **Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).**	कार्यान्वयन का प्रकार – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)। **Mode of Implementation-Direct (Yes/No).**	कार्यान्वयन का तरीका– एजेंसी के माध्यम से **Mode of Implementation-Through Implementing Agency**	
				राज्य **State**	जिला **District**						नाम **Name**	सीएसआर पंजीकरण संख्या **CSR Registration Number.**
1.	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
2.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3.	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	कुल Total	**शून्य Nil**	**शून्य Nil**	**शून्य Nill**	**शून्य Nil**	**शून्य Nil**	**शून्य Nil**	**शून्य Nil**	**शून्य Nil**	**शून्य Nil**	**शून्य Nil**	**शून्य Nil**

(ग) सीएसआर राशि का विवरण वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर किया गया खर्च–

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

क्र. सं. **Sl. No**	परियोजना का नाम **Name of the Project**	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद। **Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.**	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं) **Local area (Yes/No)**	परियोजना का स्थान. **Location of the project.**		परियोजना अवधि (रुपये में) **Amount spent for the project (in Rs.)**	परियोजना के लिए आबंटित धन राशि (हां/नहीं) **Mode of Impleme ntation- Direct (Yes/No)**	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि **Mode of Implementation- Through Implementing Agency**	
				राज्य **State**	जिला **District**			नाम **Name**	सीएसआर पंजीकरण संख्या **CSR Registration Number.**
1.	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2.	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3.	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	कुल **Total**	शून्य/**Nil**	शून्य/**Nil**	शून्य/ **Nil**	शून्य/**Nil**	शून्य/**Nil**	शून्य/**Nil**	शून्य/**Nil**	शून्य/**Nil**

(घ) प्रशासनिक मदों में खर्च की गई राशि : शून्य ।

(d) Amount spent in Administrative overheads: Nil.

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो पर खर्च की गई राशिः शून्य।

(e) Amount spent on impact assessment, if applicable: Nil.

(च) वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (8ख +8ग+ 8घ + 8ङ): शून्य ।

(f) Total amount spent for the FY (8b +8c + 8d + 8e): Nil.

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई होः

(g) Excess amount for set off, if any :

क्र.सं. **Sl. No.**	विशिष्ट/**Particular**	राशि (लाख रूपये में) **Amount (Rs. in Lacs)**
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	12.81
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि Total amount spent for the Financial Year	14.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)] Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	1.19
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	शून्य/Nil
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [**(iii)**–**(iv)**] Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	1.19*

*** निगम के निदेशक मंडल ने 04.03.2024 को संचलन द्वारा प्रस्ताव पारित करके** स्नातकोत्तर पैथोलॉजी विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर को दान के लिए स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न मदों की खरीद के लिए न्यूनतम राशि रु. 12,80,606/– (केवल बारह लाख अस्सी हजार छह सौ छह रुपये) अर्थात वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर देयता, जिसका व्यय 31 मार्च, 2024 तक या उससे पहले किया जाना है, का संकल्प लिया और सहमति दी। प्रबंध निदेशक को रु. 12,80,606 (केवल बारह लाख अस्सी हजार छह सौ छह रुपये) से अधिक व्यय करने के लिए अधिकृत किया गया।

*** The Board of Directors of the Corporation by passing resolution by circulation passed on 04.03.2024 resolved and consented** for procurement/purchase of various items of health care for donation to Postgraduate Department of Pathology, Govt. Medical College, Srinagar, J&K for a minimum amount of Rs. 12, 80,606/- (Rupees Twelve lakh eighty thousand six hundred six only) i.e. CSR liability during the FY 2022-23 expenditure of which is to be made by or before 31st March, 2024. Managing Director was authorised for making expenditure in excess of Rs. 12, 80,606 (Rupees Twelve lakh eighty thousand six hundred six only).

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर पर 12,80,606/– रुपये (केवल बारह लाख अस्सी हजार छह सौ छह रुपये) से अधिक खर्च की गई राशि यानी सीएसआर देयता को आगामी वित्तीय वर्षों में कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित तरीके से समायोजित किया जा सकता है।

FURTHER amount spent towards CSR over and above Rs. 12,80,606/- (Rupees Twelve lakh eighty thousand six hundred six only) i.e. CSR liability during the FY 2022-23 may be set off in the succeeding financial years and in such manner as prescribed by Companies Act, 2013.

वास्तविक सीएसआर देयता 12,80,606/– (बारह लाख अस्सी हजार छह सौ छह रुपए मात्र) के सापेक्ष कुल 14,00,000/– (चौदह लाख रुपए मात्र) की राशि खर्च की गई।

A total amount of Rs. 14,00,000/- (Rupees Fourteen Lakhs only) was spent against the actual CSR liability of Rs. 12,80,606/- (Rupees Twelve lakh eighty thousand six hundred six only).

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण–

(a) Details of Unspent CSR amount for the preceeding three financial years:

Sl. No.	पिछले वित्तीय वर्ष **Preceeding Financial Year.**	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में) **Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)**	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)। **Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.).**	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो। **Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.**			शेष राशि व्यय की जानी है आगामी वित्तीय वर्ष. (लाख रूपये में) **Amount remaining to be spent in Succeeding financial years. (Rs. in Lacs)**
				निधि का नाम **Name of the fund**	राशि (रुपये में) **Amount (in Rs)**	स्थानांतरण की तिथि **Date of transfer**	
1.	2020-21	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	00
2.	2021-22	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	00
3.	2022-23	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	00
	कुल/Total	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	00

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceeding financial year(s):

क्र. सं. **Sl. No.**	प्रोजेक्ट आईडी **Project ID.**	परियोजना का नाम **Name of the project.**	वह वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी। **Financial Year in which the project was Commenced.**	परियोजना अवधि **Project duration.**	कुल आवंटित राशि परियोजना हेतु धनराशि (रुपये में) **Total amount allocated for the project (in Rs.).**	वित्तीय रिपोर्टिंग में परियोजना पर खर्च की गई राशि वर्ष (रु. में) **Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs).**	वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि रिपोर्टिंग वित्तीय (रुपये में) **Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year (in Rs.)**	परियोजना की स्थिति –पुरा होना /चल रहे। **Status of the project -Completed /Ongoing.**
1.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	कुल/**Total**	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

9. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। (परिसंपत्ति–वार विवरण)

9. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset - wise details).

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के सृजन या अधिग्रहण की तिथिः **शून्य**

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s): **Nil**

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशिः **शून्य**

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset: **Nil**

(ग) उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदिः **शून्य**

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc: **Nil**

(घ) **निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)।**

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. **यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएंः** लागू नहीं

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5): N.A

ह./–
(डॉ. काजल)
डीआईएनः 06935072
(प्रबंध निदेशक)

ह./–
(कुलदीप टिक्कू)
डीआईएन; 10226920
(निदेशक)

Sd/-
(Dr. Kajal)
DIN: 06935072
(Managing Director)

Sd/-
(Kuldeep Tickoo)
DIN; 10226920
(Director)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23–09–2024

Place: New Delhi
Dated: 23-09-2024

अनुबंध–III

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्य,
जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड,
भूतल, जवाहरलाल नेहरू उद्योग भवन,
रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू–180012।

हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जो कि जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (सीआईएनः U65920JK2005GOI002523) जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आपकी कंपनी के संबंध में डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, 2010 के तहत किया जाना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय नीचे निर्दिष्ट मामले के:

1. कंपनी कंपनी ने बोर्ड की संरचना के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.1 का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी के पास 27.07.2023 तक अपने बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, अर्थात कंपनी में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद।
2. कंपनी ने बोर्ड की संरचना के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन

Annexure-III

Certificate of Compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance for the Financial Year 2023-24

To

The Members,
Jammu and Kashmir Development Finance Coporation Limited,
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan,
Rail Head Complex, Jammu- 180012.

We have examined the compliance of Conditions of Guidelines on Corporate Governance **JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED (CIN: U65920JK2005GOI002523)** here after called as Company as required to be done under Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by DPE with respect to your Company for the Financial Year 2023-24.

The compliance of Guidelines on Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of Guidelines on Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us by the management, we certify that the company has complied with all the provisions of DPE Guidelines on Corporate Governance as referred above during the Financial Year 2023-24 except for the matter specified below:

1. The company has not complied with paragraph 3.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises with regard to the Composition of the Board as the company has no Independent Directors on its Board since 27.07.2023 i.e. post cessation of tenure of Independent Directors appointed in the company.
2. The company has not complied with paragraph 3.1.4 of the Guidelines on

पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.1.4 का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी के पास 27.07.2023 तक अपने बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्यों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता के बजाय, कंपनी को कंपनी के निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना के अनुसार कम से कम 4 (चार) व्यक्तियों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना आवश्यक था।

3. कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशा–निर्देशों के पैराग्राफ 3.4.1 और 3.4.2 का अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि कंपनी ने सभी बोर्ड सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार नहीं की है।

4. कंपनी ने अपने नए बोर्ड सदस्यों के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। हालाँकि, इसके सभी मौजूदा बोर्ड सदस्य भारत सरकार, जम्मू और कश्मीर सरकार, लद्दाख सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम के नामित व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें कंपनी के व्यवसाय मॉडल, जोखिम प्रोफ़ाइल आदि से अच्छी तरह वाकिफ माना जा सकता है।

5. कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशा–निर्देशों के पैराग्राफ 4.1 में दिए गए अनुसार ऑडिट कमेटी का गठन नहीं किया है, क्योंकि कंपनी के पास 27.07.2023 यानी कंपनी में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद से अपने बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

6. कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 5.1 में दिए गए अनुसार पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है, क्योंकि कंपनी के पास 27.07.2023 से यानी कंपनी में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद से अपने बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises with regard to the Composition of the Board as the company has only two Independent Directors on its Board till 27.07.2023 instead of requirement of at least one third of the Board members as Independent Directors, the company was required to appoint at least 4 (four) persons as Independent Directors as per the present composition of Board of Directors of the Company.

3. The company has not complied with paragraph 3.4.1 and 3.4.2 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises with regard to the code of conduct for all Board Members and senior Management of the company as company has not framed the code of conduct for all Board Members and senior Management of the company.

4. The Company has not framed a formal training programme for its new Board Members. However, all its present Board Members are nominees of Government of India, Government of Jammu and Kashmir, Government of Ladakh and Life Insurance Corporation of India, as such may be considered as well versed with the Business model, risk profile etc. of the Company.

5. The company has not constituted the Audit Committee as provided in paragraph 4.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, as the Company does not have any Independent Director on its Board since 27.07.2023 i.e. post cessation of tenure of Independent Directors appointed in the company.

6. The company has not constituted the Remuneration Committee as provided in paragraph 5.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, as the Company does not have any Independent Director on its Board since 27.07.2023 i.e. post cessation of tenure of Independent Directors appointed in the company.

7. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में।

कृते मैसर्स साहिल गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/–
सीएस साहिल गुप्ता (प्रोपराईटर)
एसीएसः 34548
सी.पी. संख्याः 24493
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 5016/2023
दिनांकः 04/09/2024
यूडीआईएनः A034548F001131853
स्थानः जम्मू

7. We further certify that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For M/s Sahil Gupta & Associates
Company Secretaries

Sd/-
CS Sahil Gupta (Prop.)
ACS: 34548
CP. NO: 24493
Peer Review Certificate No: 5016/2023
Date: 04/09/2024
UDIN: A034548F001131853
Place: Jammu

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)।

सेवा में,

सदस्य,
जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड,
भूतल, जवाहरलाल नेहरू उद्योग भवन,
रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू–180012।

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरह से किया गया था कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार मिल सके।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न फाइल तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने, इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन रहते हुए:

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए और बनाए गए बहीखातों, कागजातों, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31 March, 2024 (Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014).

To

The Members,
Jammu and Kashmir Development Finance Coporation Limited,
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan,
Rail Head Complex, Jammu- 180012.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of company's books, papers, minute books, forms and returns file and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2024 generally complied with the statutory provisions listed here under and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records made available to us and maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2024 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके तहत बनाए गए नियम; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियम और उपनियम; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश;

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ख) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992 **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ग) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(घ) प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (डेबिट प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2008; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(ii) The Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (SCRA) and the rules made thereunder; **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder; **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act);

(a) The Securities and exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; **(Not applicable to the Company during audit period);**

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009; **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**

(d) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debit securities) Regulations, 2008; **(Not applicable to the Company during the audit Period);**

(ङ) प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अन्य विनियम जो कंपनी पर लागू हो सकते हैं। **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(vi) कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी पर लागू अन्य कानून–

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIख की धारा 45(झ) से 45(थख)।
2. माल और सेवा अधिनियम, 2017
3. आयकर अधिनियम 1961
4. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 2003
6. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952
7. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
8. यौन शोषण रोकाथाम अधिनियम, 2013
9. वित्तीय आस्तितयों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
10. भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता कोड, 2016
11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
12. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
13. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
14. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2018
15. आयकर अधिनियम, 2000
16. प्रशिक्षु अधिनियम, 1961

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) बोर्ड और आम बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सचिवीय मानक।

(ii) कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग समझौते **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(e) The other regulations of the Securities and Exchange Board of India as may be applicable to the Company. **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**

(vi) Other laws applicable to the Company as per the representations made by the Company.

1. Section 45(1) to 45(QB) of the Chapter IIIB of the Reserve Bank of India Act, 1934.
2. The Goods and services Act, 2017
3. The Income Tax Act 1961
4. Payment of wages Act, 1936
5. Minimum Wages Act, 2003
6. Employee provident Fund Act, 1952
7. Payment of Gratuity Act, 1972
8. POSH,2013
9. SARFAESI Act,2002
10. IBC, 2016
11. RTI Act, 2005
12. lndian Contract Act, 1872
13. lndian Stamp Act, 1899
14. PMLA,2018
15. IT,2000
16. Apprentice Act, 1961

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards of The Institute of Company Secretaries of India with respect to Board and General Meetings.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Company **(Not applicable to the Company during the Audit Period).**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और अभ्यावेदनों के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अधीन, कंपनी ने आम तौर पर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन नीचे बताए गए बिन्दुओं के अलावा किया है,:

I. बोर्ड मीटिंग के अध्यक्ष ने 24.07.2023 को आयोजित 47वीं बोर्ड मीटिंग के मिनट्स के हर पेज पर हस्ताक्षर नहीं किए।

II. कंपनी ने अधिनियम की धारा 149 के तहत आवश्यक 28.07.2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है।

III. कंपनी की ऑडिट कमेटी का गठन 27.07.2023 को स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार नहीं किया गया है।

IV. कंपनी ने 27.07.2023 को स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के पश्चात कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत अपेक्षित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है तथा तत्पश्चात, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सहमति/ सिफारिश/अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों के संबंध में परिणामी अनुपालनों का अनुपालन नहीं किया है।

V. कंपनी ने 27.07.2023 को स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के पश्चात कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन के संबंध में अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

VI. कंपनी ने निदेशक पद की समाप्ति, नियुक्ति तथा आरओसी में परिवर्तन के संबंध में आवश्यक अनिवार्य प्रपत्रों को उनकी वास्तविक अवधि तथा समय के अनुसार नहीं भरा है, जिसके कारण कंपनी को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा है।

During the period under review and as per the explanations and representations made by the management and subject to clarifications given to us, the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc., mentioned above, except as mentioned below:

I. Every page of the minutes of the 47th Board Meeting held on 24.07.2023 was not initialed by the chairman of the Board Meeting.

II. The company has not appointed independent directors post 28.07.2023 as required under Section 149 of the Act.

III. The Audit Committee of the Company is not constituted as per section 177 of the Companies Act, 2013, post the cessation of Independent Directors on 27.07.2023.

IV. The company has not constituted the Nomination and Remuneration Committee post the cessation of Independent Directors on 27.07.2023 as required under Section 178 of Companies Act, 2013 and subsequently has not complied with consequential compliances thereto i.e. in respect of the matters requiring concurrence/ recommendation/ approval of the Nomination and Remuneration Committee

V. The Company has not complied with the provisions of Section 135 of the Act regarding constitution of Corporate Social Responsibility (CSR) Committee post the cessation of Independent Directors on 27.07.2023.

VI. The Company has not filled the necessary mandatory forms regarding cessation, appointment and change in directorship to ROC as per their actual period and time and that cost Company with additional fees.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों का उचित संतुलन है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों के सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स अग्रिम रूप से भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत बोर्ड की बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि जैसा कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिस पर हमने विश्वास किया है, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हस्ता /–
गुप्ता मोनीश एवं एसोसिएट्स
कम्पनी सेक्रेट्रीज

स्थानः जम्मू
दिनांकः 19–06–2023
एसीएस नंबर 28514 सीपी नंबर 10321

यूडीआईएन : A028514F000590537

पूर्व समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 5420/2024

इस रिपोर्ट को मेरे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो **अनुलग्नक ए** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of executive directors, Non-executive directors except non appointment of Independent Directors. The changes in composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice was given to all Directors of Board meetings. Agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Decisions at the Board meetings as represented by the management were taken unanimously.

We further report that as represented by the Company and relied upon by us there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

sd/-

Gupta Moneesh & Associates
Company Secretary

Place : Jammu
Date : 19-06-2023
ACS No. 28514 CP No. 10321

UDIN : A028514F000590537

Pre Review Certificate No. 5420/2024

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and Forms an integral part of this report.

अनुबंध–ए

सेवा में,

सदस्य,

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड,
भूतल, जवाहरलाल नेहरू उद्योग भवन, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू–180012।

इस पत्र के साथ हमारी सम दिनांकांकित की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित रूप से लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रिया का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जो प्रक्रिया और पद्धतियाँ अपनाई हैं, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया गया है।
4. कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से उनका प्रतिउत्तर प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

हस्ता /–
गुप्ता मोनीश एवं एसोसिएट्स
कम्पनी सेक्रेट्रीज
हस्ता /–
सीएस मोनीश गुप्ता
एसीएस नंबर 28514 सीपी नंबर 10321
पूर्व समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 5420/2024
स्थानः जम्मू
दिनांकः 19–06–2023
यूडीआईएन : A028514F000590537

Annexure-A

To

The Members,
Jammu and Kashmir Development Finance Coporation Limited,
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu- 180012.

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the process and practices, we followed, provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
4. Wherever required, we have obtained the management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations and standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

for
Gupta Moneesh & Associates
Company Secretary
S/d-
CS Moneesh Gupta
ACS NO.28514 CP No:10321
Per Review Certificate NO. :5420/2024
Place : Jammu
Date : 19-06-2024
UDIN: A028514F000590537

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
मैसर्स जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

सभी सदस्य,

राय

हमने मैसर्स जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के कामकाज की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

To the Members of

Opinion

We have audited the financial statements of **JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2024, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year ended, and Notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act 2013 ('the Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standard) Rules, 2021, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024 and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (lCAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance

लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर

हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8 और 11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी के एनपीए की स्थिति का वर्णन किया गया है। 31.3.2024 को एनपीए का प्रतिशत 58.75% था, जबकि 31.3.2023 को यह 49.07% था। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वर्तमान अवधि) के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। SA 701 के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मुख्य लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी है।

अन्य मामले

- अधिनियम की धारा 149 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार 28 जुलाई 2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की अपेक्षा के अनुसार 28.7.2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के बाद कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत अपेक्षित, स्वतंत्र निदेशकों की सेवा समाप्ति के पश्चात् नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के बाद कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन नहीं किया गया है।
- किसी भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर के न होने की वजह से, कंपनी द्वारा दिए गए अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज दर और दंडात्मक ब्याज की जांच के संबंध में लेखा परीक्षा प्रक्रिया सीमित है।
- कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(जी) के अनुसार, कंपनी ने

with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note No. 8 & 11 of the financial statements, which describes position of NPAs of the Company. Percentage of NPA's as on 31.3.2024 was 58.75 % as compared to 49.07% on 31.3.2023. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the financial year ended 31st March 2024 ('the current period'). Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Other Matters

- The Company has not appointed independent directors after 28th July 2023 as per the requirements under section 149 of the Act.
- The Audit committee of the company has not been constituted after the cessation of independent directors post 28.7.2023 as per the requirement of section 177 of the companies Act,2013.
- As required under section 178 of the companies Act, 2013, Nomination and Remuneration committee has not been constituted after the cessation of independent directors.
- The Corporate Social Responsibility committee of the company has not been constituted after the cessation of independent directors as required under section 135 of the companies Act, 2013.
- In the absence of any Banking Software, Audit process is limited with respect to checking of the Interest rate and Penal Interest Charged on Advances given by the company.
- As per rule 11(g) of companies (Audits & Auditors) rule 2014,the company has not enabled the audit trail (Edit log) facility

ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा को सक्षम नहीं किया है, जो कि पूरे वर्ष के दौरान सभी लेनदेन के लिए संचालित की गई थी, जिसे उस सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया था जिसमें लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण ग़लत विवरण है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी

which was operated throughout the year for all the transactions recorded in the software in which the books of accounts are maintained.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Board's report including annexures to Board's report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Rules 2021. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection

शामिल है; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होता है।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा में हमेशा भौतिक गलत बयानों का पता लगाया जाएगा। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से भौतिक माना जाता है, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एस.ए. के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

हम भी :

and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs specified under section 143(10) of the Act, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

- हम वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन भी करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो इकाई की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण इकाई चालू व्यवसाय के रूप में जारी नहीं रह सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of the management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying

कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

10. हमने अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों से संवाद किया, जिसमें हमारे लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है।

11. हम शासन के प्रभारी लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए कहा है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से कहीं अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए अधिनियम की अनुसूची V के साथ धारा 197 के तहत निर्धारित प्रावधान और सीमाएँ कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार, हम **"अनुलग्नक क"** में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्र को इंगित करते हुए निर्देश जारी किए हैं, जिसका अनुपालन **"अनुबंध ख"** में निर्धारित है।

transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

10. We communicated with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

11. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Section 197(16) of the Act, we report that the Company is a Government Company hence the provisions of and limits laid down under Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to the company.

2. As required by the Companies (Auditor's Report) Order,2020 (the 'Order') issued by the Central Government of India in terms of Section 143(11) of the Act, we give in the **"Annexure A",** a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

The Comptroller and Auditor General of India has issued direction indicating the area to be examined in terms of sub section (5) of section 143 of the Companies Act 2013, the compliance of which is set out in **"Annexure B".**

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, अनुबंध क में हमारी टिप्पणियों के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं किः

(क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाया गया वित्तीय विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पढ़ा जाए।

(ङ) निगम एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार लागू नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **"अनुलग्नक–ग"** में हमारी रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है;

ii. कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं, यदि कोई हो, तो व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान के लिए; और

Further to our comments in Annexure A, as required by Section 143(3) of the Act, we report that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the accompanying financial statements.

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

(c) The Financial statement dealt with by this Report is in agreement with the books of account.

(d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021.

(e) The Corporation being a Government Company section 164(2) of the Company Act, 2013 is not applicable as per Notification dated 5th June, 2015 of Ministry of Corporate Affairs.

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer our report in "**Annexure-C**".

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2021, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements;

ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts; and

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को या उनमें कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिक हो) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से भौतिक हो) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।

(ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year ended March 31, 2024.

iv. a) The Management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

b) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf.

c) Based on the audit procedures that has been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under subclause (i) and (ii) of Rule 11 (e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रस्तावित लाभांश सहित लाभांश घोषित नहीं किया है और इसलिए नियम 11 (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

विपन सेठ एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए
फर्म पंजीकरण संख्याः 005958एन

सीए प्रिया सेठ (साझेदार)
सदस्यता संख्याः 548085
यूडीआईएनः 24548085BKDJLT9195

स्थानः जम्मू
दिनांकः 12 अगस्त 2024

v. The Company has not declared dividend including proposed dividend during the year and hence reporting under Rule 11(f) is not applicable.

for VIPEN SEHT & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Regn.No 005958N

CA Priya Seht (Partner)
Membership No :548085
UDIN: 24548085BKDJLT9195

Place: Jammu
Date: 12 August 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक में, हम रिपोर्ट करते हैं कि: –

(i) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(क)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ग) कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को सालाना चरणबद्ध तरीके से सत्यापित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया गया और इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं। हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित है।

(घ) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा समझौते विधिवत निष्पादित किए गए हैं)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ङ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(च) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i) (ङ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ii) (क) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी मुख्य रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है और

ANNEXURE-A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of the Company on the standalone financial statements for the year ended March 31, 2024, we report that :

(i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.

(b) The Company does not have any intangible assets and accordingly, reporting under clause 3(i)(a)(B) of the Order is not applicable to the Company.

(c) The Company has a regular program of physical verification of its Property, Plant and Equipment by which Property, Plant and Equipment are verified in a phased manner annually. In accordance with this program, the Property, Plant and Equipment were verified during the year and no material discrepancies were noticed on such verification. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets.

(d) The Company does not own any immovable property (other than properties where the Company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee). Accordingly, reporting under clause 3(i)(c) of the Order is not applicable to the Company.

(e) The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment during the year. Further, the Company does not hold any intangible assets.

(f) No proceedings have been initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder. Accordingly, reporting under clause 3(i)(e) of the Order is not applicable to the Company.

(ii) (a) As explained to us, the company is primarily engaged in rendering financial

इसलिए उसके पास कोई भौतिक इन्वेंट्री नहीं है। इस प्रकार, आदेश का पैराग्राफ 3(ii) (क) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी को वर्ष के किसी भी समय चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii) (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iii) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों को कोई ऋण नहीं दिया है। सीमित देयता भागीदारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल अन्य पक्ष; और इसलिए आदेश का पैराग्राफ तीन (iii) लागू नहीं होता है।

(iv) कंपनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है और कोई निवेश नहीं किया है, जो अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत आते हैं। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3(iv) लागू नहीं होता है।

(v) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है या ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2014 (संशोधित) के अर्थ में जमा के रूप में माना गया हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vi) केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में लागत अभिलेखों के रख–रखाव का प्रावधान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(vi) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर एवं अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया के सम्बन्ध में लेखा पुस्तकों में कटौती/उपार्जित राशि को कम्पनी द्वारा उचित प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान कुछ मामूली विलम्बों को छोड़कर नियमित रूप से जमा किया गया है। जैसा कि हमें बताया गया है, कम्पनी पर कर्मचारियों के राज्य बीमा, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क,

services & therefore does not hold any physical inventories. Thus, paragraph 3(ii) (a) of the Order is not applicable to the Company.

(b) The Company has not been sanctioned working capital limits by banks or financial institutions on the basis of security of current assets during any point of time of the year. Accordingly, reporting under clause 3(ii) (b) of the Order is not applicable to the Company.

(iii) The Company has not granted any loans to companies, firms. Limited Liability partnerships or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013; and therefore paragraph 3 (iii) of the Order is not applicable.

(iv) The Company has not given any loans to directors & has not made any investments which are covered under section 185 and 186 of the Act. Hence, paragraph 3(iv) of the Order is not applicable.

(v) In our opinion, and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits or there is no amount which has been considered as deemed deposit within the meaning of sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (as amended). Accordingly, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable to the Company.

(vi) The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148(1) of the Act, in respect of the activities carried on by the Company. Accordingly, reporting under clause 3(vi) of the order is not applicable.

(vii) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted / accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including provident fund, income-tax and other statutory dues have been regularly deposited during the year except some minor delays by the Company with the appropriate authorities. As explained to us, the Company does not have any dues

मूल्य वर्धित कर एवं उपकर के रूप में कोई बकाया नहीं है।

सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन तक कम्पनी पर देय तिथि से छः माह से अधिक अवधि का कोई वैधानिक बकाया बकाया नहीं है।

(ख) 31 मार्च, 2024 तक भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर के संबंध में कोई विवादित राशि बकाया नहीं थी/देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान कोई भी लेनदेन आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया गया था, जिसे खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। ऐसे में अपने ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं होती है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया गया है।

(घ) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान या किसी पिछले वर्ष में अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) (घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

on account of employees's state insurance, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax and cess.

The Company does not have any arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) There were no disputed amounts payable in respect of provident fund, income-tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax in arrears/ were outstanding as at 31 March, 2024 for a period of more than six months from the date they became payable.

(viii) Accordingto the information and explanations given to us, no transactions were surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) which have not been recorded in the books of accounts.

(ix) (a) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised any loans. As such default in repayment of its loans or borrowings or in the payment of interest thereon to any lender does not arise .Hence reporting under clause 3(ix) (a) of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanations given to us including representation received from the management of the Company, and on the basis of our audit procedures, we report that the Company has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.

(c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, money has not been raised by way of term loans.

(d) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not raised any funds on short term basis during the year or in any previous year. Accordingly, Reporting under clause 3(ix) (d) of the Order is not applicable to the Company.

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में कोई सुरक्षा नहीं रखती है। इसके अलावा प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण नहीं लिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) (च) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ग) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या (पूरी तरह, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ग)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के लिए अधिनियम की धारा 143(12) के तहत केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

(ग) कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमारे समक्ष किए गए प्रतिनिधित्व सहित हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल–ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।

(e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries.

(f) According to the information and explanations given to us, company does not hold any security in its subsidiaries, joint ventures or associate companies. Further no loan has been raised on the pledge of securities. Accordingly, reporting under clause 3(ix) (f) of the Order is not applicable to the Company.

(x) (a) The Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments), during the year. Accordingly, reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanations given to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or (fully, partially or optionally) convertible debentures during the year. Accordingly, reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable to the Company.

(xi) (a) According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

(b) No report under section 143(12) of the Act has been filed with the Central Government for the period covered by our audit.

(c) According to the information and explanations given to us including the representation made to us by the management of the Company, there are no whistle-blower complaints received by the Company during the year.

(xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू है और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में विवरण का खुलासा किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अधिनियम की धारा 138 के तहत आवश्यक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा आज तक जारी की गई रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और तदनुसार, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–झक के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है और पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया है।

(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखापरीक्षक ने त्याग पत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय दायित्वों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी देनदारियों को, जो बैलेंस शीट

(xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with related parties are in compliance with section 177 and 188 of the companies act, 2013 where applicable and details have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.

(xiv) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has an internal audit system as required under section 138 of the Act which is commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the reports issued by the Internal Auditors of the Company till date for the period under audit.

(xv) According to the information and explanation given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them and accordingly, provisions of section 192 of the Act are not applicable to the Company.

(xvi) The Company is required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and the registration has been obtained.

(xvii) The Company has not incurred cash losses in the current financial year & in the immediately preceeding financial year.

(xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, reporting under clause 3(xviii) of the Order is not applicable to the Company.

(xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the plans of the Board of Directors and management and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material unceliainty exists as on the date of the audit report that Company is not

की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हैं, चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा, जब वे देय होंगी, चुका दिया जाएगा।

(xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के पास किसी भी चालू या चल रही परियोजना के अलावा किसी अन्य परियोजना के संबंध में कोई भी अप्रयुक्त राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xxi) खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं होती है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

विपन सेठ एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए
फर्म पंजीकरण संख्याः 005958एन

सीए प्रिया सेठ (साझेदार)
सदस्यता संख्याः 548085
यूडीआईएनः 24548085BKDJLT9195

स्थानः जम्मू
दिनांकः 12 अगस्त 2024

capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

(xx) Accordingto the information and explanations given to us, the Company does not have any unspent amount in respect of any ongoing or other than ongoing project as at the expiry of the financial year. Accordingly, reporting under clause 3(xx) of the Order is not applicable to the Company.

(xxi) The reporting under clause 3(xxi) is not applicable in respect of audit of standalone financial statements of the Company. Accordingly, no comment has been included in respect of said clause under this report.

for VIPEN SEHT &ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Regn.No 005958N

CA Priya Seht (Partner)
Membership No :548085
UDIN: 24548085BKDJLT9195

Place: Jammu
Date: 12 August 2024

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के संबंध में वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश के साथ अनुलग्नक–ख

क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

हां, कंपनी के पास सभी अकाउंटिंग लेनदेन को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से रखने की प्रणाली है, सिवाय दिए गए एडवांस से संबंधित लेनदेन और उनके ब्याज की गणना के। बैंकिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, क्योंकि ब्याज की गणना एमएस एक्सेल में की जाती है। इसलिए, त्रुटि की संभावना अधिक है। इसके अलावा, हालांकि वित्तीय विवरण तैयार करते समय एमसीएलआर में परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखा गया था, लेकिन चूंकि कंपनी के पास बैंकिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं होने के कारण एमसीएलआर में परिवर्तन का यह प्रभाव एक्सेल में किया गया था, इसलिए त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

क्या मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो क्या वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है? क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब–किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।

नहीं, हमारी राय में कंपनी (जेकेडीएफसी) को ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या उधारी/ऋण/ब्याज को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है क्योंकि कंपनी ने किसी ऋणदाता से कोई ऋण नहीं लिया है।

क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामले सूचीबद्ध करें।

Annexure- B with the Direction under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 for the year 2023-24 in respect of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd.

Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

Yes, Company has a System to Place all Accounting transactions through Accounting Software except the transactions related to the Advances given along with their Interest Calculation. There is a need of a Banking Software, as the interest calculation is done in MS Excel. Therefore, the chances of error are high. Further, although the Impact of change in MCLR was taken in to consideration while preparing the Financial Statements, but since this impact of change in MCLR was done in excel in the absence of Banking Software available to the company therefore chances of error cannot be ruled out.

Whether there is any restructuring of existing loan or cases of waiver/write off of debt/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, financial impact maybe stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government company,then this direction is also applicable for statutory auditor of Lender Company).

No, in Our Opinion there is no case of restructuring of existing loan or cases of waiver/write off of Debt/loans/interest made by the lender to the company (JKDFC) as the company has not obtained any loans from a lender.

Whether funds (grants/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the case of deviation.

हां, केंद्र सरकार से प्राप्त सभी निधियों का चालू देनदारियों में उचित रूप से लेखा–जोखा किया गया है और निम्नलिखित को छोड़कर पात्र पक्षों को राशि का उचित वितरण किया गया हैः–

क) 11,997 हजार रुपये की राशि जिसके लिए अधिकारियों से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

ख) मिस के2 इन, राज बाग श्रीनगर नामक इकाई को देय 762 हजार रुपये, जिसे रोक कर रखा गया है और माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जारी किया जाना है।

विपन सेठ एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए
फर्म पंजीकरण संख्याः 005958एन

सीए प्रिया सेठ (साझेदार)
सदस्यता संख्याः 548085
यूडीआईएनः 24548085BKDJLT9195

स्थानः जम्मू
दिनांकः 12 अगस्त 2024

Yes, All the Funds received from Central Government are Properly Accounted for in the Current Liabilities and the amount is properly disbursed to the eligible parties except for the following:-

a) A fund amounting of Rs 11,997 thousands for which no directions have been received from the authorities.

b) Rs. 762 thousands due to a unit named M/s K2 Inn, Raj Bagh Srinagar which is kept on hold & subject to be released as per the directions of honorable court.

for VIPEN SEHT &ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Regn.No 005958N

CA Priya Seht (Partner)
Membership No :548085
UDIN: 24548085BKDJLT9195

Place: New Delhi
Date: 12 August 2024

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

(इसी तिथि की आपकी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ (च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 तक **जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड ("कंपनी")** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा–परीक्षण किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा–परीक्षण के साथ–साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपना लेखापरीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक

Annexure-C to the Auditors Report

(Referred to in paragraph (f) under "report on other Legal & Regulatory requirements section of your report of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub- section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED ("the company")** as of 31st March 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies the safe guarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the company's internal financial controls over financial reorting base on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013

वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और आंके गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया डिज़ाइन है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

(I) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal Financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial control system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company internal financial control over financial reporting is a process design to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with the generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) pertain to maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन–देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान का समय पर पता लगाने की रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित कमियों की पहचान की है:

- कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग परिचालन सॉफ्टवेयर की कमी के कारण, कंपनी के पास एमसीएलआर दर में परिवर्तन और सभी ऋणों और अग्रिमों पर इसके कार्यान्वयन पर एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। हालाँकि कंपनी ने वर्ष के दौरान आवधिक समीक्षा की है और आवश्यक कार्यान्वयन किया है, लेकिन, चूँकि यह समीक्षा पूरी तरह से मैन्युअल रूप से की जाती है, इसलिए त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

- कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को धन–शोधन विरोधी तथा वित्तीय आतंकवाद से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

- कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(छ) के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा को नहीं अपनाया है, जो पूरे वर्ष सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन–देन के लिए संचालित की

(2) provide reasonable assurance that transaction are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipt and expenditures of the company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention of timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material miss statements due to error or fraud may occur and not to be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of change in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

According to the information and explanation given to us and based on our audit, we have identified following deficiencies in internal financial control:

- In the absence of the Computerised Banking Operational Software, company did not have an effective internal control system over the change in MCLR Rate and its implementation on all the Loans & Advances. Although the company has done periodic review during the year and done the required implementation but since this review is done completely manually, the chances of error can not be ruled out.

- The Company does not have any arrangement for providing training to its employees tor Anti Money Laundering rid Combating Financial Terrorism.

- As per rule 11 (g) of companies (Audits & Auditors) rule 2014, the company has not enabled the audit trail (Edit log) facility which was operated throughout the year for all the

जाती थी, जिसमें लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है।

हमारी राय में, ऊपर बताई गई कमियों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखी है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं। इस संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

विपन सेठ एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए
फर्म पंजीकरण संख्याः 005958एन

सीए प्रिया सेठ (साझेदार)
सदस्यता संख्याः 548085
यूडीआईएनः 24548085BKDJLT9195

स्थानः जम्मू
दिनांकः 12 अगस्त 2024

transactions recorded in the software in which the books of accounts are maintained.

In our opinion, except for the effects of the deficiencies stated above, the Company has maintained, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial control over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our opinion is not modified in this regard.

for VIPEN SEHT &ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Regn.No 005958N

CA Priya Seht (Partner)
Membership No :548085
UDIN: 24548085BKDJLT9195

Place: Jammu
Date: 12 August 2024

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu, Jammu & Kashmir

UCIN :- U65920JK2005GOI002523

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट / BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2024

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

इक्विटी और देयता/EQUITY AND LIABILITIES	अनुसूची Note No.	31.03.2024 की स्थिति As at 31.03.2024	31.03.2023 की स्थिति As at 31.03.2023
(1) शेयरधारक निधि/Shareholder's Funds			
(a) शेयर पूंजी/Share Capital	1	8,00,000	8,00,000
(b) भंडार और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	9,42,926	9,04,461
(2) गैर–वर्तमान देयताएं/Non-Current Liabilities			
(a) दीर्घकालिक प्रावधान/Long term provisions	3	591	736
(3) वर्तमान देयताएं/Current Liabilities			
(a) व्यापार देयताए/ Trade Payables	4		
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कारण/ Due to micro and small enterprises		-	-
(ii) अन्य पर देय/ Due to others		-	50
(b) अल्पकालिक प्रावधान/Short-term Provisions	5	98,815	62,837
(c) अन्य चालू देयताएं/Other current liabilities	6	4,44,797	1,01,387
	कुल/Total	**22,87,129**	**18,69,471**
संपत्ति/ASSETS			
(1) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां / Non-current assets			
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति Property, Plant and Equipments & Intangible Assets			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/Property, Plant and Equipments	7	1,481	1,129
(b) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम/Long term loans and advances	8	5,67,341	5,71,516
(c) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (नेट)/Deferred tax Assets (Net)		271	271
(d) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां/Other Non Current Assets	9	50	50
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां/Current assets			
(a) नकद और नकद समकक्ष/Cash and cash equivalents	10	17,07,973	12,85,672
(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम/Short-term loans and advances	11	5,955	6,751
(c) अन्य चालू परिसंपत्तियां/Other current assets	12	4058	4,082
	कुल/Total	**22,87,129**	**18,69,471**

वित्तीय बयान के लिए साथ देने वाले नोट देखें।
See accompanying notes to the financial statements.

Signed as per our report of even date attached.

For and On Behalf of the Board

for M/s Vipen Seht & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 005958N

Sd/-
(CA Priya Seht)
Partner
Membership No : 548085

Sd/-
(Dr Kajal)
Managing Director

Sd/-
(Gowhar Arif)
General Manager

Sd/-
(Kamakashi Singh)
Company Secretary

Sd/-
(Balamurugan D.)
Director

Sd/-
(Mudasir Ahmad)
CFO

Sd/-
(CA Priyanka Gupta)
Manager

Place : Jammu
Date : 12.08.2024
UDIN : 24548085BKDJLT9195

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu, Jammu & Kashmir

UCIN :- U65920JK2005GOI002523

31–03–2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र /
PROFIT & LOSS STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

विवरण/ PARTICULARS	अनुसूची Note No.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष for the year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष for the year ended 31.03.2023
I. परिचालन से राजस्व/Revenue from operations	13	45,213	52,354
II. अन्य आय/Other Income	14	93,373	60,233
III. कुल आय/Total Income (I+II)		**1,38,586**	**1,12,587**
IV. व्यय/EXPENSES:			
(a) कर्मचारी लाभ व्यय/Employee benefit expense	15	27,498	25,292
(b) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय/Depreciation and amortization expense	7	391	497
(c) अन्य व्यय/Other Expenses	16	43,383	19,853
कुल व्यय/Total Expenses (IV)		**71,272**	**45,642**
V. अपवाद एवं असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ (III-IV)/ PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL & EXTRAORDINARY ITEMS & TAX (III-IV)		67,314	66,945
(VI) असाधारण आइटम – पूर्व अवधि मद/ Exceptional Items - Prior Period Items		(51)	(93)
(VII) असाधारण मदों और कर से पहले का लाभ (V-VI) Profit before extraordinary items & Tax (V-VI)		67,263	67,038
(VIII) असाधारण वस्तुएं/Extraordinary Items		-	-
(IX) कर से पहले का लाभ (VII-VIII)/Profit before tax (VII-VIII)		**67,263**	**67,038**
X. कर व्यय/TAX EXPENSE:			
(क) वर्तमान कर/Current tax		28,712	21,500
(ख) स्थगित कर/Deferred tax		-	-
(ग) पूर्व अवधि कर/Prior Period Taxes		86	(439)
निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ (हानि) (IX-X)/Profit (Loss) for the period from continuing operations (IX-X)		38,465	45,977
अवधि के लिए लाभ/(हानि)/Profit/(Loss) for the period		38,465	45,977
आधारभूत और तनुकृत ईपीएस/Basic & Diluted EPS		**0.48**	**0.57**

Signed as per our report of even date attached.

For and On Behalf of the Board

for M/s Vipen Seht & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 005958N

Sd/-
(CA Priya Seht)
Partner
Membership No : 548085

Place : Jammu
Date : 12.08.2024
UDIN : 24548085BKDJLT9195

Sd/-
(Dr Kajal)
Managing Director

Sd/-
(Gowhar Arif)
General Manager

Sd/-
(Kamakashi Singh)
Company Secretary

Sd/-
(Balamurugan D.)
Director

Sd/-
(Mudasir Ahmad)
CFO

Sd/-
(CA Priyanka Gupta)
Manager

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu, Jammu & Kashmir
UCIN :- U65920JK2005GOI002523

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st March 2024

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2024 for the year ended 31.03.2024	समाप्त वर्ष 31.03.2023 for the year ended 31.03.2023
क)/A) परिचालनगत गतिविधियां से नकदी प्रवाह/Cash flow from operating activities :		
पी एंड एल खाते के अनुसार कर से पहले शुद्ध लाभ Net Profit before Tax as per P&L Account	67,263	67,038
निम्नलिखित के लिए समायोजितः/Adjusted for		
मूल्यह्रास/Depreciation	391	497
ब्याज आय/Interest income	(93,373)	(60,233)
पूर्व अवधि मूल्यह्रास/Prior Period Depreciation	-	-
परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान वापस जोड़े गए/Provisions for assets added back	37,803	13,542
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ Operating profit before working capital changes	**12,084**	**20,844**
समायोजनः /Adjustment for :		
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Short Term Loans & Advances	780	3,483
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Long Term Loans & Advances	4,175	(1,162)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी/(Increase) / Decrease in Other current assets	39	140
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other non current assets	0	(4)
चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Current liabilities	3,43,360	(55,667)
परिचालन से उत्पन्न नकदी/Cash generated from operations	**3,60,438**	**(32,365)**
आयकर का भुगतान/Income Tax Paid	(30,768)	(20,901)
सीएसआर भुगतान/CSR Paid	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (क) Net cash from Operating Activities (A)	**3,29,670**	**(53,266)**
ख)/B) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह/Cash Flow from Investing Activities		
अचल संपत्तियों की खरीद/Purchase of Fixed Assets	(742)	(109)
परिसंपत्ति का निपटान/Disposal of Asset	0	3
ब्याज आय/Interest Income	93,373	60,233
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ख) Net Cash from investing activities (B)	**92,631**	**60,127**
ग)/C) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह /Cash Flow from Financing Activities		
शेयर पूंजी में वृद्धि/(कमी) /Increase/(Decrease) in Share Capital	-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)/Net Cash from Financing Activities (C)	-	-
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग) Net Increase/(Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**4,22,301**	**6,861**
नकदी और नकदी समकक्षों का प्रारंभिक शेष Opening Balance of cash and cash Equivalents	**12,85,672**	**12,78,811**
नकदी और नकदी समकक्षों का समापन शेष Closing balance of cash and cash Equivalents	**17,07,973**	**12,85,672**

JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
Cash Flow statement for the year ended 31st March 2024
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (पिछले पेज से जारी)

Notes:

1.Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the Accounting Standard

2.Interest received on Fixed deposit receipts under Investing activities.

3.Cash and cash equivalents includes cash,Bank balances and Imprest accounts

4.The figures of Previous year have been regrouped/rearranged wherever necessary

5. In cash & cash equivalents, the subsidy amount is not available for use of Company but for the unit holders as disbursement.

टिप्पणियाँ:

1. नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानक में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।
2. निवेश गतिविधियों के अंतर्गत सावधि जमा रसीदों पर प्राप्त ब्याज।
3. नकदी और नकदी समकक्ष में नकदी, बैंक शेष और अग्रदाय खाते शामिल हैं
4. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
5. नकद एवं नकद समतुल्य में सब्सिडी राशि कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि यूनिट धारकों को संवितरण के रूप में उपलब्ध है।

Signed as per our report of even date attached.		**For and On Behalf of the Board**
for M/s Vipen Seht & Associates Chartered Accountants **Firm Registration No. 005958N**	**Sd/-** **(Dr Kajal)** **Managing Director**	**Sd/-** **(Balamurugan D.)** **Director**
Sd/- **(CA Priya Seht)** **Partner** **Membership No : 548085**	**Sd/-** **(Gowhar Arif)** **General Manager**	**Sd/-** **(Mudasir Ahmad)** **CFO**
Place : Jammu Date : 12.08.2024 UDIN : 24548085BKDJLT9195	**Sd/-** **(Kamakashi Singh)** **Company Secretary**	**Sd/-** **(CA Priyanka Gupta)** **Manager**

(शेयरों की संख्या और प्रति शेयर इक्विटी डेटा को छोड़कर राशि ₹ हजारों में)
(in (Amt In ₹ Thousands except no. of shares and per share equity data)

विवरण / Particulars	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023**
नोट संख्या 1 / Note No : 1		
शेयर पूंजी / Share Capital:		
अधिकृत पूंजी / Authorised Capital 10,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये/ 10,00,00,000 Equity shares of Rs 10/ each	10,00,000	10,00,000
जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड अप/ Issued, Subscribed & Paid up		
8,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये (प्रति शेयर सममूल्य 10 रुपये) 8,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each (Par value per share Rs. 10/-)	8,00,000	8,00,000
कुल/Total	**8,00,000**	**8,00,000**

(क) शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

(a) Rights, preferences and restrictions attached to shares

The Company has only One class of Shares i.e. Equity Share having a par value Rs 10 per share. Holder of Equity share each entitiled to one vote per share. The Company has not paid dividend during the reporting year. In the event of Liquidation of the company the holder of equity will be entitled to receive remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts. The Distribution will be in proportion to the number of Equity Shares held by the shareholder.

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं, अर्थात इक्विटी शेयर, जिनका सममूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी ने रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। वितरण शेयरधारक द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ख) – रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलानः–

(b) Reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period :-

Equity shares with voting rights of Rs 10 each:-

10 रुपये प्रति शेयर के वोटिंग अधिकार वाले इक्विटी शेयरः–

विवरण/Particulars	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023**
वर्ष के आरंभ में शेष राशि/ Balance as at beginning of the year	8,00,00,000	8,00,00,000
जोड़ेंः वर्ष के दौरान जारी/ Add: Issued during the year	-	-
वर्ष के अंत तक शेष राशि/Balance as at end of the year	**8,00,00,000**	**8,00,00,000**

(ग) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों का ब्यौराः–

(c) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:-

10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयरः–/*Equity Shares of Rs 10 each:-*

	विवरण/**Particulars**	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2024		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	
		शेयरों की संख्या No. of Shares	%	शेयरों की संख्या No. of Shares	%
1	संयुक्त सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार Govt. of India through Joint Secretary, DIPP, Ministry of Commerce & Industry	2,00,00,000	25.00%	2,00,00,000	25.00%
2	भारत सरकार, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय (कश्मीर अनुभाग) के माध्यम से Govt. of India through Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (Kashmir Section)	2,00,00,000	25.00%	2,00,00,000	25.00%
3	उप सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार Govt. of India through Deputy Secretary, DIPP, Ministry of Commerce & Industry	99,99,970	12.49%	99,99,970	12.49%
4	सचिव, वित्त विभाग के माध्यम से जम्मू–कश्मीर सरकार/ Govt. of J&K through Secretary,Finance Deptt.	50,00,000	6.25%	50,00,000	6.25%
5	उद्योग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से जम्मू और कश्मीर सरकार। Govt. of J&K through Secretary, Industries & Commerce Deptt.	50,00,000	6.25%	50,00,000	6.25%
6	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	1,00,00,000	12.50%	1,00,00,000	12.50%
7	जे एंड के बैंक लिमिटेड/J&K Bank Ltd.	1,00,00,000	12.50%	1,00,00,000	12.50%

(घ) पिछले 5 वर्षों के दौरान नकद में प्राप्त भुगतान प्राप्त किए बिना जारी किए गए शेयर

कंपनी ने नकदी के अलावा किसी अन्य मूल्य पर कोई शेयर आवंटित नहीं किया है।

(d) Share issued without payment received in cash during immediately preceding 5 years

The Company has not allotted any share for the consideration other than cash.

(ङ) वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रमोटर द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

(e) Details of shares held by each Promoter at the end of the year

	प्रमोटरों का नाम **Promoters Name**	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2024			31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023		
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year	शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year
1	संयुक्त सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार / Govt. Of India through Joint Secretary, DIPP, Ministry Of Commerce & Industry	2,00,00,000	25.00%	-	2,00,00,000	25.00%	-
2	भारत सरकार, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय (कश्मीर अनुभाग) के माध्यम से/ Govt. of India through Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (Kashmir Section)	2,00,00,000	25.00%	-	2,00,00,000	25.00%	-
3	उप सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार/Govt. Of India through Deputy Secretary, DIPP, Ministry of Commerce & Industry	99,99,970	12.49%	-	99,99,970	12.49%	-
4	सचिव, वित्त विभाग के माध्यम से जम्मू–कश्मीर सरकार।/Govt. Of J&K through Secretary, Finance Deptt.	50,00,000	6.25%	-	50,00,000	6.25%	-

	प्रमोटरों का नाम **Promoters Name**	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2024			31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023		
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year	शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year
5	सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से जम्मू और कश्मीर सरकार।/Govt. Of J&K through Secretary, Industries & Commerce Deptt.	50,00,000	6.25%	-	50,00,000	6.25%	-
6	भारतीय जीवन बीमा निगम/Life Insurance Corporation of India	1,00,00,000	12.50%	-	1,00,00,000	12.50%	-
7	जे एंड के बैंक लिमिटेड/J&K Bank Ltd.	1,00,00,000	12.50%	-	1,00,00,000	12.50%	-

(रुपये हजार में)/**(Amt in ₹ Thousands)**

नोट संख्या : 2/NOTE 2- आरक्षित एवं अधिशेष/RESERVES & SURPLUS		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023
क)/a)	पूंजी रिजर्व/Capital Reserve :	4,293	4,293
	प्रतिधारित आय/Retained Earnings:		
I	वैधानिक रिज़र्व/Statutory Reserve		
	वर्ष की शुरुआत में शेष राशि Balance as at the beginning of the year	42,133	32,937
	वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	7,693	9,195
	वर्ष के अंत तक शेष राशि Balance as at the end of the year	**49,826**	**42,133**
II	लाभ और हानि विवरण में आधिक्य/घाटा Excess /Deficit in the Statement of Profit and Loss		
	वर्ष के प्रारंभ में/At the commencement of the year	858035	821253
	जोड़ें वर्ष के लिए लाभ/(हानि) Add: Profit / (Loss) for the year	**38465**	**45977**
	घटाएँ : वैधानिक आरक्षित निधि/Less : Statutory Reserve	(7,693)	-9195
	वर्ष के अंत में/At the end of the year	**8,88,807**	**8,58,035**
	कुल/Total (I+II)	**9,38,633**	**9,00,168**
	रिजर्व और अधिशेष का शुद्ध योग Net of Reserve & Surplus	**9,42,926**	**9,04,461**

(रुपये हजार में)/**(Amt in ₹ Thousands)**

नोट संख्या:3/NOTE 3- दीर्घकालिक प्रावधान/ LONG TERM PROVISION	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023
मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान Contingent Provisions against Standard Assets	591	736
कुल/Total	**591**	**736**

(रुपये हजार में)/**(Amt in ₹ Thousands)**

नोट संख्या : 4/NOTE 4- व्यापार देनदारियां/TRADE PAYABLES	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया राशि Outstanding dues to Micro, Small and Medium Enterprises	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों को बकाया राशि Outstanding dues to creditors other than Micro, Small and Medium Enterprises	-	50
कुल /Total	**-**	**50**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 की धारा 22 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि, प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार नीचे दी गई हैः

Dues to micro, small and medium enterprises pursuant to section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act (MSMED), 2006 to the extent information available with the management is given below:

	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार **As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2023**
बकाया मूल राशि / The principal amount remaining unpaid	-	-
वर्ष के अंत तक उस पर देय उपार्जित ब्याज का भुगतान न किया जाना Interest accrued due thereon remaining unpaid at the year end	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान की राशि। Interest paid by the Company in terms of Section 16 of MSMED Act, 2006, along with the amount of the payment made to the suppliers and service providers beyond the appointed day during the year	-	-
भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना। Interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006	-	-
संबंधित वर्ष के अंत तक अर्जित और बकाया ब्याज / Interest accrued and remaining unpaid as at the respective year end	-	-
आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज तब तक बना रहेगा जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान नहीं कर दी जाती। Further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act, 2006	-	-

व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची **TRADE PAYABLES AGEING SCHEDULE**	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया Outstanding for following periods from due date of payment**			
विवरण / Particulars	**1 वर्ष से कम** **Less than 1 year**	**1–2 वर्ष** **1-2 years**	**2–3 वर्ष** **2-3 years**	**3 वर्ष से अधिक** **More than 3 years**
(i) एमएसएमई / MSME				
वित्त वर्ष 2022–2023 / FY 2022-2023	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2021–2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-
(ii) अन्य / Others				
वित्त वर्ष 2022–2023 / FY 2022-2023	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2021–2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई / Disputed Dues - MSME				
वित्त वर्ष 2022–2023 / FY 2022-2023	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2021–2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य / Disputed Dues - Others				
वित्त वर्ष 2022–2023 / FY 2022-2023	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2021–2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 5/NOTE 5 **अल्पावधि प्रावधान/SHORT TERM PROVISIONS**	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2023**
आयकर का प्रावधान/Provision for Income Tax (वित्त वर्ष 22–23 के लिए 21,300 हजार रुपये का अग्रिम कर और 9327.261 हजार रुपये का टीडीएस घटाकर तथा वित्त वर्ष 23–24 के लिए 15422 हजार रुपये का अग्रिम कर और 6023.35 हजार रुपये का टीडीएस घटाकर) (Net of advance tax of Rs. 21,300 thousands plus TDS of Rs. 9327.261 thousands for FY 22-23 and net of advance tax of Rs 15422 thousands plus TDS of Rs. 6023.35 thousands for FY 23-24)	(1,915)	55
परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान :/Provisions for Assets :		
क) उप मानक परिसंपत्तियां/(a) Sub Standard Assets	8,196	10,901
ख) संदिग्ध संपत्ति (b) Doubtful Assets	92,534	51,881
कुल /Total	**98,815**	**62,837**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या:6/NOTE 6- **अन्य वर्तमान देनदारियां/OTHER CURRENT LIABILITIES**		**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2023**
A	**भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी एवं अन्य वितरण योग्य निधियाँ** **Subsidy & Other disbursable funds received from GOI**		
1	**पैकेज I और II के अंतर्गत सब्सिडी का विवरणः** **Subsidy details under Package I & II:**		
(i)	केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडीः Central Capital Investment Subsidy:		
	प्रारंभिक जमा/Opening balance	**762**	6,399
	जोडें/Add :-		
	i) भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी/Subsidy received from GOI	476	22,253
	ii) लाभार्थियों से सब्सिडी वसूल की गई Subsidy recovered from beneficiaries	-	3,961
	घटाएं/Less :-		
	i) यूनिटधारकों को सब्सिडी के रूप में वितरित राशि Amount disbursed as subsidy to unitholders	476	27,890
	ii) भारत सरकार को वापस की गई सब्सिडी Subsidy refunded to GOI	-	3961
	जमा शेष (नीचे नोट करें)/Closing balance (Note below)	**762**	**762**

(नोटः वित्तीय वर्ष 23–24 के लिए प्रारंभिक शेष में के2 इन, राज बाग श्रीनगर नामक पार्टी को देय 762 हजार रुपये शामिल हैं, जो न्यायालय के निर्देशानुसार जारी किए जाने के अधीन हैं)

(Note: Opening balance for FY 23-24 includes Rs. 762 thousands due to a party named K2 Inn, Raj Bagh Srinagar which is subject to be released as per the instructions of court)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार **As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2023**
(ii)	**केंद्रीय ब्याज सब्सिडी/Central Interest Subsidy**		
	प्रारंभिक जमा/Opening balance	28,196	60,024
	जोडें/Add :-		
	i) भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी /Subsidy received from GOI	34,857	53,915
	ii) लाभार्थियों से वसूल की गई सब्सिडी राशि Subsidy recovered from beneficiaries	1,931	20,275
	घटाएं/Less :-		
	i) भारत सरकार को सब्सिडी वापस कर दी गई Subsidy refunded to GOI	1,931	20,275
	ii) यूनिटधारकों को वितरित की गई सब्सिडी Subsidy disbursed to unitholders	58,760	85,743
	जमा शेष/Closing balance	**4,293**	**28,196**

(iii)	**केंद्रीय व्यापक बीमा सब्सिडीः** **Central Comprehensive Insurance Subsidy:**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	**7,607**	1,643
	जोड़ें / Add :-		
	i) भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी / Subsidy received from GOI	231	8,449
	घटाएं :– / Less :-		
	i) भारत सरकार को सब्सिडी वापस कर दी गई Subsidy refunded to GOI	0	0
	ii) यूनिटधारकों को वितरित की गई सब्सिडी Subsidy disbursed to unitholders	7,607	2,485
	जमा शेष / Closing balance	**231**	**7,607**
	1 का योग / Total of 1 = (i+ii+iii)	**5,286**	**36,566**

2	**आईडीएस–2017 के अंतर्गत सब्सिडीः** **Subsidy Under IDS -2017:**		
(i)	ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन / Central Cap Investment Incentive for access to credit (CCIIAC)		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	12,275	75,647
	जोड़ें / Add :-		
	i) भारत सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन / Incentive received from GOI	2,73,085	80,462
	घटाएं / Less :-		
	i) भारत सरकार को प्रोत्साहन राशि वापस कर दी गई Incentive refunded to GOI	-	0
	ii) यूनिटधारकों को प्रोत्साहन वितरित किया गया Incentive disbursed to unitholders	2,19,021	1,43,834
	जमा शेष 2 / Total of 2	**66,339**	**12,275**
(ii)	**केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन /** **Central Comprehensive Insurance Incentive**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	-	-
	जोड़ें / Add :-		
	i) भारत सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन राशि Incentive received from GOI	4,280	-
	घटाएं / Less :-		
	i) भारत सरकार को प्रोत्साहन राशि वापस कर दी गई Incentive refunded to GOI	-	-
	ii) यूनिटधारकों को वितरित की गई प्रोत्साहन राशि Incentive disbursed to unitholders	295	-
	जमा शेष / Closing balance	**3,985**	**-**
(iii)	**केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन /** **Central interest Incentive**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	-	-
	जोड़ें / Add :-		
	i) भारत सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन / Incentive received from GOI	4,387	-
	घटाएं / Less :-		
	i) भारत सरकार को प्रोत्साहन राशि वापस कर दी गई Incentive refunded to GOI	-	-
	ii) यूनिटधारकों को प्रोत्साहन वितरित किया गया Incentive disbursed to unitholders	3,613	-
	जमा शेष / Closing balance	**774**	**-**
	2 का योग / Total of 2 (i+ii+iii)	**71,098**	**12,275.017**

3	**एनसीएसएस–2021 के तहत सब्सिडीः** **Subsidy under NCSS -2021:**		
(i)	**कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान (डब्ल्यूसीआईएस)ः** **Working Capital Interest Subvention -WCIS:**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	39,449	0
	जोडें / Add :-		
	a) भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी Subsidy received from GOI	2,88,675	39,449
	घटाएं :– / Less :-		
	a) भारत सरकार को सब्सिडी वापस कर दी गई Subsidy refunded to GOI	-	0
	b) यूनिटधारकों को वितरित की गई सब्सिडी Subsidy disbursed to unitholders	2,65,889	0
	जमा शेष / Closing balance	**62,235**	**39,449**
(ii)	**पूंजी निवेश प्रोत्साहन–सीआईआई** **Capital Investment Incentive-CII**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	-	-
	जोडें / Add :-		
	a) भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी Subsidy received from GOI	12,12,909	0
	घटाएं :– / Less :-		
	a) भारत सरकार को सब्सिडी वापस कर दी गई Subsidy refunded to GOI	-	0
	b) यूनिटधारकों को वितरित की गई सब्सिडी Subsidy disbursed to unitholders	9,79,541	0
	जमा शेष / Closing balance	**2,33,368**	**0**
	कुल (i+ii) / Total (i+ii)	**2,95,603**	**39,449**

4	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय Other Admn Exps for Implementation of New Central Scheme for Industrial Development of UT of J&K		
(i)	जेकेडीएफसी को प्रशासनिक निधि Administrative fund to JKDFC	**11,997**	**11,997**
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	**11,997**	**11,997**
	जोडें / Add :-		
	a) भारत सरकार से प्राप्त राशि Amount received from GOI	40,000	-
	घटाएं :– / Less :-		
	a) केंद्र शासित प्रदेश सरकार को वितरित राशि Amount disbursed to UT Govt	10,000	0
	जमा शेष / Closing balance	**41,997**	**11,997**
	क का योग / Total of A = (1+2+3+4)	**4,13,983**	**1,00,287**

B	**अन्य वर्तमान देनदारियां** **Other Current Liabilities**		
	i) व्यय के लिए प्रावधान Provisions for Expenses	387	439
	ii) अन्य देयताएं / Other Liabilities	30,140	327
	iii) देय शुल्क और कर Duties and Taxes Payable	287	334
	कुल ख / Total B	**30,814**	**1,100**
	कुल (क + ख) / Total (A+B)	**4,44,797**	**1,01,387**

नोट संख्या 7– संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति
Note No.7- Property, Plant and Equipments & Intangible Assets

(रुपये हजार में)/(Amt In ₹ Thousands)

		सकल ब्लॉक Gross Block				अवमूल्यन Depreciation					निवल ब्लॉक Net Block	
क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	प्रारंभिक शेष 01–04–2023 के अनुसार Opening Balance as at 01-04-23	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions During the Year	वर्ष के दौरान बिक्री/हटाना Sale/Deletion during the Year	31–03–24 तक कुल लागत Total Cost up to 31-03-24	31–03–2023 तक Up to 31-03-2023	बिक्री की तारीख तक बिक्री पर संचित मूल्यह्रास/हटाई गई वस्तु Accum Dep. on Sale/deleted items till the date of sale	शेष आय से समायोजित अवमूल्यन Deprecia-tion adjusted from Retained Earnings	वर्ष के लिए For the Year	कुल 31–03–2024 तक Total Upto 31-03-2024	31–03–2024 तक As on 31-03-2024	31–03–2024 तक As on 31-03-2024
1	कंप्यूटर (अंतिम उपयोगकर्ता)/ **Computers (End users)**	2,030	286	-	2,316	1,708	-	-	202	1,910	406	322
2	कंप्यूटर (सर्वर और नेटवर्क)/ Computers (Servers & Networks)	33	-	-	33	31	-	-	-	31	2	2
3	कार्यालय उपकरण/ Office Equipment	1,886	310		2,196	1,394		-	143	1,537	659	492
4	फर्नीचर और फिक्सचर/ Furniture & Fixture	1,506	146	-	1,652	1,325	-	-	24	1,349	303	181
5	कार्यालय चक्र Office Cycle	5	-	-	5	5	-	-	-	5	-	-
6	पुस्तकें/ Books	6	-	-	6	6	-	-	-	6	-	-
7	वाहन/Vehicle	2,218	-	-	2,218	2,085	-	-	22	2,107	111	133
	कुल/Total	**7,684**	**742**	**-**	**8,426**	**6,554**	**-**	**-**	**391**	**6,945**	**1,481**	**1,129**
	पिछले वर्ष के आंकड़े/ Last Year Figures	**7,578**	**109**	**3**	**7,684**	**6,058**	**-**	**-**	**497**	**6,555**	**1,129**	**1,520**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्याः 8/NOTE 8- **दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम** **LONG TERM LOANS & ADVANCES**	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2023**
विवरण/PARTICULARS		
अच्छे माने गए सुरक्षित ऋण /Secured Loans considered good	2,32,535	2,91,997
संदिग्ध माने गए सुरक्षित ऋण Secured Loans considered sub standard	81,957	1,09,013
संदिग्ध माने गए सुरक्षित ऋण/Secured Loans considered Doubtful	2,52,849	1,70,506
कुल /Total	**5,67,341**	**5,71,516**

नोट संख्या : 9/NOTE-9 **अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति** **OTHER NON CURRENT ASSETS**	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2023**
विवरण/PARTICULARS		
सुरक्षा जमा/Security Deposits	50	50
कुल /Total	**50**	**50**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्याः 10/NOTE 10- **नकद और नकद के समान** **CASH AND CASH EQUIVALENTS**	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2023**
विवरण/PARTICULARS		
(a) मेरे पास नकदी है/Cash in Hand	23	43
(b) बैंकों में शेष राशि /Balance with Banks :		
चालू खाते/Current Accounts		
सब्सिडी खाते/Subsidy Accounts (सब्सिडी राशि कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि यूनिट धारकों या लाभार्थियों के लिए संवितरण के रूप में उपलब्ध है)/(the subsidy amount is not available for use of Company but for the unit holders or beneficiaries as disbursement)	4,13,984	1,00,287
अन्य बैंक खाते/Other Bank Accounts	18,196	6,624
12 महीने तक की सावधि जमा/Fixed Deposits upto 12 months (चालू वर्ष के लिए 5121.392 हजार रुपये और पिछले वर्ष के 4881.981 हजार रुपये का उपार्जित ब्याज सहित)/(including accrued interest of Rs 5121.392 thousands for current year & Rs 4881.981 thousands of Previous Year)	12,75,770	11,78,718
कुल /Total	**17,07,973**	**12,85,672**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्याः 11/NOTE 11- **अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम** **SHORT TERM LOAN & ADVANCES**	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2023**
विवरण/PARTICULARS		
संदिग्ध माने गए सुरक्षित ऋण/Secured Loans considered Doubtful	2,013	4,271
अच्छे माने गए सुरक्षित ऋण /Secured Loans considered good	3,915	2,471
असुरक्षित माने गए सुरक्षित ऋणः/Unsecured considered good :		
टीए/डीए के विरुद्ध अग्रिम/Advance against TA/DA	24	8
सीकेवाईसी अग्रिम/ CKYC advance	1	1
टोल शुल्क के लिए फास्ट टैग बैलेंस/Fast tag balance for Toll charges	2	-
कुल /Total	**5,955**	**6,751**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 12/NOTE 12 **अन्य चालू परिसंपत्तियां** **OTHER CURRENT ASSETS**	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2023**
विवरण/PARTICULARS		
ऋण एवं अग्रिम पर अर्जित ब्याज Interest Accrued on Loans & advances	2,810	2,958
सरकारी प्राधिकारियों से वसूली योग्य/ Recoverable from Govt. Authorities	1,143	1,034
प्रीपेड कर/Prepaid Taxes	78	78
प्रीपेड खर्चे/ Prepaid Expenses	27	12
कुल /Total	**4,058**	**4,082**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 13/NOTE 13 **परिचालन से राजस्व/REVENUE FROM OPERATIONS**	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2023**
विवरण/PARTICULARS		
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज/Interest on Loans & advances	44,844	52,196
प्रोसेसिंग फीस/Processing Fees	208	108
अग्रिम फीस/Upfront fees	161	50
कुल /Total	**45,213**	**52,354**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्याः 14/NOTE 14- **अन्य आय** **OTHER INCOME**	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार** **As at 31/03/2023**
विवरण/PARTICULARS		
सावधि जमा प्राप्तियों पर ब्याज/Interest on Fixed Deposit Receipts	93,373	60,233
विविध आय*/Misc Income*	-	-
कुल /Total	**93,373**	**60,233**

*इसमें एक हजार से कम राशि शामिल है, अर्थात वित्त वर्ष 23–24 के लिए 0.011 हजार रुपये और वित्त वर्ष 22–23 के लिए 0.06 हजार रुपये)
** It includes amount less than thousand i.e. Rs 0.011 thousand for FY 23-24 and Rs 0.06 thousand for FY 22-23)*

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 15/NOTE 15- कर्मचारी लाभ व्यय EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023
विवरण/PARTICULARS		
वेतन एवं अन्य भत्ते/Salaries & Other allowances	21,236	19,519
भविष्य निधि में अंशदान/Contribution to Provident Fund	1,785	1,639
पेंशन में योगदान/Contribution to Pension	1,488	1,366
छुट्टी वेतन/Leave Salary	1,168	828
एलआईसी प्रीमियम/LIC Premium	23	21
एलसी प्रीमियम/Gratuity	1,757	1,912
कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय/Medical expenses to employees	33	-
प्रशासनिक प्रभार (पेंशन)/Adm Charges (Pension)	6	5
सीआरए सेवा शुल्क/CRA Service charges	2	2
कुल /Total	**27,498**	**25,292**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 16/NOTE 16- अन्य खर्चों OTHER EXPENSES	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023
विवरण/PARTICULARS		
सीएसआर व्यय /CSR Expenses	1400	1,356
व्यावसायिक और कानूनी शुल्क/Professional and Legal Charges	275	195
लेखा परीक्षक शुल्क/Auditor Fees		
ऑडिट शुल्क /Audit Fee	89	89
प्रमाणन शुल्क/Certification Charges	4	4
विलम्ब शुल्क एवं कर/Late Fees & Taxes	1	2
निदेशक एवं अन्य शुल्क/Director & Other Fees	137	161
परिचालन एवं रखरखाव शुल्क/Running & Maintenance Charges	1,780	1,083
मुद्रण और स्टेशनरी/Printing & Stationery	334	252
व्यावसायिक व्यय [नोट (i)]/Business Expenses [Note (i)]	1,007	2,561
विविध व्यय/Miscelleneous Expenses	553	609
अग्रिमों पर प्रावधान [नोट (ii)]/Provisions on Advances [Note (ii)]	37,803	13,542
कुल /Total	**43,383**	**19,853**
नोट (ii) में शामिल हैं/Note (ii) contains :		
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for standard assets created	-145	-148
घटिया परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for sub standard assets created	-2,705	992

संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful assets created #	40,653	12,697
कुल /Total	**37,803**	**13,542**

अग्रिमों के विरुद्ध संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान इस बात पर विचार करते हुए बनाए गए हैं कि प्राथमिक और संपार्श्विक सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य 31 मार्च, 2024 तक ऋण के बकाया शेष से अधिक है।

# The provisions for doubtful assets against advances are created considering that the realisable value of primary & collateral security are more than outstanding balances of loan as on March 31,2024.

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

व्यावसायिक और कानूनी शुल्क **PROFESSIONAL AND LEGAL CHARGES :**	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार **As at 31/03/2024**	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार **As at 31/03/2023**
विवरण/PARTICULARS		
विधिक शुल्क/ Legal Charges	61	4
व्यावसायिक शुल्क / Professional Charges	129	100
वार्षिक रिटेनरशिप शुल्क/ Annual Retainership fee	24	24
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क/ Internal Audit fee	33	33
सचिवीय लेखा परीक्षा शुल्क/ Secretarial Audit fee	15	15
कर लेखा परीक्षा शुल्क/ Tax Audit Fees	13	19
सुरक्षा ऑडिट शुल्क/ Security Audit Fees	-	-
कुल /Total	**275**	**195**
निदेशक एवं अन्य शुल्क DIRECTOR & OTHER FEES		
शुल्क एवं कर/ Fees & Taxes	120	122
निदेशकों के बैठने का शुल्क/ Director sitting fee	17	39
कुल /Total	**137**	**161**
विलम्ब शुल्क एवं कर/ LATE FEES & TAXES		
टीडीएस पर ब्याज/Interest on TDS	-	0.46
ब्याज/ विलंब शुल्क सीजीएसटी/Interest/ Late fee CGST	0.43	1
ब्याज/ विलम्ब शुल्क एसजीएसटी/Interest/ Late fee SGST	0.43	1
ब्याज/ विलंब शुल्क आईजीएसटी/Interest/ Late fee IGST	0.29	-
कुल /Total	**1**	**2**
परिचालन एवं रखरखाव शुल्क RUNNING & MAINTENANCE CHARGES :		
मोटर कार व्यय/Motor Car Expenses	395	260
यात्रा खर्च/ Travelling Expenses:		
प्रबंध निदेशक /Managing Director	155	121
लेखा परीक्षक/- Auditors	70	36
अन्य कर्मचारी/ - Other Staff	814	455
अन्य निदेशक/- Other Directors	70	38
वाहन किराया शुल्क /Vehicle Hire Charges	53	10
परिवहन शुल्क/Conveyance Charges	53	40
मरम्मत और रखरखाव/ Repair & Maintenance	169	123
कुल /Total	**1,780**	**1,083**

मुद्रण एवं लेखन सामग्री : **PRINTING & STATIONERY :**		
डाक एवं तार/Postage & Telegram	22	32
समाचार पत्र पत्रिकाएँ/ News Paper Periodicals	2	-
मुद्रण और स्टेशनरी/ Printing & Stationary	310	220
कुल /Total	**334**	**252**
व्यावसायिक व्यय : **BUSINESS EXPENSES :**		
व्यापार संवर्धन / Business Promotion	29	13
सीजीटीएमएसई व्यय/CGTMSE Expense	863	2,369
बोर्ड मीटिंग/एजीएम व्यय/Board Meeting/AGM Expenses	-	2
विज्ञापन एवं प्रचार/Advertisement & Publicity	115	177
कुल /Total	**1,007**	**2,561**
विविध व्यय : **MISCELLENEOUS EXPENSES :**		
टेलीफोन व्यय / Telephone Expenses	94	79
कार्यालय का व्यय/ Office Expenses	267	152
विविध व्यय/Misc. Expenses	19	123
प्रकाश और ताप/Lighting &Heating	112	146
बीमा/Insurance	2	9
स्वच्छता कार्य योजना व्यय/Swachata Action Plan Exps	55	97
बैंक शुल्क/Bank Charges	4	3
कुल /Total	**553**	**609**
सुरक्षा जमाः **SECURITY DEPOSITS:**		
सुरक्षा जमा खाता / Security Deposit A/C	15	16
विद्युत विभाग के पास सुरक्षा जमा/ Security Deposit With Electric Deptt	25	25
जेआईओ के पास सुरक्षा जमा / Security Deposit with JIO	10	10
कुल /Total	**50**	**50**
देय शुल्क एवं कर : **DUTIES AND TAXES PAYABLE**		
टीडीएस देय /TDS Payable	287	334
कुल /Total	**287**	**334**
सरकारी प्राधिकारियों से वसूली योग्यः **RECOVERABLE FROM GOVT. AUTHORITIES:**		
जीएसटी / GST	1143	1034
कुल /Total	**1143**	**1034**

व्यय हेतु प्रावधानः **PROVISIONS FOR EXPENSES:**		
कर लेखा परीक्षा शुल्क और एआरएफ/Tax Audit Fees & ARF	31	30
सचिवीय लेखा परीक्षा शुल्क/Secretrial Audit Fees	15	15
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क/ Internal Audit Fees	30	30
देय लेखापरीक्षा शुल्क/Audit Fees Payable	74	74
देय व्यय/Expenses Payable	237	290
कुल /Total	**387**	**439**
अन्य देयताएं : **OTHER LIABILITIES**		
विविध जमा/Sundry Deposits	27	1
बिना बिल वाली प्रोसेसिंग फीस/Unbilled Processing Fees	236	208
आवेदन शुल्क/Application Fees	39	34
पेंशन देय/Pension Payable	-	-
देय वेतन/Salary payable	-	84
पुनर्निर्धारित ब्याज/Rescheduled Interest	29837	-
आवास बोर्ड को देय राशि/Amount payable to Housing board	1	-
कुल /Total	**30140**	**327**

(वित्तीय विवरण में प्रस्तुत आंकड़े निकटतम हजारों तक पूर्णांकित किए गए हैं। इस पूर्णांकन के कारण, बैलेंस शीट और लाभ–हानि विवरण के नोट्स के उप–योगों में थोड़ी विसंगतियां हो सकती हैं। हालांकि, यदि वास्तविक रुपयों में सटीक आंकड़े (पूर्णांक के बिना) लिए जाएं, तो कोई विसंगति नहीं होगी)

(Figures presented in the financial statement are rounded off to nearest thousands. Due to this rounding, there might be slight discrepancies in the subtotals of the notes to the Balance Sheet and Profit & Loss Statement. However, if the exact figures in actual rupees (without rounding) are taken, there will be no discrepancies)

टिप्पण सं. 17 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर नोट्स

NOTE NO: 17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES ON THE FINANCIAL STATEMENTS

1. सामान्य जानकारी / GENERAL INFORMATION:

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड एक निगम है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया है, जिसका स्वामित्व जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए 2002 के प्रधान मंत्री आर्थिक पैकेज में है। निगम ने पर्यटन, परिवहन, विनिर्माण, होटल उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा और आने वाले उद्यमियों को वित्तीय सहायता के साथ–साथ परामर्श सेवाएं प्रदान करके जम्मू और कश्मीर राज्य के औद्योगिक विकास में बहुआयामी भूमिका निभाई है। निगम जम्मू और कश्मीर राज्य में उद्योग को भारत सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited is a Corporation incorporated under Companies Act, 1956 owing its Origin to the Prime Minister Economic Packages of 2002 for the state of Jammu & Kashmir where by Corporation has Multidimensional role in Industry Development of the State of Jammu & Kashmir by Providing Financial Assistance as well as Consultancy Services to the Existing and Upcoming Entrepreneurs in the Various Sectors like Tourism, Transport, Manufacturing, Hotel Industries etc. Corporation also acts as Nodal Agency to for Disbursement of Government of India Incentives to the Industry in the state of Jammu & Kashmir.

2. लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

a) लेखांकन का आधार / Basis of Accounting:

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्पराओं के तहत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (गाप) के अनुसार प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं। गाप में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानक शामिल हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, जो अधिनियम के प्रावधान हैं।

These financial statements are prepared in accordance with Indian Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) under the historical cost convention on an accrual basis. GAAP comprises mandatory accounting standards as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the provisions of the Act.

b) प्राक्कलन का उपयोग: / Use of Estimates:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे प्राक्कलन और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है ।

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Actual results may differ from these estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

c) नकद एवं नकद के समकक्षः/ Cash & Cash Equivalents:

नकद और नकद समतुल्य में हाथ में मौजूद नकदी और बैंक जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष राशि, अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

Cash & Cash Equivalents includes cash-in-hand and bank deposit. Cash equivalents are short-term balances, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

d) नकदी प्रवाह विवरण /Cash Flow Statement:

नकद प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसके तहत असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन और पिछले या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है ।

Cash Flows are reported using the indirect method, whereby profit/ (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

e) संपत्ति संयंत्र उपकरण/ Property Plant & Equipment:

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि/क्षति (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है । लागत में क्रय मूल्य और परिसंपत्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने की कोई अन्य प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत शामिल होती है।

Property plant & Equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any Cost comprises the purchase price and any other directly attributable costs of bringing the assets to its working condition for its intended use.

f) अमूर्त संपत्ति/ Intangible Assets:

अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन घटाकर तथा क्षति (यदि कोई हो) घटाकर दर्ज किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि परिसंपत्तियों से होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यमों को प्राप्त होंगे तथा परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

The Intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and net of impairment, if any, Intangible assets are recognized only if it is probable that the future economic benefit that are attributable to the assets will flow to the enterprises and the cost of the asset can be measured reliably.

g) अवमूल्यन और परिशोधन/ Depreciation & Amortization:

संपत्ति संयंत्र और उपकरण ऐतिहासिक लागत पर दर्शाए गए हैं और मूल्यह्रास को उसमें से घटाया गया है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है और इसकी गणना कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची प्प में निर्धारित अचल संपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल के आधार पर की गई है।

The Property plant & Equipment are stated at Historical Cost and Depreciation is reduced there from. Depreciation on Property plant & Equipment is provided on Straight Line Method & has been calculated on the basis of useful life of Fixed Assets as prescribed in schedule II of Companies Act 2013.

h) **कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ / Employee Retirement Benefits:**

सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

Retirement benefits are dealt with in the following manner:

i) भविष्य निधि का लेखा मान्यता प्राप्त निधियों में किए गए अंशदान के आधार पर किया जाता है।

Provident Fund is accounted on accrual basis with contribution made to recognized funds.

ii) अवकाश नकदीकरण का निर्धारण वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तथा सेवानिवृत्ति के समय देय होता है।

Leave Encashment is determined on the basis of actuarial valuation at the year end and payable at the time Superannuation.

iii) कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी का निर्धारण वर्ष के अंत में एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तथा यह एलआईसी ग्रुप ग्रेच्युटी योजना द्वारा समर्थित होती है।

Gratuity to Employees is determined on the basis of actuarial valuation at the year end and backed LIC Group Gratuity Scheme.

i) **राजस्व मान्यता / Revenue Recognition:**

i) अग्रिम राशि पर ब्याज, अग्रिम शुल्क और अन्य प्रभारों से प्राप्त राजस्व का हिसाब उपार्जन आधार पर लगाया जाता है।

Revenue from Interest on Advances, Upfront Fees and Other Charges account for on Accrual Basis.

ii) अर्जित ब्याज को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है ।

Interest Earned is recognized on accrual basis.

iii) नोडल एजेंसी शुल्क रसीद के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

Nodal agency charges are accounted on receipt basis.

j) **आस्थगित कर / Deferred Tax**:

फरवरी, 2018 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया है कि आस्थगित कर या आस्थगित देयता से संबंधित लेखा मानक 22 या भारतीय लेखा मानक 12 का प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से सात वर्षों के लिए सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा। इसलिए इस वर्ष कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। उपरोक्त अधिसूचना की तिथि से पूर्व की अवधि के लिए बनाया गया आस्थगित कर वापस नहीं लिया गया है।

MCA vide its Notification dated 5th February, 2018 has notified that the Provision of Accounting Standard 22 or Indian Accounting Standard 12 relating to deferred tax or deferred liability shall not apply, for seven years with effect from 1st April, 2017 to a Government Company. Hence no provision has been created this year. Deferred tax Created for the period before the date of above notification has not been reversed.

k) **आयकर / Income Tax:**

प्रासंगिक कर दरों और कर कानूनों के अनुसार गणना की गई कर देयता के आधार पर वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है ।

A provision is made for the current tax based on tax liability computed in accordance with relevant tax rates and tax laws.

l) **प्रावधान और आकस्मिकताएँ / Provisions and Contingencies:**

1. कंपनी तब प्रावधान बनाती है जब अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होती है और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

   The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of obligation.

2. आकस्मिक देयताओं का खुलासा मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद किया जाता है।

   Contingent Liabilities are disclosed after a careful evaluation of the facts and legal aspects of the matter involved.

m) **परिसंपत्तियों की क्षतिः / Impairment of Assets:**

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, प्रबंधन अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि वे परिसंपत्तियाँ क्षतिग्रस्त थीं। किसी परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त तब माना जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। जिस वर्ष परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त के रूप में पहचाना जाता है, उस वर्ष लाभ और हानि खाते में हानि/क्षति दर्ज की जाती है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन हुआ है, तो पिछली लेखा अवधियों में पहचानी गई हानि को उलट दिया जाता है ।

At each balance sheet date, the Management reviews the carrying amounts of its assets to determine whether there is any indication that those assets were impaired. An asset is treated as impaired, when carrying cost of asset exceeds its recoverable amount. An impairment loss is charged to the Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of the recoverable amount.

n) **परिचालन लीज / Operating Lease:**

कंपनी ने परिचालन पट्टा समझौते नहीं किए हैं। परिचालन पट्टा समझौते ऐसे होते हैं जिनके तहत पट्टाकर्ता द्वारा परिसंपत्तियों को उपयोग के उद्देश्य से पट्टेदार को हस्तांतरित किया जाता है और स्वामित्व के जोखिम और लाभ पट्टाकर्ता द्वारा बनाए रखे जाते हैं ।

The Company has not entered into operating lease agreements. The operating lease agreements are one under which assets have been transferred by the lessor to the lessee for use purposes and risk & rewards of ownership are retained by the lessor.

o) **असाधारण और पूर्व अवधि की वस्तुएँ / Extra-ordinary and Prior Period Items:**

पूर्व अवधि की मदों का खुलासा तथ्यों और संबंधित मामलों के कानूनी पहलुओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद किया जाता है।

Prior Period items are disclosed after a careful evaluation of facts and legal aspects of the matters involved.

p) **प्रति शेयर आय / Earnings Per Share:**

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के कर के बाद प्रभाव, यदि कोई हो, सहित) को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर तनु आय की गणना कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के कर के बाद प्रभाव, यदि कोई हो, सहित) को लाभांश, ब्याज और व्यय या आय से संबंधित अन्य शुल्कों के लिए समायोजित करके विभाजित करके की जाती है, प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से जो सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी तनु माना जाता है जब इक्विटी शेयरों में

उनके रूपांतरण से सामान्य परिचालन जारी रखने से प्रति शेयर शुद्ध लाभ में कमी आएगी।

Basic earnings per share is computed by dividing the profit/ (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) as adjusted for dividend, interest and other charges to expense or income relating to the dilutive potential equity shares, by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential equity shares. Potential equity shares are deemed to be dilutive only if their conversion to equity shares would decrease the net profit per share from continuing ordinary operations.

विवरण **Particulars**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष** **Year ended March 31st, 2024**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष** **Year ended March 31st, 2023**
कर के बाद वर्ष के लिए लाभ/(हानि) Profit/(Loss) for the year after tax	38465	45977
शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of shares	80000000	80000000
प्रति शेयर आय (मूल और कम) Earnings per share (Basic and diluted)	0.48	0.57

शेयरों की संख्या और प्रति शेयर इक्विटी डेटा को छोड़कर राशि ₹ हजारों में/

(Amount In ₹ Thousands except no. of shares and per share equity data)

q) **संबंधित पक्ष प्रकटीकरणः/ Related Party Disclosures:**

संबंधित पक्षों के बीच लेन–देन का खुलासा एएस–18, "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, लेन–देन करने वाले संबंधित पक्ष का नाम, पक्षों के बीच संबंधों का विवरण, लेन–देन की प्रकृति और लेखा वर्ष के अंत में बकाया राशि के बारे में खुलासे किए जाते हैं।

Transactions between related parties are disclosed as per AS-18,"Related Party Disclosures". Accordingly disclosures regarding the name of transacting related party, description of the relation between the parties, nature of transactions and the amount outstanding as at the end of accounting year, are made.

r) **अनुपात/ Ratios:**

विवरण **Particulars**	**अंकक** **Numerator**	**भाजक** **Denominator**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष** **Year ended March 31st, 2024**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष** **Year ended March 31st, 2023**	**भिन्नता** **Variance**
वर्तमान अनुपात Current ratio*	वर्तमान संपत्ति Current asset	वर्तमान देनदारियां Current liabilities	3.16	7.89	60%
ऋण इक्विटी अनुपात Debt-Equity Ratio	कुल ऋण Total Debt	शेयरधारकों की इक्विटी Shareholder’s equity	-	-	0%

कर्ज सेवा कवरेज अनुपात Debt Service Coverage Ratio	ईबीआईटी EBIT	ऋृण Debt	-	-	0%
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल Return on Equity Ratio	करों के बाद लाभ Profit after taxes	औसत शेयरधारक की इक्विटी Average Shareholder's equity	0.02	0.03	1%
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात Trade Receivables turnover ratio	आय Revenue	औसत व्यापार प्राप्य Average Trade Receivable	-	-	-
व्यापार देयता कारोबार अनुपात Trade payables turnover ratio	सेवाओं की खरीद Purchase of services	औसत व्यापार देय Average Trade payable	-	-	-
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात Net capital turnover ratio	आय Revenue	कार्यशील पूंजी Working capital	0.04	0.05	1%
शुद्ध लाभ अनुपात Net profit ratio	करों के बाद लाभ Profit after taxes	आय Revenue	0.85	0.88	3%
नियोजित पूंजी पर रिटर्न Return on Capital employed	ईबीआईटी EBIT	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन Capital Employed	0.08	0.08	-

नोट क्रमांक 18 / Note No 18

अन्य सूचना / Other Information:-

a) कंपनी को सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वर्ष के अंत तक अदा न की गई राशि तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित ब्याज/भुगतान योग्य राशि के संबंध में कोई खुलासा नहीं किया गया है।

The Company has not received any intimation from 'Suppliers' regarding their status under the Micro and Small Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid 1 payable as required under the said Act have not been given.

b) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा कुल 30627.261 हजार रुपये का कर चुकाया गया है , जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में 9327.261 हजार रुपये शामिल हैं।

Total Tax amounting to Rs 30627.261 thousands has been paid by the company during the Financial Year 2023-24 which includes Rs 9327.261 thousands as Tax Deducted at Source (TDS) by the banks during current Financial Year.

c) परिपत्र संख्या डीबीएनआर (पीडी) सीसी संख्या 0290/03.10.001/2017–18 दिनांक 31–05–2018 के माध्यम से जारी आरबीआई के निर्देश के अनुसार प्रत्येक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक आरक्षित निधि बनाएगी और किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले हर साल अपने शुद्ध लाभ का कम से कम बीस प्रतिशत उसमें स्थानांतरित करेगी, जैसा कि लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है। इस निर्देश के अनुसार चालू वर्ष के दौरान 7693 हजार रुपये की राशि वैधानिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित की गई है।

In terms of RBI direction issued vide circular no DBNR(PD) CC No 290/03.10.001/2017-18 dated 31-05-2018 every non-banking financial company shall create a reserve fund and transfer therein a sum not less than twenty per cent of its net profit every year as disclosed in the profit and loss account and before any dividend is declared. In terms of this direction an amount of Rs 7693 thousands/- has been transferred to statutory reserve fund during the current year.

d) प्रबंधन की राय में तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

In the opinion of the Management and to the best of their knowledge and belief, the value on realization of current assets, loans & advances in the ordinary course of business will not be less than the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

e) निगम को जम्मू और कश्मीर राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए विभिन्न सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाओं के वितरण के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इन योजनाओं/निधियों के कारण अप्रयुक्त राशि को "वर्तमान देयताओं" शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है।

The Corporation has been designated as Nodal Agency of Central Government for disbursement of various subsidies and incentives for industrial units in the State of Jammu & Kashmir. The unutilized amount on account of these schemes/funds has been parked under the Head "Current Liabilities".

f) मार्च 2024 तक बैलेंस शीट में क्रमशः ग्रेच्युटी और अवकाश वेतन देनदारियों को शामिल करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी आश्वासन योजना और समूह अवकाश नकदीकरण योजना के तहत परिभाषित लाभ योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है: –

The details of defined benefit plans under Employees Group Gratuity Assurance Scheme and Group Leave Encashment Scheme of LIC of India for covering Gratuity and Leave Salary liabilities respectively recognized in the Balance Sheet as on 31st March 2024 is as under:-

क्र.सं. **S.No.**	**विवरण** **Particulars**	**उपहार (रु.)** **Gratuity (Rs.)**	**छुट्टी वेतन (रु.)** **Leave Salary (Rs.)**
(क) A	नवीकरण तिथि पर वर्तमान मूल्य Present Value as on renewal Date	11480.613	10195.409
(ख) B	मौजूदा निधि के लिए अतिरिक्त अंशदान Additional Contribution for existing fund	1431.750	1107.210
(ग) 3	वर्तमान सेवा लागत /Current Service Cost	322.875	60.410
(घ) 4	छूट की दर /Discount rate	7.25%	7.25%

g) **लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक/ Remuneration to Auditors :**

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/Previous Year
Audit Fee	Rs 89.38/-	Rs 89.38/-

कुल लेखापरीक्षा शुल्क 89.38 हजार रुपये है, जिसमें 82.00 हजार रुपये लेखापरीक्षा शुल्क प्रावधान के रूप में तथा 7.380 हजार रुपये अयोग्य इनपुट शामिल हैं, जिन्हें चालू वर्ष में व्यय कर दिया गया है, क्योंकि कंपनी ने अयोग्य इनपुट को व्यय के संबंधित शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया है।

Total audit fees is Rs 89.38 thousands which includes Rs 82.00 thousands as audit fee provision and Rs 7.380 thousands is ineligible input which has been expensed off in current year as company transfers the ineligible input in the respective head of expense.

h) संबंधित पक्ष प्रकटीकरणः एएस–18 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण नीचे दिया गया हैः

Related Party Disclosure: As per AS-18 the disclosure of transactions with related parties are given below:

निगम का कोई भी संबंधित पक्ष नहीं है। वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को दिया गया पारिश्रमिक नीचे दिया गया है :

The Corporation does not have any related party. Remuneration paid to key managerial personnel during the year is given below:

क्र.सं. **S.No**	**नाम** **Name**	**पद का नाम** **Designation**	**राशि हजारों में (रुपये)** **Amount in Thousands (Rs)**
1	डॉ जिविषा जोशी Dr Jivisha Joshi	प्रबंध निदेशक Managing Director	शून्य NIL
2	श्री मुदासिर अहमद Mr. Mudasir Ahmad	सीएफओ/ CFO	1953.615
3	श्रीमती कामाक्षी सिंह Mrs. Kamakshi Singh	कंपनी सचिव Company Secretary	1611.741

i) लंबित कानूनी मामलों की स्थिति निम्नानुसार हैः/ Status of pending legal cases is as under:

निगम ने ऋण चूककर्ताओं के खिलाफ विभिन्न मामले दायर किए हैं जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं । जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

The Corporation has filed various cases against the loan defaulters which are pending at various courts of UT of J&K. The detail of which is given below:

ऋण चूककर्ताओं के विरुद्ध दायर मुकदमों की स्थितिः

(1) Status of Suit cases filed against the loan defaulters:

क्र.सं. **S.No**	**इकाई/पार्टी का नाम** **Name of Unit/ Party**	**ऋण राशि** **Loan Amount**	**अदालत** **Court**	**शिकायत दर्ज करने की तिथि** **Complaint file Date**	**टिप्पणी** **Remarks**	**डीआरटी चंडीगढ़ में सुनवाई की अगली तारीख** **Next Date of Hearing at DRT Chandigarh**	**कार्यवाही का चरण.** **Stage of Proceedings.**
1	मैसर्स एसके फूड्स, आईई खुनमोह, श्रीनगर M/s S.K. Foods, I.E. Khunmoh, Srinagar	20.00 लाख 20.00 lakh	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2nd Addl. District & Session Judge	30.12.2019	डीआरटी चंडीगढ़ को हस्तांतरित मामले की सुनवाई 28.03.2023 को निर्धारित की गई थी, नवंबर–2023 में सुनवाई की नई तारीख तय की गई	30.09.2024	उपस्थिति हेतु सूचना. Notice for Appearance.

क्र.सं. S.No	इकाई/पार्टी का नाम Name of Unit/ Party	ऋण राशि Loan Amount	अदालत Court	शिकायत दर्ज करने की तिथि Complaint file Date	टिप्पणी Remarks	डीआरटी चंडीगढ़ में सुनवाई की अगली तारीख Next Date of Hearing at DRT Chandigarh	कार्यवाही का चरण. Stage of Proceedings.
					Transferred to DRT Chandigarh was slated for hearing on 28.03.2023, fresh date of hearing fixed in November- 2023		
2	मैसर्स क्यूएफ एंटरप्राइजेज, आईजीसी लस्सीपोरा पुलवामा M/s. Q.F Enterprises, IGC Lassipora Pulwama	30.00 लाख 30.00 lakh	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2nd Addl. District & Session Judge	30.12.2019	वही Do-	30.09.2024	उपस्थिति हेतु सूचना. Notice for Appearance.
3	मैसर्स उपसिलोन फार्मा लैब. आईजीसी, सांबा M/s. Upsilon Pharma Lab. IGC, Samba	30.00 लाख 30.00 lakh	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2nd Addl. District & Session Judge	30.12.2019	वही Do-	30.09.2024	उपस्थिति हेतु सूचना. Notice for Appearance.
4	मैसर्स इलेक्ट्रोमैटिक, आईई बारजुल्ला M/s. Electromatic, IE Barzulla	24.37 लाख 24.37 lakh	अपर जिला न्यायाधीश बैंक मामले Addl. District Judge Bank Cases	29.11.2021	वही Do-	08.05.24	सेवा शपथपत्र Service Affidavit
5	मैसर्स न्यू गश एंटरप्राइजेज, इचगामबडगाम M/s. New Gash Enterprises, Ichgam Budgam	64.32 लाख 64.32 lakh	अपर जिला न्यायाधीश बैंक मामले Addl. District Judge Bank Cases	19.02.2022	वही Do-	23.08.24	उपस्थिति हेतु सूचना. Notice for Appearance.
6	मैसर्स एल्वी ओरिएंटल्स, इचगामबडगाम M/s. Alvy Orientals, Ichgam Budgam	36.19 लाख 36.19 lakh	अपर जिला न्यायाधीश बैंक मामले Addl. District Judge Bank Cases	19.02.2022	वही Do-	23.08.24	उपस्थिति हेतु सूचना. Notice for Appearance.
7	मैसर्स आलमदार स्टील इंडस्ट्रीज, आईजीसी लस्सीपोरा पुलवामा M/s. Alamdar Steel Industries, IGC Lassipora Pulwama	27.96 लाख 27.96 lakh	अपर जिला न्यायाधीश बैंक मामले Addl. District Judge Bank Cases	19.02.2022	वही Do-	23.08.24	उपस्थिति हेतु सूचना. Notice for Appearance.

क्र.सं. S.No	इकाई/पार्टी का नाम Name of Unit/ Party	ऋण राशि Loan Amount	अदालत Court	शिकायत दर्ज करने की तिथि Complaint file Date	टिप्पणी Remarks	डीआरटी चंडीगढ़ में सुनवाई की अगली तारीख Next Date of Hearing at DRT Chandigarh	कार्यवाही का चरण. Stage of Proceedings.
8	मैसर्स एसएसवायर्स एंड फैब्रिकेशन, जूनीपोराहजन M/s. S.S. Wires & Fabrication, Zooni Pora Hajan	200.00 लाख 200.00 lakh	अपर जिला न्यायाधीश बैंक मामले Addl. District Judge Bank Cases	12.09.2022	वही Do-	9.08.24	उपस्थिति हेतु सूचना. Notice for Appearance.

(2) चेक बाउंसिंग मामलों का विवरण :

Detail of cheque bouncing cases filed under NI Act:

Following cheque bouncing cases have been filled by the Company against the loan defaulters under Negotiable Instrument Act in various local courts:

कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानीय अदालतों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ऋण चूककर्ताओं के खिलाफ निम्नलिखित चेक बाउंसिंग मामले दायर किए गए हैं :

क्र.सं. S.No	पार्टी का नाम Name of Unit/ Party	अदालत Court	चेक नं. Cheque No. & date	राशि हजार रुपये में Amount In Rs lakhs)	मामला दर्ज करने की तारीख Complaint file date	टिप्पणियां/ स्थिति Remarks/ Status
1 (i)	मैसर्स सेवन स्टार इंजीनियर वर्क्स लद्दाख M/s Seven Star Engineer Works Ladakh	सब–रजिस्ट्रार, सांबा कोर्ट Sub-Registrar, Srinagar	108670 dt. 10.01.2012	5.60 1akh	24.05.2012	विचाराधीन Under trial
(ii)	मैसर्स सेवन स्टार इंजीनियर वर्क्स लद्दाख M/s Seven Star Engineer Works Ladakh	सब–रजिस्ट्रार, सांबा कोर्ट Sub-Registrar, Srinagar	108672 dt. 30.06.2012	5.50 1akh	02.08.2012	
(iii)	मैसर्स सेवन स्टार इंजीनियर वर्क्स लद्दाख M/s Seven Star Engineer Works Ladakh	सब–रजिस्ट्रार, सांबा कोर्ट Sub-Registrar, Srinagar	108674 dt. 30.11.2012	5.00 1akh	21.01.2013	
(iv)	मैसर्स सेवन स्टार इंजीनियर वर्क्स लद्दाख M/s Seven Star Engineer Works Ladakh	सब–रजिस्ट्रार, सांबा कोर्ट Sub-Registrar, Srinagar	108663 dt. 10.12.2012	1.00 lakh	21.01.2013	
(v)	मैसर्स सेवन स्टार इंजीनियर वर्क्स लद्दाख M/s Seven Star Engineer Works Ladakh	सब–रजिस्ट्रार, सांबा कोर्ट Sub-Registrar, Srinagar	108676 dt. 31.03.2013	5.10 lakh	03.05.2013	
2 (i)	मैसर्स न्यू गश एंटरप्राइजेज, इचगाम बडगाम M/s New Gash Enterperises Ichgam Budgam	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	55352 dt. 05.01.2020	1.00 lakh	03.03.2020	विचाराधीन Under trial

(ii)	मैसर्स न्यू गश एंटरप्राइजेज, इचगाम बडगाम M/s New Gash Enterperises Ichgam Budgam	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	055354 dt. 20.01.2020	1.00 lakh	12.03.2020	विचाराधीन Under trial
(iii)	मैसर्स न्यू गश एंटरप्राइजेज, इचगाम बडगाम M/s New Gash Enterperises Ichgam Budgam	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	055355 dt. 07.02.2020	1.00 lakh	11.06.2020	
(iv)	मैसर्स न्यू गश एंटरप्राइजेज, इचगाम बडगाम M/s New Gash Enterperises Ichgam Budgam	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	055356 dt. 25.02.2020	2.00 lakh	11.06.2020	
(v)	मैसर्स न्यू गश एंटरप्राइजेज, इचगाम बडगाम M/s New Gash Enterperises Ichgam Budgam	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	449677 dt. 26.09.2020	2.00 lakh	02.12.2020	
(vi)	मैसर्स न्यू गश एंटरप्राइजेज, इचगाम बडगाम M/s New Gash Enterperises Ichgam Budgam	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	449678 dt. 05.10.2020	2.00 lakh	02.12.2020	
3 (i)	मैसर्स एल्वी ओरिएंटल्स, इचगाम बडगाम M/s Alvy Orientals Ichgam Budgam	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर 3rd Addl. Munsif, Srinagar	746793 dt. 27.02.2020	2.00 lakh	11.06.2020	विचाराधीन Under trial
(ii)	मैसर्स एल्वी ओरिएंटल्स, इचगाम बडगाम M/s Alvy Orientals Ichgam Budgam	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर 3rd Addl. Munsif, Srinagar	746794 dt. 24.03.2020	2.85 lakh	26.08.2020	
4 (i)	मैसर्स अल–अमीन इंफ्रास्ट्रक्चर, गांदरबल M/s Al-Ameen Infrastructur, Ganderbal	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	42547 dt. 16.03.2020	5.00 lakh	26.08.2020	विचाराधीन Under trial
(ii)	मैसर्स अल–अमीन इंफ्रास्ट्रक्चर, गांदरबल M/s Al-Ameen Infrastructur, Ganderbal	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	042549 dt. 22.03.2020	8.00 lakh	26.08.2020	
5 (i)	मैसर्स इलेक्ट्रोमैटिक, आई / ई बरजुल्ला, श्रीनगर M/s Electromatic, I/E Barzulla, Srinagar	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	501948 dt. 20.03.2020	2.40 lakh	26.08.2020	विचाराधीन Under trial
(ii)	मैसर्स इलेक्ट्रोमैटिक, आई / ई बरजुल्ला, श्रीनगर M/s Electromatic, I/E Barzulla, Srinagar	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	501949 dt. 27.03.2020	1.50 lakh	26.08.2020	
(iii)	मैसर्स इलेक्ट्रोमैटिक, आई / ई बरजुल्ला, श्रीनगर M/s Electromatic, I/E Barzulla, Srinagar	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	501950 dt. 27.03.2020	2.00 lakh	26.08.2020	

(6) (i)	मैसर्स आलमदार स्टील इंडस्ट्रीज, आईजीसी लस्सीपोरा पुलवामा M/s Alamdar Steel Industries, IGC Lassipora Pulwama	द्वितीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 2nd Addl. Munsif, Srinagar	714049 dt. 27.10.2020	1.50 lakh	24.12.2020	विचाराधीन Under trial
(ii)	मैसर्स आलमदार स्टील इंडस्ट्रीज, आईजीसी लस्सीपोरा पुलवामा M/s Alamdar Steel Industries, IGC Lassipora Pulwama	द्वितीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 2nd Addl. Munsif, Srinagar	714050 dt. 26.12.2020	1.70 lakh	01.03.2021	
(7) (i)	मुश्ताक अहमद मगरे, गुलनार बारामूला Mushtaq Ahmed Magray, Gulnar, Baramulla	सब–रजिस्ट्रार, श्रीनगर Sub-Registrar, Srinagar	182230 dt. 24.08.2022	1.00 lakh	22.10.2022	विचाराधीन Under trial
(ii)	मुश्ताक अहमद मगरे, गुलनार बारामूला Mushtaq Ahmed Magray, Gulnar, Baramulla	वन मैजिस्ट्रेट Forest Magistrate	188232 dt. 25.09.2022	1.00 lakh	18.11.2022	
(8)	अब्दुल हामिद वानी आर/) पाताल बाग, पम्पोरा Abdul Hamid Wani R/) Patal Bagh, Pampora	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	665522 dt. 14.11.2022	2.52 lakh	06.02.2023	विचाराधीन Under trial
(9)	जेकेडीएफसी बनाम सज्जाद अहमद मीर JKDFC V/S Sajad Amhad Mir	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	947491 dt. 03.01.2024	1.88 lakh	01.02.2024	विचाराधीन Under trial
(10)	जेकेडीएफसी बनाम तौसीफ आह वानी JKDFC V/S Tawseef Ah Wani	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3rd Addl. Munsif, Srinagar	7145 dt. 25.12.2023	1020 lakh	01.02.2024	विचाराधीन Under trial

j) ब्याज प्राप्त होने पर ब्याज आय को एनपीए खातों में शामिल कर दिया जाता है ।

Interest income is recognized in NPA accounts as and when interest is realized.

k) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को चिकित्सा उपकरणों (माइक्रोटोम, टिशू फ्लोटेशन बाथ) की खरीद के लिए वर्ष 2023–24 के लिए 1400.000 रुपये (चौदह लाख रुपये) की राशि का योगदान दिया।

During the year Company contributed an amount of Rs 1400.000 (rs forteen lakh) for the year 2023-24 towards procurement of medical equipment's (Microtone, Tissue Floatation bath) to Govt. Medical College under Corporate Social responsibility (CSR) u/s 135 of the Companies Act, 2013.

l) गैर–बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार न करने वाली या धारण न करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड आरबीआई निर्देश 2016 दिनांक 01.09.2016 के पैरा 9(1) के प्रावधानों के तहत आवश्यक, 31–03–2024 तक अग्रिम का प्रावधान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दिया गया है:

As required under the provisions of Para 9(1) of Non-Banking Financial (Non deposit accepting or holding) Companies Prudential Norms RBI directions 2016 dated 01.09.2016, a provision of Advances as on 31-03-2024 is given as per detail given below :

क्र. सं. S. No	परिसंपत्ति का प्रकार Type of Asset	राशि हजारों में (रु.) Amount in Thousands (Rs.)	प्रावधान (%) Provision (%)	राशि हजारों में (रु.) Amount in Thousands (Rs.)
1	उप मानक परिसंपत्तियाँ			
	(क) अल्पकालिक ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) दीर्घकालिक ऋण	81956.242/–(मूलधन) 0.590/–(अन्य शुल्क)		
	Sub Standard Assets			
	a) Short term loan	Nil	Nil	Nil
	b) Long term loan	81956.242/-(Principal)	10%	8195.624
		0.590/-(other charges)	100%	0.590
2	संदिग्ध संपत्ति			
	(क) अल्पकालिक ऋण	2001.00/– (मूलधन) 12.241/–(अन्य शुल्क)		
	(ख) दीर्घकालिक ऋण	69363.315/– (मूलधन) 73031.746/–(मूलधन) 109429.751/– (मूलधन) 1024.590/–(अन्य शुल्क)		
	Doubtful Assets			
	(a) Short term loan	2001.00 /- (Principal)	50%	1000.500
		12.241/- (Other Charges)	100%	12.241
	(b) Long term loan	69363.315/-(Principal)	20%	13872.663
		73031.746/-(Principal)	30%	21909.524
		109429.751/-(Principal)	50%	54714.876
		1024.590/-(other charges)	100%	1024.590

m) सामाजिक सुरक्षा पर नई संहिता, 2020 (संहिता) लागू की गई है, जो कंपनी द्वारा भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में किए जाने वाले योगदान को प्रभावित करेगी। जिस तिथि से ये परिवर्तन लागू होंगे, उसे अभी अधिसूचित किया जाना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय (मंत्रालय) ने 13 नवंबर, 2020 को संहिता के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं और हितींाारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिन पर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। कंपनी अपना मूल्यांकन पूरा करेगी और उस अवधि में अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव देगी, जिसमें संहिता प्रभावी हो जाती है और संबंधित नियम प्रकाशित हो जाते हैं ।

The new Code on Social Security, 2020 (the Code) has been enacted, which would impact the contributions by the Company towards Provident Fund and Gratuity. The effective date from which the changes are applicable is yet to be notified. The Ministry of Labour and Employment (the Ministry) has released draft rules for the Code on November 13, 2020 and has invited suggestions from stake holders which are under active consideration by the Ministry. The Company will complete its evaluation and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which the Code becomes effective and the related rules are published.

n) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है ।

The Company has not done any transactions with companies struck off under section 248 of the Companies act, 2013 or section 560 of Companies act, 1956.

o) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो ।

The Company does not have any transaction not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

p) कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में न तो व्यापार किया है और न ही निवेश किया है।

The Company has neither traded nor invested in Crypto Currency or Virtual Currency.

q) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 की धारा 45 और इसके तहत बनाए गए नियम) के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है ।

There are no proceedings that has been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (section 45 of 1988 and the rules) made thereunder.

r) लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जेकेडीएफसी द्वारा आठ (08) ऋण खातों का पुनर्गठन किया गया है । ऋण खातों का विवरण इस प्रकार है:

Eight (08) loan accounts have been restructured by JKDFC in UT of Ladakh during the year. The details of loan accounts are given as:

क्र. सं. **S.No**	**पार्टी का नाम** **Name of the party**	**मूल राशि का पुनर्गठन (राशि हजारों में)** **Principal Amount restructured Amount in Thousands**	**ब्याज राशि का पुनर्गठन (राशि हजारों में)** **Interest amount restructured Amount in Thousands**
1	मैसर्स होटल पद्मा/ M/s Hotal Padma	15000.00	8025.898
2	मैसर्स होटल यास्मीन/M/s Hotal Yasmeen	11261.049	2977.237
3	मैसर्स होटल लद्दाख इकोरिसॉर्ट M/s Hotal Ldakh Ecoresort	8233.461	277.595
4	मैसर्स होटल मीटवे गेस्ट हाउस M/s Hotal Meetway Guest House	2902.469	819.489
5	मैसर्स होटल नामकिला M/s Hotal Namkila	8410.624	2929.223
6	मैसर्स होटल ओल्ड रोड मेंशन M/s Hotal Old Road Mension	11780.009	2626.245
7	मैसर्स होटल चोस्कर/ M/s Hotal Choskar	12639.276	6663.799
8	मैसर्स होटल ला माउंट M/s Hotal La Mount	11980.642	6813.366

s) माननीय न्यायालय द्वारा इकाई मैसर्स सनराइज मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की नीलामी के दौरान 9400.00 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई। नीलामी की आय निम्नानुसार समायोजित की गई है:

During the year an amount of Rs. 9400.00 thousands was received during the auction of the unit M/s Sunrise Milk Foods Pvt. Ltd. by the honorable court. The proceeds of auction have been adjusted as follows :

- टर्म लोन के विरुद्ध 5118 हजार रुपये समायोजित
- Rs. 5118 thousands adjusted against Term Loan
- कार्यशील पूंजी अवधि ऋण के विरुद्ध 358 हजार रुपये समायोजित
- Rs. 358 thousands adjusted against Working Capital Term Loan
- ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज आय के रूप में 3922 हजार रुपये समायोजित।

-Rs. 3922 thousands adjusted as Interest Income on loans and advances.

t) वर्ष 2023–24 के लिए पूर्व अवधि व्यय के रूप में 51 रुपये (आंकड़ा '000 में) दर्ज किया गया है, जिसमें वर्ष 2022–23 के लिए निदेशकों की बैठक फीस के रूप में 20 रुपये (आंकड़ा '000 में) और पिछले वर्षों से संबंधित अप्रयुक्त जीएसटी क्रेडिट शामिल हैं।

An amount of Rs. 51 (figure in '000) has booked as prior period expenditure for the year 2023-24 which includes Rs. 20 (figure in '000) as directors sitting fee for the year 2022-23 & other as unavailed GST credit pertaining to previous years expensed off.

u) मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बैलेंस शीट में दीर्घकालिक प्रावधानों के अंतर्गत दिखाए गए हैं, जबकि उप–मानक और संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बैलेंस शीट में अल्पकालिक प्रावधानों के अंतर्गत दिखाए गए हैं।

Previous for standard assets have been shown under long term provisions in balance sheet however the provisions for substandard & doubtful assets have been shown under short term provisions in balance sheet.

v) चालू देनदारियों में एनसीएसएस 2021 के तहत डीपीआईआईटी, भारत सरकार से प्राप्त प्रशासनिक निधि शामिल है। वर्ष के दौरान डीपीआईआईटी, भारत सरकार से 40000.00 हजार रुपये (आंकड़े '000 में) की राशि प्राप्त हुई। जिसमें से 10000.00 रुपये (आंकड़े '000 में) डीपीआईआईटी, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार जम्मू और कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश सरकार को वितरित किए गए हैं।

Current liabilities include administrative fund or received from DPIIT, GOI under NCSS 2021. During the year an amount of Rs. 40000.00 thousand (figure in '000) was received from DPIIT, GOI. Out of which Rs. 10000.00 (figure in '000) has been disbursed to UT Govt. of J&K as per the directions of DPIIT, GOI.

नोट 1 से 18 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों पर अन्य नोट्स सहित) खातों का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें विधिवत प्रमाणित किया गया है ।

Notes 1 to 18 (including Significant Accounting Policies and other Notes on Accounts) form an integral part of the accounts and have been duly authenticated.

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।		**बोर्ड के लिए और उसकी ओर से**
As per our report of even date annexed.		**For and On Behalf of Board**
विपिन सेठ एवं एसोसिएट्स के लिए **For Vipen Seht & Associates**		
सीए प्रिया सेठ **(साझेदार)** सदस्यता संख्या : 548085	**(डॉ. काजल)** **प्रबंध निदेशक**	**(बालामुरुगन डी)** **निदेशक**
CA Priya Seht (Partner) Membership No : 548085	**(Dr. Kajal)** Managing Director	**(Balamurugan D.)** (Director)
स्थान : नई दिल्ली **दिनांक :**	**(गौहर आरिफ)** **महाप्रबंधक**	**मुदासिर अहमद** **(सीएफओ)**
Place : New Delhi Dated:	**(Gowhar Arif)** General Manager	**Mudasir Ahmad** (CFO)
यूडीआई : 24548085BKDJLT9195 **UDIN: 24548085BKDJLT9195**	**(कामाक्षी सिंह)** **कंपनी सचिव** **(Kamakshi Singh)** Company Secretary	**(सीए प्रियंका गुप्ता)** **(प्रबंधक)** **(CA Priyanka Gupta)** (Manager)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। 12 अगस्त 2024 की उनकी लेखा पीरक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा उनके द्वारा किया गया है, ऐसा बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक
हस्ता /–
(एस अह्लादिनी पांडा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 09/09/2024

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 12 August 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Anditor General of India
Sd/-
(S. Ahlladini Panda)
Principal Director of Andit
(Industry & Corporate Affairs)

Place: New Delhi
Date: 09/09/2024

JKDFC

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय : भूतल, जवाहर लाल नेहरू उद्योग भवन, रेल हेड कॉम्पलेक्स,
जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) – 180012
Regd. Office : Ground Floor, Jawahar Lal Nehru, Udyog Bhawan,
Rail Head Complex, Jammu (J&K) - 180012
कॉर्पोरेट कार्यालय: भूतल, संगत घर, बेमिना, श्रीनगर (जे एंड के)–190014
Corporate Office : Ground Floor, Sanat Ghar, Bemina, Srinagar (J&K) - 190014
शाखा कार्यालय: प्रथम तल, डीआरडीए भवन, चीता चौक, लेह–194101
Branch Office : 1st Floor, DRDA Building, Cheetah Chowk, Leh - 194101
शाखा कार्यालय: पहली तल, आरएंडबी भवन, नया बस स्टैंड, इकबाल पुल के पास,
कारगिल यू.टी लद्दाख–194103
Branch Office : 1st Floor, R&B Building, New Bus Stand,
Near Iqbal Bridge, Kargil U.T of Ladakh-194103